खण्ड-303, अंक-8
गुरूवार, 22 चैत्र, शक संवत् 1895
(12 अप्रैल, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 303 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1973

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, 12 अप्रैल, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—370

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री

गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्रीं
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीप नारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यार लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री

बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरवान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राज बहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री

रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री,
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम प्यारे, श्री
राम प्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़—
रानी की सराय)
रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबिलास पांडेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लोलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
बीर बहादुर सिंह, श्री.
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्री निवास प्रसाद सिंह, राजा

श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सिया राम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोटः—पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री, श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी उपस्थित थे।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष जी, आज कोई केबिनेट का मंत्री नही है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अब आ रहे हैं श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

मतलब यह है कि आपके प्वाइंट आउट करते ही आ गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

देर आयद दुरुस्त आयद।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

खाद्यान्न व्यापार अधिग्रहण योजना में व्यापारियों की स्थिति

****1—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) (अनुपस्थित), श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर), श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव) तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च, 1973 में अन्न के थोक व्यापारियों का एक प्रतिनिध मण्डल मा0 खाद्य मंत्री से मिला और अपनी समस्याओं के हल के लिये उन्हें अपना मांग-पत्र प्रस्तुत किया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार इन समस्याओं के हल के लिये क्या कर रही है?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्यामसूरत उपाध्याय)—

दिनांक 17 मार्च, 1973 को सरकार ने खाद्यान्न व्यापारियों की एक बैठक थोक व्यापार अधिग्रहण संबंधी निर्णय से उन्हें अवगत कराने के लिए बुलाई थी किन्तु उस बैठक में व्यापारियों ने कोई ज्ञापन नहीं दिया था।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मीटिंग बुलायी थी उसमें खुदरा व्यापारी कितने थे और थोक व्यापारी कितने थे और क्या उन्होंने इस स्कीम से सहमति प्रकट की ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

हमने तो थोक व्यापारियों को बुलाया था। अगर खुदरा व्यापारी आ गये हों तो हमें नहीं मालूम।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मीटिंग के अन्दर यह भी सवाल आया कि राशन की दुकानों पर अनाज नहीं है और आम जनता परेशान है ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, यह प्रश्न नहीं आया था। हमने यह बतलाया था कि आप अपना थोक का गल्ला 31 तारीख तक निकाल दें।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अपनी गल्ला खरीद स्कीम में इन थोक व्यापारियों को कोई वरीयता देने या उनको खपाने की बात सोच रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह—

अगर रिटेलर का लाइसेंस चाहेंगे तो हम उन्हें दे सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं खाद्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि रिटेलर और परचूनी के लिए आपने कोई पाबन्दियां लगायी है। इस बात को छोड़ दीजिये कि उन्हें लाइसेंस फी देनी पड़ेगी। और भी कोई पाबन्दियां लगायी हैं कि अमुक को लाइसेंस मिलेगा और अमुक को नहीं मिलेगा ?

श्री बेनी सिंह—

प्राथमिकता उन्हें देंगे जो इस व्यापार से आउस्ट होते हैं। वैसे जो इस व्यापार में रहा हो उसे देने की बात है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि राशन की कुछ दुकानें बढ़ायी जा रही हैं और उनमें से 60 फीसदी राशन की दुकानें शासन ने बड़े गल्ला व्यापारियों को देना तय कर लिया है ?

श्री बेनी सिंह—

राशन की दुकानें तो कुछ बढ़ेंगी क्योंकि ढाई हजार यूनिट कर दी हैं। परसेन्टेज तो फिक्स नहीं होगा लेकिन प्राथमिकता उनको जरूर मिलेगी जो कि इस व्यापार से आउस्ट होते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष जी, आज कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। अब आ रहे हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

मतलब यह है कि आपके प्वाइन्ट आउट करते ही आ गये।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

देर आयद दुरुस्त आयद। यह एक व्यवस्था का प्रश्न हो जाता है। आपका एक जी0 ओ0 गया है जिसमें 60 फीसदी लिखा है। या तो मंत्री जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें या बाद में बतला दें।

श्री बेनी सिंह—

मैं बाद में बतला दूंगा।

श्री महीलाल—

शासन के निश्चित आदेश गये हैं कि 60 फीसदी दुकानें अनाज के थोक व्यापारियों को ही दी जायेंगी।

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, मैं अपनी जानकारी दुरुस्त कर लंगा। जहां तक मुझे याद है इतना है कि जो व्यापार से अलग होते हैं उन्हें दूकानें दी जायं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या थोक व्यापारियों ने जब मुलाकात की तो यह भी धमकी दी थी कि अगर उन्हें 60 फीसदी गल्ले की दुकानें नहीं दी जायेंगी तो वह इस स्कीम का बायकाट करेंगे और इसलिए उनके दबाव में आकर यह किया गया कि 60 फीसदी दुकानें उनको दी जायेंगी।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने एडमिट नहीं किया है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

12 अप्रैल तक उन दरख्वास्तों के हर जिले में लेने की तिथि रखी गयी है। 60 प्रतिशत थोक व्यापारियों को लाइसेंस देने के शासनादेश गये हैं। मंत्री जी को पूरी सूचना नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी यह वायरलेस जारी करेंगे कि आज की तारीख अन्तिम नहीं है और उसको अन्तिम न माना जाये जब तक कि सही नीति का फैसला न हो सके।

श्री बेनी सिंह—

मैं उसको देख लूंगा।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

शासन की यह नीति रही है कि बिचवइयों को समाप्त किया जाये। जब 60 प्रतिशत होलसेलर्स को देंगे तो क्या अधिग्रहण की पालिसी में कामयाबी मिल जायेगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप आर्गूमेन्ट कर रहे हैं, प्रश्न पूछिये।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

शासन की यह नीति है जैसा कि सदन में बताया गया कि अधिग्रहण करके बिचवइयों को खत्म करना है। आप फिर उन्हीं 60 प्रतिशत बनियों को बना रहे हैं जो कि ज्यादा पैसा कमाते थे और एक्सप्लाएट करते थे। क्या वह जी0 ओ0 जो गया है शासन की नीति के खिलाफ नहीं है ?

श्री बेनी सिंह—

जहां शासन की यह नीति है कि बिचवइयों को खत्म करना है वहां शासन की यह भी नीति है कि जिनका व्यापार जा रहा है उनको वरीयता मिले ?

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

यह बात तो बड़ी पुरजोर घोषित की गयी है कि उपभोक्ताओं और किसानों को तरह-तरह की दुश्वारियां हो रही हैं। यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। चारों तरफ तहलका मचा हुआ है। यह प्रश्न प्रदेशीय स्तर का नहीं है बल्कि भारतीय स्तर का है.। जिनको आप निकालना चाहते हैं, जो समाज को हर समय पीड़ित करना चाहते ह उनके साथ रियायत करन की भावना क्यों की जा रही है ?

श्री बेनी सिंह—

इस प्रकार के आदेश 5 मार्च को भेजे गये थे। उस समय यह ख्याल था कि शायद पूरी राशनिंग हो जाए और रिटेलर विस्थापित हो जाएं। अब इन आदेशों को रिवाइज करके नये आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री महीलाल—

मेरी सूचना यह है कि शासनादेश गये हैं कि 60 प्रतिशत अनाज के थोक व्यापारियों को, 20 प्रतिशत राजनीतिक पीड़ितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को और केवल 20 प्रतिशत सामान्य लोगों के लिए राशन की दुकानें दी जायं ? क्या यह सूचना सही है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी पुनर्विचार करके इस प्रतिशत को घटवाएंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मैंने अर्ज किया कि पहले जब यह ख्याल था कि पूरी राशनिंग न करनी पड़े और सभी विस्थापित हो जायं तभी ये आदेश गये थे। अब उनको स्टे किया जा रहा है।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

क्या मार्च में थोक व्यापारियों और सरकार के बीच अलावा 60 प्रतिशत के कोई और समझौता भी हुआ था ?

श्री बेनी सिंह—

60 प्रतिशत के बारे में उनसे कोई समझौता नहीं हुआ था और बातें हुयी थीं। उन्होंने कहा था कि पंजाब की तरह से आप कर लें। हमने कहा कि वह स्कीम भेज दें। उन्होंने कोई चीज नहीं भेजी। इसलिए हमने कोई विचार नहीं किया।

श्री शिवराज सिंह—

मंत्री जी ने 2 रु0 प्रति क्विंटल काश्तकारों को ट्रांसपोर्ट चार्जेज के रूप में देने का आश्वासन दिया था। क्या उस सम्बन्ध में जिलों में आदेश चले गये हैं ?

श्री बनी सिंह—

अभी जा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी जो राजकोय व्यापार योजना है उसके अन्दर पहले से ही लूपहोल्स छोड़ दिये गये हैं कि व्यापारी 10 क्विन्टल खरीद सकता है और रख सकता है और फिर आप दुकानें भी 60 प्रतिशत पुराने व्यापारियों को ही देने जा रहे

तो वह इसका नाजायज फायदा नहीं उठावेंगे ? वह पहले से ही सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं कि गल्ला नहीं मिल रहा है और सरकार उनको पूरा व्यापार सौंप रही है ।

श्री बेनी सिंह—

मने तो कह दिया है कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं ।

चावल के व्यापार तथा चीनी व मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था

**2—श्री त्रिलोक चन्द, श्री सच्चिदानन्द, श्री रघुनाथ सिंह, श्री महावीर सिंह चौहान (जिला अलीगढ़), श्री शिवपाल सिंह तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, सन् 1973 से गेहूं के थोक व्यापार अधिग्रहण के अतिरिक्त चावल, चीनी और मिट्टी के तेल के भी राजकीय व्यापार पर भी विचार कर रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि नई फसल आने पर चावल का थोक व्यापार भी सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाय ।

लेवी चीनी के थोक व्यापारी समाप्त कर दिये गये हैं और यह काम पहली जनवरी, 1973 से भारतीय खाद्य निगम को दे दिया गया है । मिट्टी के तेल का थोक तथा फुटकर व्यापार, तथा चीनी का फुटकर व्यापार राज्य सरकार द्वारा लिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री त्रिलोक चन्द—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि चीनी और मिट्टी के तेल की दुकानें देहात में कम होने से दिक्कत हो रही है, तो उनको भी शहर की तरह 3 या 2 हजार की आबादी पर करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

डिस्ट्रीब्युशन का जो सवाल है उस पर पूरे तौर से विचार कर रहे हैं । मैं ज्यादा से ज्यादा दुकानें खोलने की कोशिश कर रहा हूं । हम न्याय पंचायत के नीचे तक दुकानें खोलने पर विचार कर रहे हैं । आप को याद होगा कि पिछले साल हमने गांव के परचून के दुकानदार को भी आदेश दिये थे कि वह दो कनस्तर तक मिट्टी का तेल रख सकता है । तो हम दुकानों का विस्तार करेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सरकार अपनी हर योजना में कुछ न कुछ लूपहोल छोड़ देती है । चीनी के मामले में 70 और 30 प्रतिशत के कारण सारी चीनी ब्लेक मारकेट में चली जाती है, तो क्या यह सरकार केन्द्रीय सरकार को लिखेगी कि पूरी की पूरी चीनी अपने हाथ में ले ?

श्री बेनी सिंह—

इस पर तो अभी विचार नहीं किया है ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि आज यह समस्या उत्पन्न हो गई है कि गेहूं का थोक व्यापार आपने ले लिया है लेकिन चीनी, मिट्टी का तेल, लोहा वगैरह किसान को कंट्रोल रेट पर नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार किसान को गेहूं की खरीद के साथ सीमेंट लोहा वगैरह देने की व्यवस्था करेगी ? क्या सरकार इन कंट्रोल्ड आइटम्स का व्यापार अधिग्रहण करके किसानों को लाभ पहुंचावेगी ?

श्री बेनी सिंह—]

श्रीमन्, इस व्यापार के अधिग्रहण करने का विचार अभी नहीं किया है लेकिन मैं इस हाउस में यह कह चुका हूं कि हम देहात में न्याय पंचायतों में मिनी स्टोर कायम करके किसानों को यह चीजें देने का यत्न करेंगे। इस समय जो सेन्टर्स हैं उनमें दिक्कतें हैं तो हम इनको बढ़ाकर देने की बात सोच रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा किसान के नजदीक जाना चाहते हैं जिससे सभी सामान मिट्टी का तेल, लोहा वगैरह उसको मिल सके। हम यह सभी चीजें किसान को एक ही जगह से देने का प्रयत्न करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी शादी व्याह के लिये चीनी के कोटे की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे?

श्री बेनी सिंह—

जी हां, कर रहे हैं।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

जब से चीनी का थोक व्यापार आपने एफ० सी० आई० को दे दिया है क्या आपके पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि एफ० सी० आई० से आज अगर गांव का आदमी कोटा लेने जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा रिश्वत चल रही है?

श्री बेनी सिंह—

यह भी एक शिकायत आयी थी। उसको रफा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके वितरण की प्रणाली को बदल रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। उतनी देर के लिये मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे अपने सुझाव हमको दें और जो बदलाव हम कर रहे हैं उसमें हमारी मदद करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

चीनी का आपने पूरा अधिग्रहण नहीं किया, 70 फी सदी ले रहे हैं और 30 फीसदी छोड़ रखी है। इसी कारण बाजार के अन्दर भाव का असंतुलन हो जाता है। तो क्या सरकार पूरी चीनी को हाथ में लेकर उसका वितरण करने पर विचार करेगी?

श्री बेनी सिंह—

अभी ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

शहर और देहात में चीनी की तकसीम में बहुत बड़ा फर्क है। देहात के लोगों को 16 महीने में एक किलो चीनी मिलती है और शहर में एक यूनिट पर एक किलो महीने में मिलती है। तो कब आप देहात को शहर के बराबर देना शुरू करेंगे?

श्री बेनी सिंह—

इस सिलसिले में भी मैं आपके समक्ष निवेदन कर चुका हूं कि हम देहात में कार्ड बांटने जा रहे हैं और वहां भी यूनिट वाला सिस्टम चलाने वाले हैं। कार्ड हमारे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया प्रेस में छप रहे हैं। कुछ छप गये हैं और बंट भी रहे हैं। जिस-जिस जिले में बंट जायेंगे उसमें हम करेंगे। हां, अरबन एरिया का कुछ कोटा कम करना पड़ेगा। फिर आप शोर न मचाइयेगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मंत्री जी कह रहे थे कि सारे देहात में कार्ड बांट देंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 7–8 साल से चीनी और मिट्टी के तेल का कुल कन्जम्पशन क्या है और आपके पास उनके अगेन्स्ट स्टाक क्या है ?

श्री बेनी सिंह—

यह सूचना यकायक तो नहीं दी जा सकती।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी कार्ड की बात कह कर इस हाउस को गुमराह कर रहे हैं। जितनी मात्रा में ये चीजें चाहिये उससे बहुत कम इनके पास हैं। कार्ड सबको बंट जायगा तो मिलेगा कहां से ?

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

जिस दिन से एफ0 सी0 आई0 के हाथ में चीनी का थोक व्यापार गया है क्या मंत्री जी को मालूम है कि कुछ महीने तो चीनी का कोटा दुकानदारों को मिला ही नहीं और दुकानदारों को इतनी परेशानी होती है कि वह मजबूर हो जाते हैं कोटा छोड़ने के लिये ? क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे दुकानदारों को आसानी से एफ0 सी0 आई0 से चीनी प्राप्त हो सके ?

श्री बेनी सिंह—

इस प्रकार की जनरल इन्फार्मेशन तो नहीं है लेकिन जैसी इत्तला आयी है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे ह।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि आज कल देहातों में चीनी, सीमेंट, मिट्टी का तेल, सब गायब हो गया है? बिजली की जो क्राइसिस चल रही है, यों तो देहात में कोई बिजली लेता नहीं लेकिन मिट्टी का तेल पूरी तरह से गायब है। तो इन सब चीजों को उपलब्ध कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री बेनी सिंह—

माननीय सदस्य की इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूं कि देहात से बिल्कुल गायब ह। कमी हो सकती है। अगर कोई खास जगह ऐसी बात हो तो बतायें, हम व्यवस्था करेंगे।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

खाद्य मंत्री साहब को क्या यह वाकफियत है कि जो लाइसेंस दिये गये हैं उसमें इस बात का खयाल नहीं रखा गया है कि करीब ही की जगह पर दिया जाय ? मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि बाराबंकी में एक मौजा है मगरवल, उसको शकर मिलती है 12 मील पर रसौली से। तो आधा सेर शक्कर के लिये 12 मील जाना पड़ता है।

श्री बेनी सिंह—

आप मुझे बता दें, मैं दिखवा लूंगा।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई—

आप नोट कर लें मेरे यहां मंगरवल ग्राम के लोगों को बाराबंकी से जाकर शकर लानी पड़ती है। तो यदि मंगरवल के करीब एक दो मील के फासले पर ही अगर दूकान हो तो लोगों को सुविधा हो जायेगी।

श्री बेनी सिंह—

मैं इसे विखा लूंगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

पहले अप्रैल से आपने गेहूं के व्यापार को अधिग्रहण कर लिया है किन्तु उसका रेट कम होने के कारण वह आपको नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आप गेहूं के दाम अधिक दिलाने की कोशिश करेंग ?

श्री बेनी सिंह—

इस सवाल से यह कहां उठता है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

जैसा कि अभी भाई कृष्णानन्द राय जी ने, प्रश्न किया, किसान को मिलने वाली अन्य आवश्यक वस्तुयें जैसे चीनी, कपड़ा, तेल आदि हैं जिनके दाम काफी अधिक हैं, क्या आप इनके मूल्य के अनुपात में गेहूं का दाम निर्धारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

इस पर बहुत बार बात हो चुकी है। कीमत जो है उसमें बढ़ने की कोई गुंजायश नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

पिछले साल थोक व्यापारियों ने जिस भाव पर किसान का गल्ला खरीदा था क्या उसी भाव पर आप भी खरीदने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मैं जवाब दे चुका हूं। फिर यह सवाल इससे कहां उठता है।
(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जब आपने उनको उत्तर के लिये पुकारा है तो उनको उत्तर देना चाहिये।

श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वे गांव में कार्ड्स बांटने की व्यवस्था करा रहे हैं। तो क्या उन्होंन यह कैलकुलट करके देख लिया है कि वहां पर प्रति यूनिट जितनी चीनी देंगे उसके हिसाब से उनके पास स्टाक में उतनी चीनी है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या जो चीनी उन्होंने छोड़ रखी है उसको भी अपने हाथ में लेने की कृपा करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

हम हिसाब लगा लेंगे। जितनी हमारे पास होगी उसी हिसाब से बांटेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी सदन को यह आश्वासन दे सकेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में अपनी योजना अनुसार राशन कार्ड्स बनवाकर चीनी, मिट्टी का तेल इत्यादि बंटवाने की व्यवस्था आगामी तीन महीने में वह कर लेंग ?

श्री बेनी सिंह—

[मैंने कहा जल्दी से जल्दी हम करेंगे। उनको हो या न हो, हमको जल्दी जरूर है। जितनी जल्दी हो सकगा करेंग।

सुन्दरपुर, शाहजहांपुर के श्री हरीसिंह चुनारिया की हत्या एवं शव परीक्षण

**3—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर के थाना सेरामऊ उत्तरी के ग्राम सुन्दरपुर के निवासी श्री हरीसिंह चुनारिया सुपुत्र स्वर्गीय भूतपूर्व संसद सदस्य, श्री हीरा सिंह चुनारिया की नृशंस हत्या 22–3–73 को दिन दहाड़े गोली मार के कर दी गई और जब 23–3–73 को लाश सिविल सर्जन के सुपुर्द पोस्ट मार्टम को की गई फिर भी 25–3–73 को रात्रि के 8 बजे तक पोस्ट मार्टम नहीं किया गया और पोस्ट मार्टम हेतु जिलाधिकारी को हस्तक्षेप करना पड़ा तथा आज तक कोई गिरफ्तारी भी पुलिस न कर सकी ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22–3–73 को 3 बजे प्रातः श्री हरीसिंह पुत्र हीरा सिंह निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना सेरामऊ उत्तरी जिला शाहजहांपुर को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने की सूचना उसी दिन दोपहर को थाना सेरामऊ उत्तरी पर प्राप्त हुई। शव परीक्षण हेतु मृतक का शव 22–3–73 को भेजा गया तथा 23–3–73 को शव परीक्षण किया गया। शव परीक्षण से मृतक के शरीर से कोई छर्रा नहीं मिल सका था, परन्तु मृतक के संबंधियों द्वारा जिलाधिकारी से शव का एक्सर करा कर छर निकालने की प्रार्थना करने पर दिनांक 25–3–73 को मृतक के शरीर से छर्रा निकाला गया था।

उक्त हत्या के संबंध में तीन नामजद अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों को पुलिस ने 23–3–73 को ही गिरफ्तार कर लिया था। एक फरार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 87/88 जा0 फौ0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दी गई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मंत्री जी ने बताया कि पहले पोस्ट मार्टम में छर्रा ही नहीं निकला, जब दुबारा उनके सम्बन्धियों के निवेदन करने पर पोस्टमार्टम हुआ तो छर्रे निकले, तो इस तरह से 3–4 दिन तक उनका शव क्यों पड़ा रहा जब कि उनके पिता भूतपूर्व संसद सदस्य थे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

23–3–73 को जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें छर्रा नहीं निकल सका, लेकिन जब उनके सम्बन्धियों ने एस0 एस0 पी0 और जिलाधीश को प्रार्थना-पत्र दिया। तो उन्होंने पुनः एक्सरे करके पोस्टपार्टम करने का आदेश दिया किन्तु उस दिन टेक्नीशियन के न होने के कारण नहीं हो सका और जब उसके विशेषज्ञ डाक्टर कनौजिया आए तो उन्होंने एक्सरे कराकर पोस्टमाटम किया तो उसमें छर्रा निकला था। प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर ही शव रोका गया था और छर्रा निकालने की कोशिश की गई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

23 तारीख को पहला जो पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो पहला पोस्टमार्टम हुआ, उसमें छर्रा नहीं निकला इसलिए गोली की मार संदिग्ध रही, लेकिन उनके सम्बन्धियों ने प्रार्थना-पत्र दिया उस पर डी0 एम0 ने आदेश दिया कि उसका पोस्टमार्टम एक्सरे करने के बाद किया जाए। उसके बाद उनका एक्सरे करके आपरेशन करने पर छर्रा निकाला गया।

श्री रामधारी शास्त्री—

इसमें लिखा है, शव परीक्षण से मृतक के शरीर में कोई छर्रा नहीं मिल सका था परन्तु मृतक के सम्बन्धियों द्वारा जिलाधिकारी से शव का एक्स-रे करा कर छर्रे निकालने की प्रार्थना करने पर दिनांक 25-3-73 को मृतक के शरीर से छर्रा निकाला गया था, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि डाक्टर से मुलाजिमात की सांठगांठ थी, जिसके कारण पोस्ट-मार्टम में सही रिपोर्ट नहीं आ सकी थी? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वह उनके विरुद्ध तत्काल कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

बिना एक्स-रे किये पोस्टमार्टम करने के कारण छर्रा नहीं उपलब्ध हो पाया। इसमें इंक्वायरी की कोई बात नहीं है।

जब एक्सरे एक्सपर्ट को दिया गया, डाक्टर कनौजिया को तो उन्होंने निकाला। इस तरह से छर्रा उपलब्ध हो गया?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह बड़ी गम्भीर बात है कि डाक्टर को पहली बार छर्रा नहीं मिला और इसके बारे में उसने नहीं लिखा। जहां से छर्रा अन्दर गया होगा, वहां पर इन्ट्री उन्ड होगा और डाक्टर ने इन्टर्नल एक्जामिनेशन किया होगा, तो उससे भी मालूम हो सकता था। तो हर तरह से प्रागदर्शन में यह निकलता है। एसा मालूम होता है कि या तो डाक्टर ने लापरवाही की या उसने जानबूझकर कोई गड़बड़ी की है। तो क्या इसकी किसी उच्चाधिकारी द्वारा उच्चस्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वास्तव में यह गम्भीर चीज है कि छर्रा ट्रेस आउट नहीं हो सका। यह मालूम था कि छर्रा लगा जरूर है और वह उससे मरा है, वैसे अपने आप थोड़े मर जाता। इसकी इंक्वायरी आप कृपा करके करायेंगे कि उन्होंने बेपरवाही की है या और कुछ किया है। इसको आप सावधानी के साथ और गम्भीरता से देख लें। इस क्वैश्चन को इनक्वायरी आप कृपा करके फिर करेंगे कि उन्होंने बेपरवाही की या क्या किया?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने पहले कहा कि पहले अटेम्ट में छर्रा नहीं मिला। लेकिन जैसे उन्होंने दरख्वास्त दी, डी0 एम0 ने डाइरेक्शन दिया, उसका एक्स-रे हुआ और एक्सपर्ट बुलवाया गया।

श्री रामधारी शास्त्री—

पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्या लिखा है डाक्टर ने, वह पढ़ कर बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

पोस्ट मार्टम रिपोर्ट इसीलिए होती है कि मृत्यु का कारण बताएं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मालूम होता है कि यह रिपोर्ट भी बिक गयी है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

डेथ ड्यू टु शाक ऐण्ड हैमरेज ड्यू टु गन शाट उंड। लेकिन यह नहीं लिखा है कि छर्रा उपलब्ध हुआ। छर्रा नहीं उपलब्ध हो पाया।

श्री रामधारी शास्त्री—

गन शाट हुआ लेकिन छर्रा नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

उसने शाट लिखा है। यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि लोकेशन उस छर्रे का न मालूम हो।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, यह बात नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह बात स्पष्ट हो गयी कि डाक्टर ने इतना मान लिया कि गनशाट से मृत्यु हुई। केवल इतनी बात रह जाती है डाक्टर के छर्रे को न ढूंढने से यह किस बन्दूक से, किस पिस्तौल से यह छर्रा लगाया गया, यह चीज संदिग्ध रह जाती यदि 25 तारीख को फिर पोस्ट मार्टम न होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे, हो सकता है कि डाक्टर ने दोषी व्यक्ति को छिपाने के लिये ऐसा किया हो?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैंने पहले कहा कि जांच में आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस समय पोस्ट मार्टम होता है छर्रा नहीं मिलता है, डाक्टर फेल भी हो सकता है आपरेशन में। लेकिन फिर एक्स-रे करवाया गया, एक्सपर्ट बुलवाये गये डाक्टर कनौजिया, उन्होंने छर्रा निकाल दिया।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

वह इनक्वायरी करवायेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

छर्रे कितने निकले यह बता दें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एक छर्रा निकला।

श्री बंशीधर पांडेय—

इनक्वायरी किस बात की करवायेंगे। 23 तारीख को जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट हुई डाक्टर ने उसको बिगाड़ दिया। जब फिर 25 तारीख को पोस्ट मार्टम हुआ तो छर्रा निकला। मन्त्री जी 23 तारीख की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो मुकदमा बिगाड़ दिया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर 25 तारीख की रिपोर्ट को देखते हुए फिर से मुकदमा कायम करवायेंगे और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

वह तो होगा ही। वह तो नेचुरल है।

श्री रामधारी शास्त्री—

87–88 की कार्यवाही जो दूसरे व्यक्ति से खिलाफ की गयी वह कार्यवाही किस तारीख को हुई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दो अभियुक्त तत्काल गिरफ्तार हो गये हैं। रोशनलाल अभियुक्त फरार है। उसके खिलाफ दफा 87-88 की कार्यवाही की गयी। तारीख मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन वह कार्यवाही हो गयी है। और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

श्री रामधारी शास्त्री—

प्रश्न करने के बाद 87-88 की कार्यवाही हुई या पहले हुई थी?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं बुलाया गया)

राजकीय क्षय चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में बिजली का प्रबन्ध

**4—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कि राजकीय क्षय चिकित्सालय ठाकुरगंज, लखनऊ में अन्य अस्पतालों की भांति बिजली पूरे दिन नहीं रहती जिससे रोगियों को काफी असुविधा हो रही है? क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल में खस टट्टियों का भी प्रबन्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इन असुविधाओं को अविलम्ब दूर करेगी?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

जी नहीं, बिजली टी0 बी0 अस्पताल, ठाकुरगंज में दिन में 1 बजे से शाम को 6.30 बजे तक नहीं रहती।

जी हां। जी हां।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

कटिम-बरचड़ा (बदायूं) के श्री मेवाराम जाटव के यहां पड़ी डकैती की रिपोर्ट पुलिस द्वारा चोरी में लिखा जाना

*1—श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित), श्री वंशीधर पांडेय तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 26 अथवा 27 फरवरी, 1973 को श्री मेवा राम आदि जाटव निवासी ग्राम कटिमा-बरचड़ा थाना, कापर चौक, जिला बदायूं के यहां भीषण डकैती हुई और जब यह हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखाने गये तो पुलिस दरोगा ने उलटा इन्हीं हरिजनों को मारा-पीटा जिसमें यह लोग गांव छोड़ बदायूं में पड़े हैं और इन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी मुख्य मन्त्री आदि को तुरन्त मदद के लिये रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है? यदि हां, तो इनकी मदद में क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 27-2-73 को थाना कादर चौक, बदायूं पर मेवा राम जाटव द्वारा दिनांक 26/27-2-73 की रात्रि में उसके घर में हुई चोरी की लिखित सूचना दी गई जिस पर धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग अंकित किया गया जो विवेचना के मध्य धारा 392 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। श्री मेवा राम का मुख्य मन्त्री आदि को संबोधित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसे उसने भेजना अस्वीकार किया। इस सम्बन्ध में जांच कराने से पुलिस दरोगा द्वारा हरिजनों को मारे-पीटे जाने एवं उनके गांव छोड़ बदायूं में पड़े रहने की बात असत्य पाई गई।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि रिपोर्ट सही नहीं लिखी गयी। मेवा राम की शिकायत पुलिस से थी कि विवेचना में केस 392 का पाया गया तो प्रथम सूचना देने पर 392 में न लिखे जाने का क्या कारण है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर ही पहला अभियोग कायम किया गया लेकिन जब विवेचना हुई तो उसमें परिवर्तन किया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यही तो उस आदमी की शिकायत थी। क्या मन्त्री जी मुख्य मन्त्री को दिये गये प्रार्थना-पत्र को इस सदन में रखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मेवा राम स्वीकार ही नहीं करते कि जो प्रार्थना-पत्र दिया गया है उस पर उनके दस्तखत हैं और जो प्रथम सूचना दी गयी उस पर अभियोग अंकित किया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

प्रार्थना-पत्र के बारे में मन्त्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है। लिहाजा वह उसे इस सदन के सामने पढ़ दें। मैंने यह नहीं पूछा कि उसने उस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया या नहीं किया?

श्री अध्यक्ष—

जो लिखित सूचना दी गई उसके अधार पर चोरी का अभियोग लगाया गया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पहली लिखित सूचना को छोड़ दीजिये। जो मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा है वह मन्त्री जी पढ़ दें?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसे मैं पढ़े देता हूं लेकिन मेवा राम ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इस तरह का कोई पत्र नहीं लिखा है।

'सेवा में,

महोदय,

विषय—: हम अछूतों के साथ पुलिस ज्यादती के विरोध में।

सविनय निवेदन है कि मेरे घर पर 26/27-2-73 को 5 व्यक्ति डाकू घर में घुस आये जो कि अनाधिकार प्रवेश था जिनमें से एक को लूट मार करते हुए मैंने पकड़ लिया जिसका कि नाम रघुबीर गांव बरचऊ का रहने वाला है जिसके पास से एक कारतूस की पेटी जिसमें कि 13 कारतूस भरे हुए तथा टार्च व 3 जोड़े जूते डाकुओं से छीन कर पुलिस को मौके पर रिपोर्ट करने पहुंचे जिनके नाम इस प्रकार हैं: मैंकू, सन्तू, नक्सू, बद्री। हम सब जाटव 25 हैं। थाने पर पहुंचने पर बड़े दरोगा जी ने थाने के पीछे खेत था उसमें हम लोगों से कूड़ी बनवाई उसके बाद गमट्टी बीनने को कहा। यह काम करने के बाद खड्डी हम लोगों से डलवाई गयी। तथा घृणित घृणित गालियों से सम्बोधित किया। अभी तक रपोर्ट नहीं लिखी गयी। तुम सालों कौम के चमार हो। तुम्हारे यहां डाका क्या पड़ा होगा। इसलिये पहले तुम लोग काम करो। हम लोगों ने रिपोर्ट लिखने को कहा काम करने को मना किया तो हमें धमकाया गया और कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी। मेरी रिपोर्ट पर दरोगा जी मेरे गांव में आये तथा मुलजिम को पकड़े हुए गांव से ले गये। जब रिपोर्ट लिखी गई और गांव में आने पर हमने मुलजिमों से बरामद हुआ सामान उनके हवाला किया ताकि वह अदालत में पेश करें। दरोगा जी

के आने पर मेरे पिता जी ननकू ने मेरे बहनोई रामलाल के समक्ष घर के अन्दर मड़ा में 50 रुपये दिये ताकि वह मेरे मुकदमें में ज्यादा दिलचस्पी रखें। इन पांचों डाकुओं ने हमारे घर में लूटमार करते समय दो फायर भी किये जो कि थाने में अंकित नहीं किये गये हैं। डकैती की रपट को छिपाते हुए चोरी का मुकदमा कायम किया गया। मुलजिम को मैंने पकड़ लिया था जिसको छुड़ाने के लिये मुझे मारा पीटा गया जिसकी चोटें अब जो मैं महसूस करता हूं इस प्रकार का कोई जिक्र रिपोर्ट में नहीं किया गया है। डाकुओं के आवाज तथा आस पास का शोर सुनकर हमारे गांव के लोग इकट्ठे हो गये। वे तथा गवाहान आ गये जिन्होंने मौके पर देखा है। हमारे गांव के लाइसेन्सदारों में श्री राजेन्द्र सिंह, श्री सोहनपाल इत्यादि ने फायर भी किये। डाकू लोग हमारा माल जेवर, कपड़ा, बर्तन व नगद लूटकर ले गये। जिन लोगों पर मैंने रपट की है तथा मौके पर पहचाना है उन्हें अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है न कोई दिलचस्पी ही ले रहे हैं इस कानूनी कार्यवाही अमल में न होने के कारण बदमाश लोगों की सिफारिशों, हम लोगों पर नाजायज दबाव डाल रहे हैं और पीटने की धमकियां गांवों से भगाने की दे रहे हैं जिनके कि आतंक से हम लोग परेशान हैं।

अतः श्रीमान् जी निवेदन है आजकल हिन्दुस्तान आजाद होने के बावजूद भी हम अछूत लोगों के साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं। पुलिस हम लोगों की रक्षक है न कि भक्षक जिसको हम लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिये वह न करके परेशान करते हैं। भारत सरकार की ओर से हम अछूतों को विशेषाधिकार तथा विशेष सुविधायें दी जाती हैं और जिले के अधिकारी लोगों को हम लोगों की विशेष देखरेख के आदेश भी दिये जाते हैं लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं किया।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस काण्ड की न्यायिक जांच कराई जाय कुसूरवार डाकुओं तथा पुलिस के विरोध में सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाये अ० नं० 35 धारा 457/300 भा० दं० वि०।

नोट—यदि हम लोगों के साथ इस प्रकार से अत्याचार हुए तथा पुलिस ने हमारी रक्षा डाकुओं से न की गई तो हम लोग गांव छोड़ कर विधान सभा लखनऊ, के समक्ष भूख हड़ताल करूंगा। प्रार्थी, मेवाराम पुत्र ननकू कौम जाटव निवासी ग्राम कटिन्ना बरऊ थाना कादर चौक जिला बहराइच।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन, जब इस व्यक्ति ने न्यायिक जांच के लिये कहा तो किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई और उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच कराई गई।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, पुलिस के खिलाफ साजिश की शिकायत है और उसी के द्वारा जांच कराई गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माम्यवर, माननीय सदस्य को हरिजनों के प्रति बड़ी पीड़ा है, इसमें हरिजनों की ही लड़ाई है और हरिजन ही अभियुक्त हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

इससे कोई मतलब नहीं है और हरिजनों का कोई सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह है कि पुलिस ने एफ० आई० आर० गलत लिखी, इस मामले को दबाया और यह कह कर आवेदन-पत्र नहीं

पढ़ा गया कि उसने इससे इंकार किया है तो यह सब पुलिस की साजिश है इसलिये मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे पुलिस के खिलाफ न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण —

मान्यवर, पहली रिपोर्ट उसकी लिखी हुई है और दूसरी के लिये वह कबूल नहीं करता है और पहली रिपोर्ट के बारे में वह स्वयं कहता है कि उसने लिखाई ऐसी स्थिति में पुलिस ने विवेचना करके जो एक्शन लिया है उसको कैसे कहा जा सकता है कि वह जस्टीफाईड नहीं है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मन्त्री जी ने बताया कि उसकी लिखित रिपोर्ट मौजूद है तो क्या वह बतायेंगे कि उसके लेखक कौन हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसके लेखक सूरज पाल शर्मा हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं कह रहा था कि हरिजन बिना पढ़ा-लिखा था जब वह थाने गया और कहा कि डकैती हो गई है तो पुलिस ने कहा कि डकैती नहीं यह चोरी हुई है जबकि जब कोई बिना पढ़ा-लिखा जाय तो उसकी रिपोर्ट उसके कहे अनुसार वैसे ही लिख लेना चाहिये लेकिन पुलिस ने शर्मा जी से रिपोर्ट लिखा ली....

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

लेखक सूरज पाल शर्मा हैं उन्होंने ही लिखाई।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उनसे पुलिस ने जैसे चाहा लिखा लिया....

श्री बंशीधर पांडेय—

इस बात को देखते हुए कि इसमें पुलिस का काफी दबाव है क्या मन्त्री जी किसी एस० डी० ओ० या मैजिस्ट्रेट से इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

इसकी कोई आवश्यकता इसलिये नही मालूम होती कि पहली रिपोर्ट सूरज पाल शर्मा ने लिखाई है और मुख्य मन्त्री जी को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें गांव सभा के प्रधान श्री रस्तोगी भी जो ऊंची कास्ट के हैं उनकी है और उन के आधार पर जैसे पुलिस ने विवेचना...

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दरोगा के खिलाफ अगर जांच डी० वाई० एस० पी० करेगा तो वह उन का समर्थन ही करते हैं, आपके सामने बात आ गई और कह दिया गया कि मूल प्रार्थना-पत्र नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि डी० वाई० एस० पी० के बजाय जो वहां के क्षेत्राधिकारी हैं, एस० डी० ओ० हैं उनके द्वारा जांच करा के क्यों नहीं सन्तोष दिया जाता ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

एस० डी० एम० से जांच कराने में कोई आपत्ति तो नहीं है लेकिन पहली बात तो मैं ने भी सूरज पाल शर्मा की बतायी और दूसरे प्रधान जो रस्तोगी हैं उन्होंने भी दरख्वास्त मुख्य मन्त्री जी को भिजवाई। ऐसी स्थिति में जब पुलिस अपनी विवेचना के आधार पर धारायें निर्धारित करती हैं और उचित कार्यवाही कर दी जाती है तो क्या एतराज है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपने जो पूरी चिट्ठी पढ़ी उसमें पहले ही आप देखेंगे कि उसमें लिखा है कि इस आदमी को पकड़ा गया और कुछ झगड़ा जरूर है, खाली यह बात नहीं है कि चुपचाप चोरी की बात हुई, मैं समझता हूं और ऐसा लगता है कि वह लोग हथियारबन्द थे, जब ऐसी बात है तो शक पैदा हुआ एक बात यह है कि लिखने वाला दूसरा और वे कहते हैं कि हमने नहीं लिखी। हम इस चीज को मन्जूर नहीं करते कि चोरी की लिखायी। यह चीज मौजूद है और आपको सारा पता होना चाहिये।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उसने जो एफ0 आई0 आर0 में जो लिखा है, कि पी ने नहीं कहा कि जबरदस्ती से लिखाया गया है और गलत है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। विवेचना पर पुलिस ने सोचा कि धारा में परिवर्तन करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

चोरी में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके बाद दफा 392 में चेन्ज कर दिया गया तो डकैती में आ गया। जब पहले दरख्वास्त लिखी गयी, वह दबाव के कारण भी हो सकती है तो इसकी इन्क्वायरी कराने में आपको क्या दिक्कत है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं लेकिन (व्यवधान) इसके बाद यह प्रश्न उठता है। जब उन्होंने एफ0 आई0 आर0 पर कोई आपत्ति नहीं की तो पुलिस ने अपनी विवेचना की उसके बाद यदि आवश्यक हो तो वह धारा 392/396 लगा सकती है, तो उनके खिलाफ जांच कराने की क्या आवश्यकता होती है ?

श्री अध्यक्ष—

तो अपने पत्र में पुलिस की शिकायतें वे क्यों करते ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

उस पत्र को तो उसने इन्कार किया है।

श्री अध्यक्ष—

पुलिस की शिकायत है, आप इसे पढ़िये ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, इनसे 3 सवाल और जान लीजिये, एक तो एफ0 आई0 आर0 जो दर्ज हुई, वह किस तारीख को दर्ज हुई, दूसरे आवेदन-पत्र उसने किस तारीख को दिया और तीसरे यह कि धारा 392 किस तारीख को परिवर्तित की गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो उसने प्रार्थना-पत्र दिया, उनकी ओर से, उसमें कोई तारीख नहीं पड़ी हुई है। (शोर) हमारे यहां तो उसकी कापी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मिली कब ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

किस तारीख को रिसीव हुई, यह उस पर नहीं लिखा जाता है। हमारे पास कापी उपलब्ध है, लेकिन आपको विशेष जानकारी होगी। जो पहली एफ0 आई0 आर0 है वह 26-27 फरवरी, 1973 को लिखी गयी थी।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, 26–27 फरवरी, 1973 की घटना है। मैं जानना चाहता हूं कि दफा 392 किस तारीख में परिवर्तित हुई, किस अधिकारी की रिपोर्ट पर और कौनसी तारीख को?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

पुलिस ने अपनी विवेचना में पाया और किया। तारीख की कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, ये बिलकुल गलत बयानी कर रहे हैं ये अपनी पुलिस को बचा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष —

आपको इसकी इन्क्वायरी करने में क्या दिक्कत है?

श्री बंशीधर पांडेय —

श्रीमन्, आपकी भी राय है, सदन की भी राय है तो मैं चाहता हूं कि इसकी एस0 डी0 एम0 से जांच करवा लें?

श्री अध्यक्ष—

ये जांच करायेंगे? (व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय—

एस0 डी0 एम0 से जांच करवा दें, आप, मान्यवर, ऐसी आज्ञा दे दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, आप ऐसी आज्ञा दे दें।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है ही। वह मानते हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आपका आदेश होगा, मान्यवर, तो मान लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं, मान लेंगे।

यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विस एसोसियेशन का धरना एवं मांगें

*2—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू0 पी0 फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रीयल सर्विस एसोसियेशन की ओर से क्रमिक अनशन दिनांक 7 मार्च, 1973 से विधान भवन के द्वार के सामने चल रहा है? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं? सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

फेडरेशन के जिला शाखा लखनऊ की ओर से एक क्रमिक धरना विधान भवन के सामने दिनांक 5–3–1973 से दिनांक 9–3–1973 तक, अनुसूची में उल्लिखित अपनी मांगों को लेकर, मनाया गया।

शासन कर्मचारियों की सभी उचित मांगों को अपने सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए यथासम्भव पूर्ण करने के लिये सदैव तत्पर है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 949 पर)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

पहली बात तो, मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने 69 लिख दिया है, उसे 73 करके करेक्ट कर लें। दूसरी बात, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जवाब बड़ा गोल-माल दिया है। यह कहा है कि संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, हम उनकी मांगों पर विचार कर रहे हैं। मैं, श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि उनकी 6 मांगें हैं। इन 6 मांगों में से कौन-कौन सी मांगें स्वीकार हो गयी ह?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। वह सभी माननीय सदस्यों को मिल जायेगी। उसके बाद फिर देख लेंगे, क्या रह जाता है। उस पर विचार कर लेंग।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, प्रश्न है कि कौन-कौन सी मांगें देखी है? इन्होंने एक कहकर छुट्टी कर दी।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद देख लेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वेतन आयोग में ये 6 मांगें नहीं हैं, नं0 1 ही है।

श्री अध्यक्ष—

वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित हो जायगी, तो सब मांगों के लिये विचार होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वह नहीं है मान्यवर, यह तो एक मांग के लिये है कि वेतन आयोग में प्रकाशित किया जाय। बाकी मांगें है कि समान कार्य के लिये समान वेतन की दर को लागू कर सचिवालय तथा गर-सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन-मान एक सा गठित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह भी उसमें आया होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

उसके अन्दर नहीं है। मैं जानकारी दे रहा हूं कि वेतन आयोग के टर्म आफ रेफेरेंस में ये सब चीजें कवर्ड नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कैसे कह सकते हैं?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अपनी जानकारी से कहता हूं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

वेतन आयोग में कोई बात बचेगी, तो बाद में विचार कर लेंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अच्छा यही बतला दें कि वेतन आयोग के टर्म आफ रेफेरेंस में ये मांगें हैं कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

वेतन आयोग के टर्म आफ रेफेरेंस में 6 मांगें हैं कि नहीं, उनको क्या मालूम ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

वेतन आयोग के टर्म आफ रेफेरेंस में कौन-कौन सी मांगें कवर होती हैं, यह इनको मालम होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

उन्हें जितना मालूम था, जवाब दे दिया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, अगर यह इनकम्पलीट रह जाता है, तो इसे आप स्थगित कर दें । 5/7 दिन बाद फर ले लें, उसे ।

श्री अध्यक्ष—

उत्तर हो गया । आप फिर पूछ लें, कि यह उत्तर दे दिया गया था, इसका क्या जवाब है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । शोक प्रस्ताव वाला पहले होगा ।

* 3—श्री अनन्तराम जायसवाल, श्री जयराम यादव, श्री बंशीधर पाण्डेय, चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी, तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[12 वें वृहस्पतिवार के लिये प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

* 4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

* 5—श्री जयराम वर्मा —

[स्पष्टीकरण हेत हटाया गया]

नोट—तारांकित प्रश्न 2 के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को राजनैतिक पेंशनें एवं मेडल

*6—श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को क्या राजनैतिक पेंशन दी गई है जब कि स्वतंत्रता संग्राम में वे एक दिन भी जेल नहीं गये ? तथा उनके विरुद्ध सी० बी० आई० की जांच जारी होने के बावजूद भी क्यों उनको पुलिस मेडल प्रदान किया गया ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जी हां, पेंशन स्वीकृत की गई है जो कि नियमानुकूल है। सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध सी० बी० आई० द्वारा जांच किये जाने की कोई सूचना शासन में उपलब्ध नहीं है।

*7—श्री हीरासिंह बोरा—

[11वें बृहस्पतिवार के लिये प्र० सं० 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व उनके आवास भवन

*1—श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश राजकीय आदर्श विद्यालयों में 1967 से 1972 तक हरिजन तथा पिछड़े वर्ग में से कितने प्रधानाध्यापकों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने नियुक्त किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उक्त अवधि में राजकीय आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हरिजन तथा पिछड़े वर्ग में से किसी भी व्यक्ति से कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ। प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री किशन लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में खोले गये किन-किन आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सरकारी क्वार्टर फ्रीरेन्ट (किराया मुक्त) दिये गये? क्या ऐसे भी आदर्श विद्यालय हैं जिनके प्रधानाध्यापक को आवास भवन तो दिया गया परन्तु उसे फ्री रेन्ट क्वार्टर न देकर उनसे किराया लिया गया? यदि ऐसा है, तो ऐसे कौन-कौन प्रधानाध्यापक हैं और उनसे कब तक की कितनी धनराशि ली गई? उन्हें वापिस न करने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

14 प्रधानाध्यापकों को।

जी हां। केवल एक।

राजकीय आदर्श विद्यालय, रुद्रपुर (नैनीताल) के प्रधानाध्यापक, श्री राम मूर्ति शर्मा तथा श्री रघुबीर सिंह नेगी।

(1) श्री राम मूर्ति शर्मा दिनांक 1–6–66 से 30–6–71 तक का रु0 953.20 न0 पै०।

(2) श्री रघुबीर सिंह नेगी––1–10–72 से 31–12–72 तक का रु0 74.00 वसूली नियमानुकूल है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्ति

*3––श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 37/1–69, नियुक्ति (ब), दिनांक जनवरी, 1970 द्वारा उप सचिव शासन के अनुसार कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक पद पर की गई और कुल की गई नियुक्तियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 60 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं जो कुल नियुक्तियों के वांछित 10 प्रतिशत से अधिक है कुछ मण्डलों से सूचना अभी प्रतीक्षित है।

बांदा जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें एवं प्रारम्भिक पाठशालाओं में उर्दू भाषा

*4––श्री दुर्जन (जिला बांदा)––

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के अन्तर्गत 30–11–65 के पूर्व से अध्यापन कार्य करने वाले जिला परिषद् के अप्रशिक्षित अध्यापकों जिनकी सेवायें 31–5–70 को समाप्त कर दी गई थीं उन सबकी सेवायें बहाल कर सेवा में ले लिया गया है और उनकी ट्रेनिंग संबंधी व्यवस्था कर दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जिन अप्रशिक्षित अध्यापकों की सेवायें 31–5–70 को समाप्त कर दी गयी थीं उन सबको पुनः सेवा में नहीं लिया गया है। केवल वही अध्यापक पुनः सेवा में लिये गये जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और चयन में योग्य पाये गये।

*5––श्री दुर्जन––

क्या मुख्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कतिपय राजाज्ञाओं द्वारा प्रारम्भिक पाठशालाओं में उर्दू भाषा को प्रोत्साहन देने हेतु उन पाठशालाओं के लिये जहां उर्दू पढ़ने वाले छात्र उपलब्ध हैं अतिरिक्त उर्दू अध्यापकों की स्वीकृति 70–71 व 71–72 में प्रदान की गई थी और इनका पैसा भी शासन द्वारा भेजा जाता है और इस सम्बन्ध में जनपद, बांदा में किन-किन तिथियों में कितने-कितने अध्यापक रक्खे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

जी हां।

14–5–71 को 13 अध्यापक,

27–1–72 को 1 अध्यापक और

31–1–72 को 1 अध्यापक रखा गया था।

जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के विरुद्ध शिकायत

*6—श्री हरिबंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 5-1-73 को एक विधायक का शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि बसिक शिक्षा अधिनियम लागू होन के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा घूस लेकर जूनियर हाई स्कूल की स्थायी एवं अस्थायी मान्यतायें पिछली तारीखों में दी जा रही हैं तथा डिस्पैच रजिस्टर में बटा लगा कर नम्बर लिखा जा रहा है? यदि हां, तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

कोई शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त नहीं हुआ ।

जिला परिषद् झांसी के स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल के भवन तथा साज-सज्जा पर व्यय

*7—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, झांसी को सन् 1964-65 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में प्रतिवर्ष कितने जूनियर हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति दी गई और प्रत्येक स्कूल की इमारत साज-सज्जा के लिये कितना रुपया दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 950 पर)

*8—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त जूनियर हाई स्कूल प्रतिवर्ष किस-किस ग्राम में खोले गये हैं ? क्या उक्त स्कूलों की इमारतें बन गई हैं और सरकार द्वारा दिया हुआ रुपया खर्च हो गया है ? यदि हां, तो इमारत कहां पर बनी है ? बाकी न बनने का क्या कारण है और कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 950 पर)

महाजन इण्टर कालेज एवं महाजन बालिका विद्यालय, मुन्डेरा बाजार गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

*9—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मन्त्री, जांच कर के बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोरखपुर में स्थित महाजन इण्टर कालेज एवं महाजन बालिका विद्यालय, मुन्डरा बाजार चौरी-चौरा से संबंधित शासन को एवं जिले के अधिकारियों को अलग-अलग कितनी शिकायतें प्रश्न कर्त्ता की तरफ से जून, 1972 से जनवरी 25, 1973 तक प्राप्त हुई हैं ? इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

चमोली जिले के आयुर्वदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवन

*10—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद चमोली में कुल कितने आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक चिकित्सालय हैं और उनमें से कितने चिकित्सालयों के भवन नहीं हैं ? वित्तीय वर्ष 1972–73 में कितने चिकित्सालयों के भवन बने और वित्तीय वर्ष 1973–74 में कितने चिकित्सालय भवन बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला चमोली में 36 आयुर्वेदिक तथा 21 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं, जिनमें से क्रमशः 34 तथा 12 के सरकारी भवन नहीं है ।

वित्तीय वर्ष 1972–73 में एक एलोपैथिक चिकित्सालय का भवन बना ।

वित्तीय वर्ष 1973–74 में एक एलोपैथिक चिकित्सालय के भवन का निर्माण स्वीकृत है ।

गोरखपुर जिले के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों के सी० पी० एड० तथा डी० पी० एड० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों का वेतन

*11—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर व बांस गांव के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों एवं इन्टर कालेजों में से प्राप्त किन-किन में सी0 पी0 एड0 एवं किन-किन में डी0 पी0 एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक कार्य कर रहे हैं ? इनमें से किन-किन विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों को उनका निश्चित तथा निर्धारित वेतन दिया जा रहा है और कितने को उक्त सुविधा से वंचित किया गया है और इसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इन तहसीलों के साहायिक हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों के प्रश्नगत अध्यापकों की योग्यता के अनुसार विद्यालयों की सूची संलग्न है ।

समस्त अध्यापकों को उसी पद का निर्धारित वेतन मिल रहा है जिस पर उनकी नियुक्ति की गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 951 पर)

प्रदेश के हरिजन पुलिस सर्किल इन्स्पेक्टर तथा झांसी कमिश्नरी के हरिजन थानाध्यक्ष

*12—श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी कमिश्नरी में कितने पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स थानाध्यक्ष हैं? इसमें कितने हरिजन थानाध्यक्ष हैं ? क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मे कितने पुलिस सर्किल इन्सपेक्टर हैं उसमें कितने हरिजन हैं ? यदि 18 प्रतिशत से कम है, तो सरकार कोई कार्यवाही करेगी जिससे हरिजन कोटा पूरा हो सके ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 जनवरी, 1973 को – झांसी कमिश्नरी में सब-इन्सपेक्टर थानाध्यक्षों की संख्या 85 व हरिजन थानाध्यक्षों की संख्या 2 थी ।

उत्तर प्रदेश में सर्किल इन्सपेक्टरों/इन्सपेक्टरों की संख्या.....349।
हरिजन इन्सपेक्टरों की संख्या.....।

थाना इन्चार्ज एवं इन्सपेक्टरों के पद सीधी भर्ती के पद नहीं हैं। इन पर हरिजनों के लिये 18 प्रतिशत आरक्षण नहीं होता था। अब इन्सपेक्टरों के चयन की कार्यवाही भविष्य में राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के परिपत्र संख्या 65-2-69-रा0 एकी0, दिनांक 8 मार्च, 1973 के अनुसार होगी जिसमें यह आदेश दिये गये हैं कि राज्याधीन पदों/सेवाओं में पूर्ण पात्रता के क्षेत्र में श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति के समस्त मामलों में अनुसूचित जाति के लिये 18 प्रतिशत का आरक्षण किया जायगा।

बौद्ध भिक्षु चीनी बाबा, कुशीनगर देवरिया की कथित हत्या

*13—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देवरिया के एक विधायक का इस आशय का एक पत्र दिनांक 5-1-73 को मिला है कि भिक्षु उरिसा उर्फ चीन बाबा कुशीनगर, जिला देवरिया की हत्या 19 दिसम्बर, 1972 को कर दी गई ? क्या इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गई थी कि बौध भिक्षु चीनी बाबा की हत्या अमुक व्यक्तियों ने उनकी चल सम्पत्ति हड़पने के ध्येय से की थी। स्थानीय पुलिस की जांच से ज्ञात हुआ कि चीनी बाबा की मृत्यु 90 वर्ष की आयु में स्वाभाविक रूप से हुई। अतः हत्या का कोई प्रश्न नहीं उठता और न ही अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता है।

[12 अप्रैल 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

थाना अध्यक्ष बांगरमऊ उन्नाव द्वारा पकड़ा गया हाइड़िल विभागीय तार एवं गाटर

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई सन् 1972 में उन्नाव जनपद में बांगरमऊ थाने के अन्तर्गत करीब 2 हजार किलो हाइडिल का तार चोरी से एक ट्रक द्वारा कानपुर ले जाते समय पकड़ी गई है जिसमें एक हाइडिल विभाग के इन्स्पेक्टर, श्री महेंद्र प्रताप नारायन मौके पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है और अब तक की जांच से किन-किन विभागीय कर्मचारियों का हाथ उक्त कांड में पाया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 19-4-72 को थानाध्यक्ष, बांगरमऊ ने हरदोई उन्नाव रोड पर एक ट्रक, जिसमें हाइडिल विभाग का तार व चार गाटर लदे हुए थे, को चार व्यक्तियों सहित पकड़ा था। पकड़े गये व्यक्तियों में प्रश्न में उल्लिखित हाइडिल विभाग के इन्सपेक्टर, भी थे। इस बारे में थाना बांगरमऊ पर एक मुकदमा धारा 379/411 भा0 दं0 वि0 का कायम किया गया है जिस में अभी विवेचना हो रही है। विवेचना पूरी होने पर ही तथ्यों का पता चल सकेगा।

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[16 वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रसार अध्यापकों की सेवा शर्तें वेतन मान सम्बन्धी वेतन आयोग को कथित निर्देश

*3—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रसार अध्यापकों की सेवा शर्त वेतन-मान तथा उन्हें समान योग्यता वाले अध्यापकों के समकक्ष लाने संबंधी विषय पर विचार करने का निर्देश वेतन-आयोग को दिया गया है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वेतन आयोग एक परामर्शदात्री संगठन है । अतः उसे निर्देश देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मोहकमपुर-देहरादून का डिवाइन लाइट मिशन आश्रम

*4—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून में मोहकमपुर ग्राम स्थित डिवाइन लाइट मिशन आश्रम से दिनांक 30 मई, 1972 को पांच साधु वेश में इस मिशन के अनुयायियों को पकड़ा जिन पर बलात्कार के आरोप हैं ? क्या सरकार को यह भी शिकायत मिली कि सारे क्षेत्र में इस मिशन के व्यक्तियों के विरुद्ध मनमाने ढंग से व्यभिचार फैलाने की घटनायें बढ़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बलात्कार के आरोप में डिवाइन लाइट मिशन ग्राम मोहकमपुर जिला देहरादून का कोई साधू नहीं पकड़ा गया है । उक्त मिशन द्वारा व्यभिचार फैलाने की सूचना शासन को नहीं प्राप्त हुई है । अतः सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*5—श्री राम गोपाल संड—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*6—सर्वश्री सुरेंद्र विक्रम, शम्भूनाथ चौधरी, जगदीश गांधी तथा सच्चिदानन्द गुप्त—

[23 वें बृहस्पतिवार में ता0 प्र0 सं0 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उप कुलपतियों के सम्मेलन में दिया गया सुझाव

*7—श्री राम गोपाल संड—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने प्रदेश के उपकुलपतियों का कोई सम्मेलन 24/25 सितम्बर, 1972 में आयोजित किया था ? यदि हां, तो इस सम्मेलन में उप-कुलपतियों ने उच्च शिक्षा के विषय में कौन सुझाव दिये ? क्या शासन उन सुझावों को कार्यान्वित करेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

23 सितम्बर, 1972 को प्रदेश के उपकुलपतियों से विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन हेतु विचार विमर्श हुआ था, जिसके उपरान्त "उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक "1972" तैयार किया गया जो विधान परिषद् के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

प्राइमरी स्कूल गुरगवा (शाहजहांपुर) के प्रधान अध्यापक, स्वर्गीय श्री राधे श्याम का वेतन

*8—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि स्वर्गीय श्री राधे श्याम, प्रधान अध्यापक, बेसिक प्राइमरी स्कूल, गुरगवा विकास क्षेत्र निगोही, जिला शाहजहांपुर ने अपने वेतन न मिलने के विषय में रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रार्थना-पत्र दिनांक 8 अगस्त, 1972 को शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा निदेशक, बरेली, आयुक्त बरेली तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिये ? जिनमें श्री राधेश्याम ने प्रार्थना की कि बीमारी की सख्त हालत है और इलाज को पैसा नहीं है वेतन तुरन्त दिलवाया जाय ? यदि हां, तो वेतन क्यों नहीं दिलवाया गया और क्या यह भी सही है कि पैसे के अभाव में इलाज न हो सकने के कारण श्री राधे श्याम की मृत्यु हो गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*9—10—श्री नेतराम सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

एस० डी० एम०, फरीदपुर (बरेली) की अदालत के बाहर अपराधी की मृत्यु

*11—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को ज्ञात है कि 22 जुलाई, सन् 1972 को एस0 डी0 एम0 फरीदपुर, जिला बरेली के सामने पुलिस को तीन मुल्जिम जिन पर कुछ व्यक्तियों को पिस्तौल की नोक पर लूटने का आरोप था अदालत में उपस्थित करने का आदेश था उनमें से एक अदालत के कमरे के बाहर ही चोटों की वजह से मर गया ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या हैं और सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना भुता जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम नवदिया के निवासी बद्रीपाल सिंह ने 21.7.72 को शाम को तीन व्यक्तियों को गांव वालों की सहायता से पकड़ कर थाना भुता पर प्रस्तुत किया और उनके विरुद्ध धारा 307/412 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्त गण के विरुद्ध उसी दिन एक अन्य रिपोर्ट धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज कराई गई थी। दिनांक 22-7-72 को तीनों अभियुक्तों को, जेल वारन्ट बनवाने के लिये बरेली ले जाया गया। उसी दिन जेल वारन्ट बनवाते समय परगनाधीश, फरीदपुर के न्यायालय के सामने अभियुक्त शहजादे की मृत्यु हो गई।

अभियुक्त शहजादे की मृत्यु के कारणों के संबंध में तत्कालीन परगना मजिस्ट्रेट, फरीदपुर ने जांच की थी। उनकी जांच से शहजादे की मृत्यु गांव वालों से मुठभेड़ में आई हुई सिर की चोट के कारण होना पाया गया।

श्री बद्रीपाल सिंह की रिपोर्ट पर कायम दो मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

*12—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

शिक्षा विभाग के विभागीयकरण में पदों के निर्माण एवं बटवारे का आधार

*13—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के विभागीयकरण में पदों का निर्माण और बंटवारा किस आधार पर किया गया है ? और उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन जिलेवार अलग-अलग कुल कितने निजी एवं सरकारी डिग्री कालेज हैं और उनकी देखभाल के लिये अतिरिक्त निदेशक और क्षेत्रीय उपनिदेशक के पदों का सृजन का विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भूतपूर्व शिक्षा निदेशालय को शिक्षा स्तरों के आधार पर प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा निदेशालय में पुर्नगठित किया गया है जिनके कार्य विषयों के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का विभाजन किया गया है तथा आवश्यकतानुसार नये पदों का सृजन किया गया है ।

सूची संलग्न है ।

जी नहीं । एक संयुक्त शिक्षा निदेशक का पद स्वीकृत किया गया है।

प्रत्येक जिलों में कालेजों की संख्या इतनी न्यून है कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं समझी गयी।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ 952 पर)

प्रदेश के बेरोजगार शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों का सर्वेक्षण

*14—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने सीमांत जिलों के संबंध में कोई सर्वे करवाया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वहां कितने युवक (शिक्षित एवं अशिक्षित) बेकार हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य सरकार द्वारा सीमांत जिलों का कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया गया है जिससे यह पता लग सके कि इन जिलों में कितने शिक्षित तथा अशिक्षित युवक बेकार हैं।

*15—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार द्वारा प्रदेश में सर्वेक्षण हुआ है कि प्रदेश में कुल कितने लोग (शिक्षित और अशिक्षित) बेकार हैं क्या उनको रोजगार देने के लिये सरकार की ओर से कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षणों के द्वारा केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रदेश की बेरोजगारी एवं रोजगारी के आंकड़े कई आवृत्तियों में अलग-अलग एकत्र किये गये हैं। विभिन्न आवृत्तियों में एकत्र हुए आंकड़ों के अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जनसंख्या में एक प्रतिशत व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान निकलता है परन्तु इसे शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी का अधिक पुष्ट अनुमान नहीं कहा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षणों के आंकड़े सीमित प्रतीकों पर आधारित हैं तथा इनमें बेरोजगारी की परिभाषा संबंधी भिन्नता है । फिर भी चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है,

अतएव पांचवीं योजना की तैयारी के लिये प्रदेश सरकार द्वारा जनशक्ति पर गठित कार्यकारी दल ने इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वर्ष 1972 में 7.7 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया है । नगरीय क्षेत्रों के लिये सेवायोजन कार्यालयों में 31 मार्च, 1972 के पंजीकृत आंकड़ों के आधार पर 4.6 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान लगाया है । इस प्रकार कार्यकारी दल के अनुसार वर्ष 1972 में 12.3 लाख व्यक्तियों के बेरोजगार होने का अनुमान है ।

2—जहां तक प्रदेश के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये योजनायें बनाने का प्रश्न है, वर्ष 1972–73 में केंद्रीय सरकार के सहयोग से कई विशेष रोजगार परियोजनायें प्रदेश में चलाई गयी हैं । विशेष रोजगार प्रायोजना अलग से चलाई गई । इसमें शामिल परियोजनाओं का संग्रह पहले ही सदन में वितरित किया जा चुका है । इस पुस्तक के छपने के बाद गन्ना विकास विभाग की लिंक रोड निर्माण, नियोजन विभाग की रोजगारी तथा बेरोजगारी का सर्वेक्षण तथा उद्योग विभाग की लघु तथा मध्यम उद्योगों में इंजीनियरों को रोजगार दिलाने की परियोजनायें शामिल की गयी । इस प्रकार विशेष रोजगार परियोजनाओं के लिए 900.984 लाख रुपये का परिव्यय अंतिम रूप से आवंटित किया गया है।

श्री नर्मदेश्वर इण्टर कालेज, गहरौली (रायबरेली) के प्रधानाचार्य की नियुक्ति का अनुमोदन

*16—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सच है कि नर्मदेश्वर इंटर कालेज, गहरौली (रायबरेली) के वर्तमान प्रधानाचार्य की नियुक्ति के अनुमोदन के संबंध में उप शिक्षा निदेशक षष्टम मंडल, लखनऊ ने 10 आपत्तियां लगाकर उक्त पद के लिये गठित चयन समिति के अध्यक्ष के पास भेज दी गई है । और उक्त प्रधानाचार्य की नियुक्ति को अनुमोदित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है तथा अंतिम निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, अध्यक्ष, प्रधानाचार्य चयन समिति, ने उप शिक्षा निदेशक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर दिया और चयन का अनुमोदन दिनांक 5 फरवरी, 1973 को दिया जा चुका है ।

हरदोई के श्री सुखपाल अग्निहोत्री को पुलिस चौकी इन्चार्ज द्वारा पीटने की शिकायत

*17—श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि दिनांक 15 जनवरी, 1973 को हरदोई शहर में रात्रि में एक नवयुवक श्री सुखपाल अग्निहोत्री को पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा बुरी तरह से पीटा गया जिसके कारण उसके शरीर पर 82 चोटें आयीं तथा उसकी हालत चिन्ताजनक है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है तथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 15–1–73 को इंचार्ज चौकी सदर थाना कोतवाली हरदोई ने थाना कोतवाली पर दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर सुखपाल निवासी सराय थोक पश्चिमी हरदोई तथा

अन्य के विरुद्ध एक रिपोर्ट अंकित कराई । इस रिपोर्ट के अनुसार 12 बजे के लगभग वे देखभाल के सिलसिले में लक्ष्मी टाकीज गये थे । तीसरे दर्जे की बुकिंग पर अव्यवस्था हो रही थी। अतः मैनेजर के अनुरोध पर उन्होंने लाइन लगवाने का प्रयास किया। उनके कहने सुनने के बाद भी कुछ लड़के धक्का-मुक्की करते आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे । स0ई0 द्वारा डांटे जाने पर तथा लाइन में लगने को कहे जाने पर सुखपाल उक्त स0इं0 पर हमलावर हुआ, मारने-पीटने का प्रयास किया और उक्त स0इं0 की कमीज फाड़ दी । स0इं0 को बचाने हेतु जनता ने सुखपाल को कुछ मारा-पीटा जिसके दौरान वह जीने से टकरा कर गिरा। स0इं0 ने भी अपने बचाव में अपने बेंत का प्रयोग किया । अन्त में सुखपाल के साथी उसे लेकर धमकी देते हुए चले गये । इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा 353 भा0दं0 वि0 के अधीन दर्ज किया गया ।

डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार सुखपाल को 17 साधारण चोटें आई थीं ।

सुखपाल के भाई ने सर्किल आफिसर सदर को उसी दिन लगभग 1 बजकर 30 मिनट पर एक लिखित तहरीर दी जिसमें स0इं0 इंचार्ज चौकी व दो सिपाहियों द्वारा सुखपाल को मारे-पीटे जाने व सामान छीन लिये जाने की शिकायतें अंकित थीं । इसके आधार पर थाना कोतवाली पर एक क्रास केस धारा 394 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया।

दोनों मुकदमों में विवेचना हो रही है ।

टाइगर उद्योग समूह अलीगढ़ के श्रमिकों की मांग सम्बन्धी मैटिल वर्क्स यनियन का प्रतिनिधि मण्डल

*18--श्री कल्याण सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि उनसे दिनांक 2 जून, 1972 को दिल्ली में अलीगढ़ मैटिल वर्क्स यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में श्री प्रेम चन्द्र शर्मा, राज्य मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग--उत्तर प्रदेश तथा श्री एन0 बी0 लाल, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में उपरोक्त यूनियन का कोई प्रतिनिधि मंडल मिला था जिसमें टाइगर उद्योग समूह अलीगढ़ के श्रमिकों की मांगों से संबंधित विवाद की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया था ? तथा मुख्य मंत्री के आश्वासन पर उक्त श्रमिकों ने संबंधित संस्थान में चल रही हड़ताल को वापिस ले लिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्य-वाही हुई ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

दिनांक 2 जून, 1972 को दिल्ली में मुख्य मंत्री जी तथा राज्य-मंत्री (स्वास्थ्य) से यूनियन के कार्यकर्ता मिले थे । टाइगर उद्योग समूह, अलीगढ़ के श्रमिकों की मांगों से संबंधित समस्या पर उन्होंने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था तथा मुख्य मंत्री जी ने उनसे यह कहा था कि वह समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे । आन्दोलन दिनांक 4 जून, 1972 से समाप्त हो गया था । समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस दिशा में दिनांक 5 अप्रैल, 1973 को मुख्य मंत्री जी ने उभय पक्षों को बुलाकर वार्ता भी की थी।

*19--श्री कल्पनाथ सिंह--

[विस्तृत होने के कारण निरस्त ।]

पुलिस आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें

*20—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतपूर्व न्यायाधीश श्री गंगेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो उसमें मुख्य-मुख्य सिफारिशें व सुझाव क्या है और शासन ने उन पर अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां सदन के पटल पर 28 जुलाई, 1972 को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। आयोग द्वारा की गई सिफारिशें रिपोर्ट के अन्त में दी हुई हैं। प्रमुख सिफारिशों का सारांश संलग्न सूची में† उल्लिखित है।

एक उच्च स्तरीय तदर्थ समिति द्वारा संस्तुतियों का प्रारम्भिक परीक्षण पूर्ण हो चुका है। शासन का अंतिम निर्णय शेष है।

[illegible] सहकारी समिति नवाबगंज (गोंडा) में गबन

*21—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी समिति नवाबगंज जिला गोंडा में जनवरी, 1967 से दिसम्बर, 1972 तक कितने-कितने रुपये का गबन किस-किस वर्ष में हुआ है और कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं, कितने निलम्बित किये गये और कितने के विरुद्ध पुलिस केस कायम किया गया? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला परिषद्, बस्ती के स्कूल, स्कूल भवन एवं अध्यापक

*22—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जिला परिषद् में कुल कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल लड़कों और लड़कियों के हैं? कितने-कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने स्कूलों में अध्यापकों की कमी हैं, कितने स्कूल में भवन उपलब्ध हैं कितने नहीं हैं क्या सरकार पूरी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नियोजन विभाग, लखनऊ में अर्थ एवं संख्या विभाग प्रभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश

*23—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि नियोजन विभाग, लखनऊ में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के अधिकारियों के अधिष्ठान से संबंधित 10 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्म-

---

†छापी नहीं गयी।

चारियों के स्थानान्तरण आदेश स्थानीय शासन शाखा के लिये गत अक्तूबर, नवम्बर, मास में कर दिये गये थे बाद में रद्द कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उनका पुनः स्थानान्तरण करने के आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

केवल एक ऐसे कर्मचारी का स्थानान्तरण अक्तूबर, 1972 में सचिवालय के नियोजन शाखा से एक अन्य शाखा में केवल प्रतिस्थानी के रूप में किया गया था । किन्तु वास्तविक रूप से अस्वस्थ्य होने के कारण लम्बे अवकाश पर होने की दशा में, उनके स्थानान्तरण आदेश को बाद में रद्द कर दिया गया और उनके एवज में एक अन्य कर्मचारी का स्थानान्तरण नियोजन शाखा से कर दिया गया जो उक्त शाखा में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे । सचिवालय के नियोजन शाखा में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने की कोई सामान्य शासकीय नीति नहीं है। अतः उक्त संबंधित कर्मचारी को अब कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के निलम्बित अध्यापकों का निलम्बन भत्ता

*24---श्री जगदीश गांधी---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कितने ऐस प्राध्यापक हैं जो 1 वर्ष से निलम्बित हैं तथा उनका निर्णय जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में विचाराधीन है तथा उनमें कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको निलम्बन भत्ता नियमानुसार नहीं मिल रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर जिले में पुलिस थानों की जीपें

*25---श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत थाना बांसगांव में 1 जनवरी, 1972 स 12 फरवरी, 1972 तक कोई जीप गाड़ी स्थानीय पुलिस के प्रयोग करने के लिये दी गई थी ? यदि हां, तो इस जीप गाड़ी का प्रयोग किस अधिकारी द्वारा हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

गोरखपुर जिले के थाना बांसगांव को एक जीप सितम्बर, 1968 में एलाट की गई थी यह जीप स्थानीय पुलिस द्वारा प्रयोग की जा रही है।

*26---श्रीमती मसाली देवी---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कितने पुलिस थानों पर जीप गाड़ी का प्रबन्ध है ? उन थानों के नाम क्या हैं इन थानों पर कितने दिन से जीप दी गई है कितने ऐसे थाने हैं जहां जीप नहीं है और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोरखपुर जिले के 6 थानों को जीपें दी गईं। इन थानों के नाम तथा जब से जीपें दी गई हैं इस प्रकार है:—

थाने का नाम	दिनांक जबसे गाड़ी दी गई है
1—थाना सहजनवा	सितम्बर, 1968
2—थाना पुरन्दरपुर	सितम्बर, 1968
3—थाना चौरा	सितम्बर, 1968
4—थाना बांसगांव	सितम्बर, 1968
5—थाना कैन्ट	अप्रैल, 1971
6—थाना राजघाट	अप्रैल, 1971

गोरखपुर जिले के 22 थानों पर अभी जीपें नहीं हैं। धनाभाव के कारण इन थानों को जीपें नहीं दी जा सकी हैं।

पुलिस अधीक्षक, बदायूं का दरोगाओं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु आदेश एवं नगीना (बिजनौर) के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

*27—श्री रामविलास पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं के पुलिस अधीक्षक द्वारा कितने दरोगाओं के विरुद्ध दफा 7 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही हेतु सन् 1968 तथा सन् 1969 में आदेश दिये गये? और क्या यह भी सही है कि दिनांक 22 फरवरी, 1973 तक कुछ दरोगाओं के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक, बदायूं के लिखित आदेश के बावजूद भी दफा 7 की विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*28—श्री रामबिलास पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री को यह भी पता है कि बिजनौर जिले के नगीना के थानाध्यक्ष के विरुद्ध सन् 67 से 71 तक दो बार दफा 7 की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षकों के आदेश के बावजद भी आज तक कार्यवाही शुरू नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों और क्या यह सही है कि जब यह शाहजहांपुर में तैनात थे तो इनके विरुद्ध अनेक शिकायतें, भ्रष्टाचार और गलत कार्य करने की गृह मंत्री को प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो उनकी जांच क्यों नहीं हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*29—30—श्री राम करण सिंह तथा श्री अवधेश प्रताप मल्ल—

[13 वें बृहस्पतिवार में ता0प्र0सं0 18—19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*31—श्री राम विलास पांडेय—

[11 वें बृहस्पतिवार में ता0प्र0सं0 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*32—श्री सुखपाल पांडेय—

[13 वें बृहस्पतिवार में ता0प्र0सं0 16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*33—श्री सुखपाल पांडेय—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री विजय सिंह, आजमपुर बिसौरिया (बदायूं) की दातागंज थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*34—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री विजय सिंह, पुत्र चेतराम निवासी, आजमपुर बिसौरिया, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं ने दिनांक 17 नवम्बर, 1972 को थाना दातागंज में एक रिपोर्ट धारा 395 ताजीरात हिन्द दर्ज कराई और मुलजिमान को नामजद कराया ? यदि हां, तो उक्त केस में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

अभियुक्तों की नामजदगी, पार्टी बन्दी व रंजिश के कारण गलत पाई जाने तथा साक्ष्य के अभाव के कारण उक्त मुकदमें की विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई ।

*35—श्री माता प्रसाद—

[14 वें बृहस्पतिवार के लिये प्र0सं0 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री शेर सिंह चौहान, सहायक अध्यापक राजकीय मार्डन स्कूल, अल्मोड़ा का रिट पिटीशन

*36—श्री हरी सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्री शेर सिंह चौहान आत्मज श्री टीका सिंह चौहान, सहायक अध्यापक राजकीय मार्डन स्कूल, अल्मोड़ा (रा0जे0बी0टी0सी0अल्मोड़ा) के रिट पिटीशन नं0 3240, 1970, जिसका निर्णय तिथि 20 अप्रैल, 1972 है के अनुपालन में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाजन बालिका विद्यालय मुण्डेरा बाजार चौरी-चौरा (गोरखपुर) की छात्राओं का निष्कासन

*37—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के महाजन बालिका विद्यालय मुंडेरा बाजार चौरी चौरा जो कक्षा 1 से 10 तक चलता है और इस विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं से लगभग 200 छात्र-छात्राओं के नाम आज से तीन माह के अन्दर रहस्यमय ढंग से काट कर कुछ को कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में हस्तक्षेप करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनवरी, 1973 में विभिन्न कक्षाओं के 323 छात्राओं के नाम काटे गये हैं। किन्तु कक्षा 10 की किसी छात्रा का नाम गत 3–4 माह में नहीं काटा गया। अतः न तो किसी छात्रा के बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा से वंचित होने का और न इनके संबंध में सरकार द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न उठता है ।

*38—श्री हुकुम सिंह परिहार—

[6ठें मंगलवार के लिये प्र0सं0 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा विश्वविद्यालय के भार्गव जांच आयोग की संस्तुतियां

*39—श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत राज्य सरकार ने भार्गव जांच आयोग की नियुक्ति की थी ? उस आयोग की मुख्य-मुख्य संस्तुतियां क्या-क्या हैं? तथा सरकार के उन पर अभी तक निर्णय न लिया जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

रिपोर्ट का परीक्षण हो चुका है । सरकार की आख्या विश्वविद्यालय को भेजी गयी थी । उनका उत्तर भी प्राप्त हो गया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है । जब तक अंतिम निर्णय सरकार द्वारा न ले लिया जाय और विश्वविद्यालय को अवगत न करा दिया जाय तब तक आयोग की संस्तुतियों को गोपनीय रखना जनहित में होगा ।

तहसील डेरापुर (कानपुर) की ग्राम विकास संस्था का अनुदान

*40—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर), श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर), श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर) तथा श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत तहसील डेरापुर में क्या ग्राम विकास परिषद् नाम की कोई संस्था है ? यदि हां, तो उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और उसके पदाधिकारी कौन-कौन हैं और उक्त ग्राम विकास परिषद् को ईंटें-भट्ठे के नाम से कोई अनुदान 1972–73 में दिया गया है ? यदि हां, तो उस अनुदान की धनराशि क्या है और इस संस्था के पास ईंट-भट्ठा कब से है ?

प्राविधिक शिक्षा एवं लघु उद्योग मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

जी हां । इसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 30–9–72 को हुआ था और उसके पदाधिकारी निम्न है:—

1—अध्यक्ष	श्री गिरजेश शुक्ल
2—उपाध्यक्ष	श्री शिव गुलाम
3—मंत्री एवं कोषाध्यक्ष	श्री जगदीश अवस्थी
4—संयुक्त मंत्री	श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल

ग्राम विकास परिषद् डेरापुर जिला कानपुर को कुम्हारी उद्योग के अन्तर्गत सन 1972-73 में ईंट भट्ठे के लिये 1,500 रु0 अनुदान दिया गया है । इस संस्था के पास ईंट-भट्ठा नहीं है, ईंट-भट्ठा चलाना संस्था की प्रस्तावित योजना है।

रूखारा (सीतापुर) के गन्ना किसानों की शिकायत

*41—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के ग्राम रुखारा एवं अन्य पास के गन्ना किसान जो गन्ना यूनियन खीरी (लखीमपुर) द्वारा नकहा सेंटर पर गन्ना सप्लाई करते थे

इस वर्ष गन्ना सुपरवाइजर द्वारा खाद का फर्जी कर्जा किसानों पर चढ़ा दिया गया इस कारण कृषक गन्ना सप्लाई नहीं कर रहे हैं ? इन कृषकों ने शिकायती प्रार्थना माह नवम्बर-दिसम्बर, सन् 1972 को एक पत्र गन्ना मंत्री एवं गन्ना आयुक्त को दिये ? यदि हां, तो क्या गन्ना मंत्री जी इन कृषकों की गन्ना सप्लाई की व्यवस्था करते हुए संबंधित सुपरवाइजर की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । कृषकों के शिकायती पत्र पर जांच की गई और संबंधित गन्ना पर्यवेक्षक को निलम्बित कर दिया गया है । उसके विरुद्ध अग्रिम अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है । उस क्षेत्र के कृषकों की अब गन्ना सप्लाई संबंधी कोई समस्या नहीं है ।

जौनपुर जिले में हत्याएं व डकैतियां

*42—श्री राम देव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जिलान्तर्गत, सुजानगंज थाना तथा मुगराबाद शाहपुर थाना में 1 जनवरी, 1973 ई0 से आज तक कितनी हत्या एवं डकैतियां तथा किसके और कहां हुई । आज तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की अपेक्षाकृत हत्यायें एवं डकतियां घटी या बढ़ी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला जौनपुर के थाना बादशाहपुर में जनवरी 1, 1973 से मार्च 20, 1973 तक की अवधि में हत्या एवं डकैती की कोई घटना नहीं घटी है । जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज में उक्त अवधि के अन्दर हत्या तथा डकैती की एक-एक घटना घटी है । इन घटनाओं के बारे में वांछित विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है । उपरोक्त अवधि में घटित हत्याओं तथा डकैतियों की घटनाओं के विगत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े संलग्न सूची में दिये हुये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 954 पर)

*43-44—श्री रामकुंवर सिंह—

[12 वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

*45—श्री रामधारी शास्त्री—

[12वें बहस्पतिवार के लिये स्थगित]

*46-47—श्री राम करन सिंह तथा श्री अवधेश सिन्हा—

[14वें बृहस्पतिवार में प्र0सं0 14-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) म बल्वा संबंधी गिरफ्तारियां

*48—श्री जगदीश गांधी—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ में सितम्बर सन् 1972 में बल्वा कराने का प्रयत्न किया गया था जिसमें थाना सिकन्दराराऊ पर भी हमला किया गया था ? यदि हां, तो उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या ह और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार सितम्बर, 1972 में नहीं बल्कि अक्तूबर, 1972 में सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ में बल्वा किया गया तथा भीड़ द्वारा थाने का घेराव करके पथराव भी किया गया। इस संबंध में 7 व्यक्तियों को, जिनके नाम सर्वश्री जय चरन लाल, अनिल, कन्हैया लाल, मदन मोहन, रमेश चन्द्र, ब्रज मोहन, पन्ना लाल और ख्याली हैं, गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147/148/353/109 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन है।

एटा जिले में अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति

*49--श्री सतीश चन्द (जिला एटा) तथा श्री सियाराम (जिला एटा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिले में अपराध एवं शांति व्यवस्था को देखते हुए पुलिस की स्वीकृति नियुक्ति कितनी है और वह स्वीकृति कब की है तथा इस स्वीकृति में अपराध के अनुपात में आज तक कितनी बढ़ोत्तरी की गई है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अपराध के आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त स्टाफ का आगणन करके एटा जिले में थानों का पुनर्संगठन द्वितीय चरण में वर्ष 1969 में किया गया जिसके अन्तर्गत 22 सब-इन्सपेक्टर, 6 हेड कांस्टेबिल तथा 108 कांस्टेबिल के अतिरिक्त पद सृजित किये गये। वर्ष 1969 के बाद की अपराध की स्थिति के आधार पर द्वितीय चरण के अन्तर्गत पुनर्संगठित जिलों में स्टाफ की अग्रिम वृद्धि थानों के पुनर्संगठन पर पुनर्विचार के बाद ही संभव हो सकेगी।

सेठ मुकन्दलाल इन्टर कालेज, गाजियाबाद (मेरठ) का अग्निकांड

*50--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिला मेरठ में सेठ मुकुन्द लाल (विद्या केन्द्र) इन्टर कालेज में 11-9-72 को भीषण आग लगी थी जिसके फलस्वरूप कालेज को लगभग 2 लाख रुपये की क्षति हुई है क्या शिक्षा मंत्री इस दुर्घटना का कारण बतायेंगे तथा विद्यालय की क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

विद्यालय में छात्र यूनियन बनवाने हेतु विद्यार्थियों तथा गुंडों के आक्रमण के फलस्वरूप विद्यालय को तोड़-फोड़ तथा आगजनी से (विद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार) लगभग 2 लाख रुपये की क्षति हुई थी। इस क्षति की पूर्ति हेतु विगत वर्ष विद्यालय को 10,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है।

*51--श्री रामधारी शास्त्री--

[12वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित।]

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की योजना

*52--श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री राजेंद्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1973-74 में शिक्षित बेरोजगारों को काम देने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसमें कितने बेरोजगारों को काम मिलेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

राज्य सरकार ने बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1972-73 में 864 लाख रुपये की विशेष रोजगार परियोजनायें केंद्रीय सरकार के सहयोग से चालू की थी । इन परियोजनाओं का विवरण विशेष रोजगार प्रायोजना नामक पुस्तक में संग्रहीत है जिसकी प्रतियां पहले ही सदन में वितरित की जा चुकी हैं । उपर्युक्त पुस्तिका छपने के बाद गन्ना विकास विभाग की लिंक रोड निर्माण, नियोजन विभाग की रोजगारी तथा बेरोजगारी का सर्वेक्षण तथा उद्योगों उद्योग विभाग की लघु तथा मध्यम उद्योगों में इंजीनियरों को रोजगार दिलाने की परियोजना शामिल की गयी । इन परियोजनाओं को सम्मिलित करके कुल 900.984 लाख रुपये के परिव्यय की विशेष रोजगार परियोजनायें वित्तीय वर्ष 1972-73 में चालू की गयी थी । ये सभी परियोजनायें वर्ष 1973-74 में भी चलती रहेंगी । इनके लिये चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के अंश के रूप में 510 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था राज्य की वार्षिक योजना 1973-74 में इस प्रत्याशा पर की गयी है कि इतनी ही धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हो सकेगी ।

2--बेरोजगारी की गम्भीर स्थिति को दृष्टि में रखकर प्रदेश सरकार ने 30.55 करोड़ रुपये की एक दूसरी प्रायोजना भी बनाकर योजना आयोग के स्वीकृतार्थ भेजी है । इसमें सम्मिलित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से वर्ष 1973-74 में 83630 शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने का अनुमान है । प्रायोजना पर केंद्रीय स्वीकृति प्रतीक्षित है ।

*53--श्री श्रीशचन्द्र अग्रवाल--

[12 वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

छाया हिन्दुस्तान इन्डस्ट्रियल सहकारी समिति, लखनऊ की मांग

*54--श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या यह सही है कि गत वर्ष छाया हिन्दुस्तान इंडस्ट्रियल सहकारी समिति, लखनऊ नामक किसी संस्था का उद्योग निदेशक द्वारा पंजीकरण किया गया और सामाजिक उत्थान हेतु इस संस्था को फिल्म बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां।

इस संस्था ने फीचर फिल्म बनाने हेतु दो लाख रुपये का अनुदान चाहा था जो स्वीकृत करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना पाली (हरदोई) की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*55--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि पुलिस थाना पाली जिला हरदोई के विरुद्ध कई एक शिकायतें जनवरी, 1973 से 9 मार्च, 1973 तक सरकार तथा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश व पुलिस अधीक्षक, हरदोई को प्राप्त हुई हैं जिसमें यह शिकायत की गई है कि थाना पाली की पुलिस डकैतियों तथा चोरियों में मुल्जिमान से मिलकर कार्य करती हैं और नामजद

रिपोर्ट होने के बाद भी मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं करती है ? यदि हां, तो किस-किस मामले के क्या-क्या शिकायती पत्र हैं और सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाहियां कीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

थाना पाली जिला हरदोई की पुलिस के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित आशय के दो शिकायती पत्र जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे। उक्त प्रार्थना-पत्रों में से एक में चार मामलों तथा दूसरे प्रार्थना-पत्र में एक मामले में पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही न किये जाने का उल्लेख था। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पांच मामलों में से केवल चार मामलों की रिपोर्ट पुलिस में दी गई थीं जिन पर आवश्यक धाराओं के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज किये गये और विवेचना की गई। शेष एक मामले की रिपोर्ट पुलिस में अंकित नहीं है। इस संबंध में जांच जारी है।

प्रश्न में उल्लिखित आशय का एक शिकायती पत्र शासन को भी प्राप्त हुआ है जिसके बारे में जांच कराई जा रही है।

हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार निवारण हेतु विशेष पुलिस दल का गठन

*56---श्री राम दुलारे मिश्र (जिला कानपुर) तथा श्री मही लाल---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हरिजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों, जुल्मों की रोक-थाम हेतु तात्कालिक कार्यवाही करने तथा दोषी व्यक्तियों को दंडित करने के लिये राज्य सरकार एक पुलिस डी0आई0जी0 की देख रेख में उच्च स्तरीय इकाई गठन करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्रदेश में हरिजनों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं अत्याचार की घटनाओं की शीघ्रातिशीघ्र समुचित रूप से जांच तथा यथोचित कार्यवाही करने हेतु एक अलग उप पुलिस महानिरीक्षक के अधीन एक विशेष सेल अपराध अनुसंधान विभाग में गठित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। सेल के उप पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति हो चुकी है।

जसपुरा विकास खंड (बांदा) के अध्यापकों का वेतन भुगतान

*57---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा विकास खंड, जसपुरा के बी0डी0ओ0 ने विकास खंड के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्कूलों के अध्यापकों को विकास खंड कार्यालय में वेतन वितरित करने से इंकार कर दिया है और इस प्रकार समस्त अध्यापकों को जिला बांदा जाकर वेतन प्राप्त करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और सरकार ने सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले ऐसे बी0डी0ओ0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की तथा अध्यापकों को विकास खंड कार्यालय पर ही वेतन दिलाने की क्या व्यवस्था की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, विकास खंड कार्यालय में वेतन वितरण संबंधी आवश्यक सुरक्षा के अभाव में ऐसा करना पड़ा। कोई आदेशों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था कर देने पर विकास खंड कार्यालय पर ही वेतन वितरण किया जावेगा।

*58---श्री लालसा---

[वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त]

मेरठ विश्वविद्यालय के उप कुलपति द्वारा जांच सम्बन्धी सिफारिश

*59--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

8 मार्च, 1973 के नत्थी (घ) के तारांकित प्रश्न 69 के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उप कुलपति मेरठ विश्वविद्यालय ने सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

*60--श्री राम प्यारे--

[12वें बृहस्पतिवार के लिए स्थगित]

श्री तिलकराज कोहली, बाल्मीकि मार्ग, लखनऊ के यहां डकैती

*61--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-2-73 की सायं को श्री टी0आर0 कोहली के मकान 5, बाल्मीकि मार्ग, लखनऊ में (कैसरबाग थाने के अन्तर्गत) कुछ नकाबपोश युवकों ने डकैती डाली ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 27-2-73 को रात्रि में 9 बजकर 59 मिनट पर श्री तिलक राज कोहली निवासी 5, बाल्मीकि मार्ग, लखनऊ ने थाना कैसरबाग, लखनऊ पर इस आशय की सूचना दी कि उसी रात पौने नौ बजे चार व्यक्ति उनके घर में घुस आये और उनकी पत्नी की सोने की जंजीर चाकू दिखाकर छीन ले गये । इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 392 भा0दं0वि0 का कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई । अब तक दो अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं ।

विक्रम काटन मिल, तालकटोरा, लखनऊ के कर्मचारी

*62--श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विक्रम काटन मिल, तालकटोरा, लखनऊ चालू हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मिल में कितने पुराने कर्मचारी नौकरियों पर बुलाये गये और कितने नये रखे गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ में होजरी विभाग में 3-1-73 से, वेस्ट विभाग में 20-1-73 से तथा स्पिनिंग विभाग में 25-1-73 से आंशिक रूप से उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है ।

उक्त मिल्स में अब तक 221 पुराने कर्मचारी एवं स्टाफ तथा 123 नये कर्मचारी एवं स्टाफ नौकरी में रखे गये हैं ।

ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर के निदेशक की नियुक्ति

*63--श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान निदेशक, ईख अनुसंधान, शाहजहांपुर कब से वहां नियुक्त हैं तथा उनका स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्तमान निदेशक, ईख अनुसंधानशाला, शाहजहांपुर, उक्त पद पर दिनांक 1–12–60 से नियुक्त हैं । वे उक्त पद पर स्थायी हैं, अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

थाना जैदपुर (बाराबंकी) की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*64—श्री शिव कैलाश—

क्या मख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम छंदवल, थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी के करीब 19 घरों को थाना जैदपुर की पुलिस ने दिनांक 16–6–72 से 28–6–72 तक गुंडों को लेकर लुटवाया और गांव के तमाम लोगों को बुरी तरह से मारा-पीटा, जिसकी सूचना पुलिस कप्तान बाराबंकी को समय से दी जा चुकी है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना जैदपुर, जिला बाराबंकी के पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य लोग द्वारा ग्राम छोटी छंदवल में लूटपाट आदि किये जाने की शिकायतों के बार में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 30–6–72 को प्राप्त हुआ था । इसके आधार पर थाना जैदपुर पर 1–7–72 को धारा 395 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दायर किया गया जिसकी विवेचना सर्किल इंस्पेक्टर क्राइम द्वारा की जा रही है । इस मामले से संबंधित 4 कांस्टेबिलों को निलम्बित कर दिया गया था ।

फखरपुर ब्लाक, जिला बहराइच की ग्रामोद्योग समितियां

*65—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में ब्लाक क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1966 से वर्ष 1971 तक किन-किन खादी ग्रामोद्योग समितियों को ऋण एवं अनुदान दिया गया है ? ये समितियां किन-किन स्थानों पर हैं तथा कितनी फर्जी समितियां हैं ? क्या सरकार फर्जी समितियों से समस्त धन की वसूली के संबंध में उचित कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

बहराइच जिले के ब्लाक क्षेत्र फखरपुर के अन्तर्गत वर्ष 1966 से वर्ष 1971 तक निम्न लिखित खादी ग्रामोद्योग समितियों को ऋण एवं अनुदान दिया गया है:—

1—धान कुटाई गृह उद्योग सहकारी समिति लि0, जैतापुर, पोस्ट जैतापुर, बहराइच ।

2—धान कुटाई गृह उद्योग सहकारी समिति लि0, फखरपुर, बहराइच । उपरोक्त समितियां फर्जी नहीं हैं । प्रश्न नहीं उठाता ।

जिला गन्ना विकास अधिकारी, वाराणसी के अधीन कार्यरत ग्राम सेवक एवं उनकी पदोन्नति

*66—श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गन्ना विकास अधिकारी वाराणसी के अन्तर्गत कितने गन्ना ग्राम सेवक हैं जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं ? इनमें अनुसूचित जाति के कितने कर्मचारी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी के अन्तर्गत पन्द्रह गन्ना ग्राम सेवक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हैं, इनमें से केवल एक अनुसूचित जाति का है।

*67—श्री माता प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन गन्ना ग्राम सेवकों को सन् 1972 में प्रमोट किया गया है उसका आधार सीनियारिटी नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1972 में गन्ना ग्राम सेवकों की पदोन्नति अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर ही की गई है।

*68—श्री राय निहोर राय तथा श्री धूम प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

हरदोई के निकट यात्री बस पर डकैती

*69—श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि दिनांक 10-3-73 की रात्रि में डाकुओं ने हरदोई के पास एक यात्री बस को लूट लिया था ? यदि हां, तो उसमें कितने रुपये का सामान लूटा गया ? इस प्रकार की लूटमार की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 10-3-73 की रात में हरदोई आने वाली एक यात्री बस के यात्रियों का सामान व पैसा आदि लूटे जाने की सूचना थाना बघोली, हरदोई पर उसी रात प्राप्त हुई। इस घटना में लगभग 1,785 रु0 का माल लूटा गया।

इस प्रकार की घटनाओं की रोक-थाम के लिये सड़कों पर गश्त का समुचित प्रबन्ध किया गया है।

बगहा, थाना सलेमपुर (देवरिया) के श्री सहती तेली के यहां डकैती

*70—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बगहा, थाना सलेमपुर, जिला देवरिया में गत 6/7 मार्च, 1973 को श्री सहती तेली के घर भीषण डकैती पड़ी जिसमें ग्रामीणों एवं डाकुओं के संघर्ष में एक डाकू मारा गया तथा एक डाकू को घटनास्थल पर ही पकड़ लिया गया ? यदि यह सही है, तो ग्रामीणों को पुरस्कृत किस रूप में किया जायगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि लूट में कितना धन गया तथा अब तक कितने डाकू पकड़े जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला देवरिया के थाना सलेमपुर के अन्तर्गत ग्राम बगहा में दिनांक 6/7 मार्च नहीं बल्कि 5/6 मार्च, 1973 की रात्रि में श्री सहती तेली की दूकान पर डकैती पड़ी थी जिसमें दो डकैत मौके पर गांव वालों द्वारा पकड़ लिये गये थे। इसमें से एक डाकू की मत्यु मौके पर ही हो गई थी।

डकैतों का सामना करने वाले चार व्यक्तियों को पुरस्कृत किये जाने का मामला पुलिस उप महानिरीक्षक, गोरखपुर के विचाराधीन है।

लूट में लगभग 2,500.00 रुपये का धन गया है। पुलिस द्वारा अब तक चार डाकू पकड़े गये हैं तथा एक ने स्वयं न्यायालय में आत्म समर्पण किया है।

बुन्दूकटरा (आगरा) के श्री बीरी सिंह के लड़के का गुम होना

*71—श्री हुकुमसिंह परिहार (जिला आगराफतेहाबाद)—

क्या यह सही है कि श्री बीरी सिंह निवासी बुन्दूकटरा, जिला आगरा के लड़के का अपहरण पिछले वर्ष 1972 में हो गया था? अगर हां, तो इस संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है और उसमें क्या सफलता मिली है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार बीरी सिंह, निवासी बुन्दूकटरा, जिला आगरा के लड़के के अपहरण की कोई घटना आगरा जिले में वर्ष 1972 में घटित होना नहीं पायी गयी। दिनांक 24-3-68 को श्री बीरी सिंह पुत्र फतेह सिंह निवासी बुन्दूकटरा, अगरा ने थाना सदर बाजार पर अपने लड़के-बालों, उम्र लगभग साढ़े चार-पांच वर्ष, की गुमशुदगी की एक जुबानी रिपोर्ट दर्ज करायी जिस पर एक अपराध अन्तर्गत धारा 363 भा0दं0वि0 अंकित किया गया। विवेचना से गुमशुदा लड़के का पता नहीं चल सका, अतः दिनांक 29-10-68 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

कल्यानपुर, जिला कानपुर की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*72—श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-3-73 को कानपुर जनपद के ग्राम मक्करपुरवा, थाना शिवराजपुर के हरिजन परिवारों के यहां कल्यानपुर पुलिस द्वारा उस क्षेत्र में उनके दो सिपाहियों से राइफल छीने जाने की जांच-पड़ताल क संबंध में गांव को घेर कर श्री पचकौड़ी व श्री छम्मी के घरों में जबरन पुलिस वालों ने घुसकर उनके घरों को खोदा, लोगों तथा महिलाओं को मारा-पीटा, लगभग 3 हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ले गये हैं और अब भी इसी प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही कर रहे हैं? पांच कंजरों को पिछले चार दिनों से थाने में बिठाले हैं उन्हें गंभीर यातनायें भी पहुंचा रहे हैं? लोगों के चोटें आई हैं, जिनकी विभागीय अधिकारियों के यहां रिपोर्ट भी की गई है? यदि हां, तो शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दो सिपाहियों से मस्कट व राइफल छीन लिये जाने की घटना के सिलसिले में दिनांक 7-3-73 को पुलिस ग्राम मक्करपुरवा थाना शिवराजपुर गई और गवाहों के समक्ष श्री पचकौड़ी के घर की तलासी ली। श्री छम्मी के घर की तलासी नहीं ली गई। पुलिस द्वारा किसी घर को खोदा नहीं गया और न ही किसी को मारा पीटा गया व सम्पत्ति लूटी गई। किसी भी कंजर को न तो थाने पर बैठाले रक्खा गया और न कोई यातना ही दी गई। मस्कट व राइफलों की खोज में किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*73—श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा—

[12वें बृहस्पतिवार के लिये स्थगित]

सचिवालय के अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की नियुक्ति एवं प्रवर वर्ग सहायकों की पदोन्नति

*74—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या विधान सभा के वर्तमान सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के क्रम में मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जब अनप्लेस्ड अवर वर्ग सहायकों की नियुक्तियां सचिवालय के समस्त शाखाओं में सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान-1) के द्वारा ही की जाती हैं तो क्या कारण है कि किसी विशेष शाखा में 1970 में या उसके बाद नियुक्त किये गये समस्त सहायक कई-कई महीनों से स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं और अधिकतर शाखाओं में सन् 1970 के पूर्व के अनप्लेस्ड सहायकों को पदोन्नति का कोई अवसर नहीं मिला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

'अनप्लेस्ड' अवर वर्ग सहायकों की प्रारम्भिक नियुक्ति अवश्य सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग-1 द्वारा की जाती है परन्तु तत्पश्चात् स्थानापन्न प्रोन्नति आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न शाखाओं द्वारा की जाती ह । विभिन्न शाखाओं में प्रोन्नति के अवसर समान नहीं हैं । इस विषमता को कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर अन्तर्शाखायी स्थानान्तरण किये जाते हैं ।

*75—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि 1960 और 1961 की परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये अनप्लेस्ड सहायक अभी तक अस्थायी हैं और 1960 की परीक्षा के आधार पर जो प्रवर वर्ग सहायक सचिवालय में भर्ती किये गये उनमे से पर्याप्त संख्या में सेक्शन आफिसर भी बना दिये गये ? यदि हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

'अनप्लेस्ड' अवर वर्ग सहायकों का स्थायीकरण रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर है । सक्शन आफिसर के पद पर प्रोन्नति केवल 10 वर्ष से कार्यरत प्रवर वर्ग सहायकों के मध्य से की जाती है, 'अनप्लेस्ड' अवर वर्ग सहायकों के मध्य से नहीं ।

*76—श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

[10वें शुक्रवार के लिये प्र0 सं0 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*77—श्री महीलाल—

[12वें गुरुवार के लिये स्थगित]

*78-79—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—

[12वें गुरुवार के लिये स्थगित]

गन्ना कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*80—श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, 1973 के आखिरी सप्ताह में प्रदेश के गन्ना कर्मचारी संघ की ओर से एक मांग-पत्र उनको मिला है? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कारवाई की गई, यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां !

गन्ना कर्मचारी संघ, सहारनपुर के मांग-पत्र दिनांक 20-2-1973 की मुख्य-मुख्य मांगें एवं उन मांगों के संबंध में वर्तमान स्थिति संलग्न तालिका में बता दी गयी है।

[देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 955-956 पर]

अतारांकित प्रश्न

पी० सी० एस० (प्रशासकीय शाखा एवं विशेष भर्ती) सेवा में सैन्य सेवा से विमक्त अधिकारियों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के आरक्षण

1--श्री पन्ना लाल गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के 18 जुलाई, 1972 के निर्णय के अनुसार पी० सी० एस० (प्रशासकीय शाखा) सेवा में भर्ती के लिये सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों का आरक्षण 20 प्रतिशत से घटाकर 10 कर प्रतिशत दिया गया है और 10 प्रतिशत का आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को दिया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां, यह पुनरीक्षित आरक्षण न केवल पी० सी० एस० (प्रशासनिक शाखा) सेवा के लिये किया गया है बल्कि वर्ग 2 की समस्त अप्रा.विधिक सेवाओं के लिये जिनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती होती है, किया गया है ।

2--श्री पन्नालाल गुप्त--

क्या इसी आरक्षण के अनुसार लोक सेवा आयोग ने पी० सी० एस० परीक्षा 1971 तथा पी० सी० एस० विशेष भर्ती 1972 परीक्षा के जो परिणाम 18 जुलाई, 1972 के बाद घोषित किये हैं उनमें सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों का आरक्षण 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत का आरक्षण किया है ? यदि हां, तो 10 प्रतिशत का आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को नहीं किया गया ? यदि नहीं, तो पी० सी० एस० (प्रशासकीय शाखा) परीक्षा 1971 के आधार पर 54 पदों के लिये केवल 5 सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों तथा पी० सी० एस० (प्रशासकीय शाखा) विशेष भर्ती 1972 परीक्षा के आधार पर 55 पदों के लिये केवल 6 सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों के नामों की ही अनुशंसा लोक सेवा आयोग ने की जबकि उनकी भर्ती के लिये क्रमशः 10 तथा 11 पद आरक्षित थे और उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर क्रमशः 12 तथा 7 सैन्य सेवा विमुक्त अधिकारियों का आयोग ने साक्षात्कार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं ।

सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा दिसम्बर, 1971 तथा पी० सी० एस० (विशेष भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा, 1972 आयोजित करते समय सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों के लिये 20 प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध था । यद्यपि इन परीक्षाओं के परिणाम 18 जुलाई, 1972 के बाद घोषित किये गये किन्तु उनके लिये आरक्षण 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रश्न नहीं उठता । चूंकि उपरोक्त परीक्षाओं के आयोजित करने के समय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं था, अतएव उन्हें कोई आरक्षण देना संभव नहीं है।

उपरोक्त दोनों परीक्षाओं के आधार पर सैन्य सेवा से विमुक्त अधिकारियों के लिये क्रमशः 11 तथा 11 पद आरक्षित थे तथा लिखित परीक्षा के आधार पर केवल 12 तथा

8 अधिकारी क्रमशः साक्षात्कार के लिये बुलाये गये और क्रमशः केवल 5 तथा 6 अभ्यर्थी प्रादेशिक सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत किये गये।

3—श्री पन्नालाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों पी० सी० एस० (प्रशासकीय शाखा) सेवा लिखित परीक्षाओं के आधार पर कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों का आयोग ने अलग-अलग साक्षात्कार किया और 18 जुलाई, 1972 के बाद उक्त परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चूंकि उक्त दोनों परीक्षाओं के सम्पन्न होने की तिथियों को स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिये कोई आरक्षण नहीं था अतएव उस श्रेणी के अभ्यर्थियों का अलग से साक्षात्कार करने तथा उन्हें नियुक्तियां देने का प्रश्न नहीं उठता ।

यशोदा रस्तोगी कन्या इण्टर कालेज, लखनऊ की प्रधानाचार्या का रिक्त पद

4—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यशोदा रस्तोगी कन्या इंटर कालेज, लखनऊ की प्रधानाचार्या, श्रीमती गोयल की मृत्यु के बाद आज तक किसी प्रशिक्षित प्रधानाचार्या की नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विद्यालय ने प्रधानाचार्या के चयन हेतु साक्षात्कार करके अनुमोदन के लिये पत्रजात उप-शिक्षा निदेशक (महिला) को दिनांक 14 मार्च, 1973 को प्रेषित किया जिसे कुछ आपत्तियों का निराकरण करने के लिये विद्यालय को वापस कर दिया गया है ।

बांदा जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूल के अवैतनिक अवकाश लेकर व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापक

5—श्री दुर्जन—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जिला के जिला परिषद् के जू० हा० के कितने अध्यापक जुलाई, 1967 से अवैतनिक अवकाश लेकर व्यक्तिगत संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

चार ।

6—श्री दुर्जन—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि परिषदीय शिक्षा अधिकारी कितने अध्यापक को काम में वापस आने की नोटिस जारी करके अपनी जगह में वापसी का आदेश भजा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दो के लिये नोटिस जारी की गई है । इनकी नियुक्ति विचाराधीन है ।

7—श्री दुर्जन—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने अवकाश से वापस आने क इच्छुक अध्यापकों को अभी तक जगह नहीं दी गई तथा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी–

दो । इन अध्यापकों से स्वीकृत अवधि के पश्चात् अवकाश के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ । इसलिये उन्हें अभी तक जगह नहीं दी गई ।

खड्डा शुगर फैक्टरी (देवरिया) पर बकाया

8—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 31 जनवरी, 1973 को खड्डा शुगर फैक्टरी, जिला देवरिया पर कितना रुपया गन्ने का दाम तथा मजदूरों का वेतन बकाया है और उसके भुगतान की कब तक व्यवस्था हो जायेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की खड्डा (देवरिया) यूनिट पर 31 जनवरी, 1973 को बकाया गन्ना मूल्य तथा मजदूरों के वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है---

(लाख रु0 में)

	बकाया (1972–73 का)	अर्जन के (3–7–71) के पूर्व का बकाया	योग
गन्ना मूल्य ..	1.50	23.10	24.60
मजदूरों का वेतन ..	शून्य	12.07	12.07

इस बकाया की अदायगी अर्जित चीनी की बिक्री से तथा सरकार द्वारा देय प्रतिकर से होनी है । प्रतिकर के लिये दावे विहित प्राधिकारी द्वारा अभी तय नहीं किये गये हैं तथा उक्त चीनी के बिक्री धन से बकायों का भुगतान किया जा रहा है ।

श्री महाबीर सिंह, मंत्री भारतीय जनसंघ मंडल नूरपुर (बिजनौर) का शिकायती-पत्र

9—श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री महाबीर सिंह, मंत्री भारतीय जनसंघ मंडल, नूरपुर, (बिजनौर) का दिनांक 22–2–73 का शिकायती-पत्र क्रमशः जिलाधिकारी, बिजनौर; पुलिस अधीक्षक, बिजनौर; एस0 ओ0, पुलिस स्टेशन, चांदपुर तथा नूरपुर, जिला बिजनौर को प्राप्त हुआ जिसमें ब्लाक नूरपुर के हरिजन प्रधानों के अपहरण के संदेह होने के संबंध में शिकायतें थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रधान नूरपुर ब्लाक के लापता होने का संदेह व्यक्त करते हुए एक शिकायती पत्र दिनांक 22–2–73 जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक, बिजनौर के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त शिकायती-पत्र निराधार पाया गया ।

10—श्री दल सिंगार यादव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

11—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[12वें गुरुवार के लिये स्थगित ।]

12—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

राजकीय महाविद्यालय टिहरी (टिहरी-गढ़वाल) में खुलने वाली बी० एड० व विज्ञान की कक्षायें

13—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय टिहरी, टिहरी-गढ़वाल में सरकार जुलाई, सन् 1973 से बी० एड० व विज्ञान की कक्षायें खोलने का विचार कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

राज्य पुलिस फोर्स को आधुनिक साज-सज्जा तथा वैज्ञानिक उपकरण से लैस करने का व्यय

14—श्री रामदुलारे मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में नक्सलपंथियों और अन्य अराजक तत्वों की कार्यवाहियों का सामना करने तथा आधुनिक साज-सज्जा वैज्ञानिक उपकरण से लस करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से गत वर्ष और इस वर्ष कितना कर्ज लिया? कर्ज लिये धन के खर्च करने की रूप रेखा क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राज्य पुलिस फोर्स को आधुनिक साज-सज्जा तथा वैज्ञानिक उपकरणों से लैस करने हेतु प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय वर्ष 1971-72 में 52 लाख रु० तथा वित्तीय वर्ष 1972-73 में 42 लाख रु० की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई जिसमें से 75 प्रतिशत कर्ज के रूप में तथा 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में है। इस धन का उपयोग अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा शोध कार्यों हेतु वैज्ञानिक उपकरण, रेडियो, साज-सज्जा तथा गाड़ियों के क्रय में किया जा रहा है।

राज्य पुलिस आयोग की संस्तुतियां

15—श्री रामदुलारे मिश्र—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राज्य पुलिस आयोग की अनुशंसायें जो राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं अभी तक कहां तक अमल में लाई गई और क्या यह सही है कि उक्त अनुशंसाओं को पूर्ण लागू करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है? यदि हां तो उसकी रूपरेखा क्या है? गत विगत तथा मौजूदा वर्ष में कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग, 1970-71 के प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियां अभी शासन के विचाराधीन हैं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

16—श्रीमती राजेन्द्र किशोरी—

[15वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गोरखपुर में पुलिस डकैत मुठभेड़ में डाकू धूरा सिंह की मृत्यु

17—श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि गोरखपुर शहर में 6 अक्तूबर, 1972 को पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मशहूर डकैत धूरासिंह को पुलिस की गोली लगने से मृत्यु हो गई और कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हो गये ? यदि हां, तो उस स्थान के लिये कौन-कौन से पुलिस कर्मचारी जिला आजमगढ़ के तैनात थे और किन-किन व्यक्तियों को सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गोरखपुर शहर में 6-10-72 को नहीं बल्कि 6-9-72 को पुलिस-डकैत मुठभेड़ हुई जिसमें कुख्यात डकैत धूरा सिंह की मृत्यु लाठी की चोटों से हो गई और कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हुये । इस मुठभेड़ में जिला आजमगढ़ के निम्नलिखित पुलिस अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे—

1—श्री वीरेन्द्र सिंह परमार, पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़;
2—श्री सिद्धाराम एस० ओ०, निजामाबाद, आजमगढ़;
3—श्री राम नरेश मिश्र, एस० आई०, थाना निजामाबाद, आजमगढ़;
4—हेड कांस्टेबिल कटेश्वर नाथ तिवारी, थाना निजामाबाद, आजमगढ़;
5—हेड कांस्टेबिल देव कुमार पांडे, आजमगढ़;
6—कांस्टेबिल हरिहर राय, थाना निजामाबाद, आजमगढ़;
7—कान्स० उमाशंकर, थाना निजामाबाद, आजमगढ़ ।

उक्त नागरिक पुलिस के अतिरिक्त आजमगढ़ पुलिस लाइन के दो ए० पी० गार्ड भी थे ।

पुलिस महानिरीक्षक ने सौ-सौ रुपये पुरस्कार स्वरूप उपरोक्त थाना अध्यक्ष, सब इन्सपेक्टर तथा दोनों हेड कांस्टेबिलों को दिये । धूरा सिंह के ऊपर एक हजार का पुरस्कार घोषित था जिसके विवरण के लिये पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

रानीपुर, जिला आजमगढ़ में नयी पुलिस चौकी की स्थापना

18—श्री श्यामलाल कनौजिया—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत चिरैयाकोट, थाना क्षेत्र के रानीपुर ग्राम में पुलिस चौकी खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पुलिस चौकी की स्थापना कब तक की जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला आजमगढ़ में चिरैयाकोट थाने के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर में एक पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के शासकीय आदेश निर्गत कर दिये गये हैं ।

यू० पी० स्माल इंडस्ट्रीज कारपोशन लि०, कानपुर में डेपुटेशन पर आये अधिकारियों को एक्सटेंशन

19—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि क्या यू०पी० स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, कानपुर में डायरेक्ट्रेट आफ इन्डस्ट्रीज से डेपुटेशन पर आये हुये अधिकारी कौन-कौन से हैं, किस-किस पद पर हैं, कब-कब से हैं और किन-किन को कितनी-कितनी तौसी मुलाकात (एक्सटेंशन) दी जा चुकी है और किस आधार पर दी जा चुकी है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

वांछित विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 957–958 पर)

आई० टी० आई०, टिहरी गढ़वाल में प्रशिक्षक व अनुदेशक के रिक्त पद

20—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई 0टी0 आई0 टिहरी गढ़वाल में कब-कब से और किन-किन विषयों के प्रशिक्षक व अनुदेशक के पद रिक्त हैं और उनकी पूर्ति कब तक हो जायगी ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

आई0 टी0 आई0, टिहरी गढ़वाल में अगस्त, 1972 से आशुलिपि, गणित, इलेक्ट्रानिक्स तथा वेल्डर के विषयों के एक-एक अनुदेशक के पद रिक्त हैं । प्रत्येक की स्थिति निम्न प्रकार है:—

(1) आई0 टी0 आई0, टिहरी-गढ़वाल के कार्यालय के आशुलिपिक को प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है अतः प्रशिक्षण के कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ रही है । आशुलिपि अनुदेशक का चयन हो चुका है और नियुक्ति की जा रही है।

(2) गणित अनुदेशक की नियुक्ति मार्च, 1973 में की जा चुकी है परन्तु कार्य-भार ग्रहण करने की सूचना संस्थान से नहीं मिली है ।

(3) इलेक्ट्रानिक्स अनुदेशक की भी मार्च, 1973 में नियुक्ति की जा चुकी है परन्तु अभ्यर्थी ने कार्यभार ग्रहण करने की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की है जो कि अप्रैल, 1973 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दी गई है ।

(4) वेल्डर अनुदेशक के दो स्थान स्वीकृत हैं परन्तु छात्रों की संख्या को देखते हुए आवश्यकता एक की ही है और वह तैनात है।

अमवाखास (वारवा पट्टी) जिला देवरिया की नई साधारण पुलिस चौकी

21—श्री रामनगीना मिश्र (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के एस0 पी0 ने बुद्धी ब्लाक में अमवाखास (वारवापट्टी) में जनहित में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बनवाने की सिफारिश वर्ष 1972 में की है ? यदि हां, तो कब तक रिपोर्टिंग पुलिस चौकी स्थापित हो जायेगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक ने अमवा खास (वारवा पट्टी) थाना विशुनपुरा में एक साधारण चौकी खोलने की जनवरी, 1973 में संस्तुति की थी । ग्राम अमवा खास (वारवा पट्टी) में एक साधारण पुलिस चौकी खोलने के शा0आ0 निर्गत हो गये हैं ।

पुलिस फोर्स में वृद्धि करने की मांग

22—श्री उमाशंकर शुक्ल—

क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है कि हरिजनों की मारपीट के दंड विधान की धारा 323 के नान-काग्जीनेबिल मामलों की जांच भी पुलिस द्वारा काग्जीनेबिल केसेज की तरह की जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार अपराधों की संख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स में वृद्धि करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हरिजनों तथा दलित वर्ग के लोगों द्वारा थाने पर दर्ज कराये जाने वाले सभी मामलों में संबंधित न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके विवेचना कराये जाने हेतु शासन द्वारा दिसम्बर, 1972 में आदेश जारी किये गये हैं ।

इन आदेशों के संदर्भ में फिलहाल पुलिस फोर्स में वृद्धि किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । अपराध व जनसंख्या के आधार पर थानों के पुनस्संगठन के संबंध में पुलिस फोर्स में वृद्धि की जा चुकी है ।

भूतपूर्व सदस्य, श्री चन्द्र बली सिंह के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना पड़ रहा है कि इस सदन के भूतपूर्व सम्मानित सदस्य श्री चन्द्रबली सिंह का 7 अप्रैल को यहां लखनऊ में सिविल अस्पताल में देहावसान हो गया ।

श्री अध्यक्ष—

12 अप्रैल है या 7 अप्रैल है ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर 12 अप्रैल तो आज है । निधन 7 को हुआ था । श्रीमन्, चन्द्रबली सिंह जी देवरिया जिले से सन् 1962 से 1968 तक इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं ।

पहले वह रुद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि रहे । फिर सन् 1967 में यह गौरी-बाजार निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि निर्वाचित हुए । श्री चन्द्रबली सिंह जी का सारा जीवन संघर्षशील था । सन् 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यशाही का मुकाबला किया और उसके बाद समाजवादी विचारधारा के एक सक्रिय कार्यकर्ता व नेता रहे । उन्होंने अनेक संघर्षों में हिस्सा लिया । किसान आन्दोलन के वे बड़े समर्थक थे और उन्होंने 'गरीबी क्यों?' नाम पुस्तक भी लिखी थी ।

जिनको भी उनके साथ सम्पर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त था, उनके सरल व्यक्तित्व गम्भीर व्यक्ति से वह अवश्य प्रभावित हुआ । मुझे भी उनके साथ कार्य करने का मौका मिला । वह एक आदर्श कार्यकर्ता, दिखावे से दूर, चुपचाप काम करने की उनकी आदत थी । ऐसे त्यागमय एवम् निर्भीक, कर्मठ एवम् लोकप्रिय साथी को हमने खोया है और हम सबको इसका महान दुख है । हमने देवरिया जिले के ही नहीं प्रदेश के एक प्रमुख कार्यकर्ता को खोया है । मैं श्रीमन् आपसे आग्रह करूंगा कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को जिसमें उनकी पुत्र वधू और एक नन्हीं पोती है, इस सदन की ओर से हार्दिक सम्वेदना का संदेश भेजने का कष्ट करें ।

*श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, श्री चन्द्रबली सिंह जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे और मेरे दल के साथियों को बड़ा दुख हुआ है । मान्यवर, श्री चन्द्रबली सिंह सन् 1967-68 में इस सदन के सदस्य थे और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था । मैं जानता हूं कि वह एक त्यागमय जीवन बिताते थे, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता थे और लोकप्रिय नेता थे । मान्यवर, मैंने उनको इस सदन में काम करते देखा है और मैं कह सकता हूं कि वह एक अच्छे वक्ता थे । हमारे ऐसे साथी का हमारे बीच से चले जाने का, यह स्वभाविक है, हमें बड़ा दुख है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थान उन्होंने रिक्त किया है, शायद उसकी पूर्ति न हो सके । बीच में जब कभी भी वह मुझको मिलते थे मुझे ऐसा लगता था कि जल्दी ही वह आने वाले चुनाव में हमारे बीच में होंगे, मगर ऐसा न होगा इसका भी हमें बड़ा दुख है । मान्यवर, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा है मैं अपने आपको और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी इस दुःख भरी भावनाओं को उनके दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीय तिवारी जी तथा माननीय बलबीर सिंह जी ने स्वर्गीय चन्द्रबली सिंह के बारे में व्यक्त की ह मैं उससे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, चन्द्रबली सिंह जी सदन के सम्मानित सदस्य सन् 1962 से 1967 तक रहे और जैसा उनके बारे में आप लोगों ने व्यक्त किया, वह यहां जो करते थे अपने विचार सामने रखते थे, उससे स्पष्ट प्रकट होता था कि वे जिस चीज में विश्वास रखते थे उस पर बड़ी दृढतापूर्वक चाहे सदन के अन्दर हो या बाहर, कार्य करते थे और अपने जिले में हो या दूसरे जिलों में हों जा दुखी और दरिद्र परिवार हैं उसके लिये वह नित्यप्रति सतत् काम करते रहते थे । उनके बीच में वे जाते थे और उनका ऐसा विश्वास था कि यह वर्ग ऐसा दुखी है जिसे उनकी सेवाओं की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं कि हम और हमारे दल के लोग उनके निधन से बहुत दुखी हैं । आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे और मेरे दल की समवेदना उनके परिवार के लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें और साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे ।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, श्री चद्रबली सिंह के निधन का समाचार जब मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा तो एकाएक विश्वास सा नहीं हो सका और उससे अपनी असहमति व्यक्त करना भी बड़ा मुश्किल हो गया । बड़ी कठिनाइयों के साथ मैंने उस समाचार को सहन किया । श्रीमन्, उनकी और मेरी पैदाइश संयोग से थोड़े ही फासले पर हुई थी बावजूद इसके कि मैं गोरखपुर में पैदा हुआ था और वे देवरिया में पैदा हुये थे । हमारी और उनकी व्यक्तिगत मित्रता भी बहुत दिनों तक रही । मुझे जब यह समाचार मिला तो जितना कष्ट हुआ उसका बर्णन नहीं कर सकता । लगातार, अब तक मैं उस गम को स्वयं भुला नहीं पाया हूं ।

मान्यवर, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनके विचार में पीड़ित और शोषित मानवता की सेवा का ही सदैव स्थान रहा । वे जिस प्रकार की सेवा करते थे और जिनकी सेवा वे करते थे, उनके जो विचार थे जहां तक मेरी निगाह जाती है श्रीमन् संयोग से वहां तक तो मैं पाता नहीं हूं कि कोई दूसरा व्यक्ति उस तरह का सेवक हो ।

मान्यवर, सोशलिस्ट आन्दोलन से, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया उनका पुराना संबंध रहा है । वे सदैव क्रांतिकारी विचारों के पोषक रहे जिससे प्रजातांत्रिक समाजवाद और क्रांतिकारिता का स्वरूप समाज को आगे बढ़ाने वाला सिद्ध हो सके । मान्यवर, ऐसा भी एक वक्त आया कि उन्होंने स्वयं एक पार्टी का निर्माण किया, चुनाव लड़े और सम्भवतः वे 67 में जीते भी । इतने दृढप्रतिज्ञ व्यक्ति वे थे उसको देखते हुए उनको भुलाया जा सकना बड़ा मुश्किल हो रहा है । मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे और हमारे दल की सहानुभूति उनके शोकसंतप्त परिवार जिसमें एक पुत्र, पुत्रबधू आदि हैं उनके पास भेजने का कष्ट करें । श्रीमन्, संसदीय कार्य मंत्री जी, तथा अन्य नेतागण ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, स्वर्गीय चन्द्रबलीसिंह के निधन का समाचार देवरिया में 7 तारीख को मिला। समाचार मिलते ही हम सब लोग स्तब्ध रह गये। 6 तारीख को हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। यद्यपि वह कुछ दिनों से जीवन से लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन ऐसा लगता था कि उनका स्वर्गवास नहीं होगा। लेकिन जब उनके निधन का समाचार मिला तो हमारे जनपद में शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन से हमारे बीच से एक निर्भीक सिपाही उठ गया। वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे। वह बराबर शोषित और पीड़ितों के उत्थान में लगे रहे। उनके उठ जाने से खासकर समाजवादी दल का बहुत नुकसान हुआ है। वह राष्ट्रीय समिति के सदस्य थे। वह सदैव शोषित और पीड़ित मानवता के लिये लड़ते रहे। उनके निधन से हमारे दल की, समाजवादी आन्दोलन की और हमारे जनपद की महान् क्षति हुई है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं के विचारों से अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी सम्वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, चन्द्रबली सिंह जी के बारे में जो विचार वित्त मंत्री जी और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तो संघर्ष किया लेकिन आजादी के बाद भी संघर्ष करते रहे हैं। वे पीड़ित मानवता के लिये लगातार संघर्षशील रहे और आजादी के बाद भी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जेल में बीता। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके निधन से समाजवादी शक्तियों की काफी हानि हुई है। लेकिन हमारे नवयुवक उनके जीवन को आदर्श बनाकर उस हानि को पूरा करेंगे। आप मेरे और मेरे दल की सम्वेदना को उनके दुखद परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

मान्यवर, श्री चन्द्रबली सिंह जी का सम्बन्ध समाजवादी आन्दोलन से रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी वह कूदे थे और उसके बाद आर्थिक आजादी के लिये भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। इस समय जब वह गये हैं तो रात-दिन यही कहते रहे कि समाजवादी आन्दोलन का क्या होगा और वह अपने दल के और किसानों के बारे में बहुत चिन्तित रहते थे। श्रीमन् वह दो बार बीमार पड़े। लेकिन डाक्टरों ने विश्वास दिलाया था कि वह ठीक हो जायेंगे। लेकिन आखिर में वह काल कवलित हो गये। मैं अपने को और अपने दल को अन्य नेताओं द्वारा व्यक्त उद्गारों से सम्बद्ध करता हूं और शोक प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

श्री चन्द्रबली सिंह के निधन पर नेता सदन, नेता विरोधी दल और सदन की अन्य पार्टियों के नेताओं ने जो भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। वे समाजवादी तो थे ही लेकिन समाजवादियों में भी विशेष उनकी रुचि समाज के उस वर्ग के साथ थी जो पिछड़ा हुआ था। नारी वर्ग के साथ भी उनकी सहानुभूति थी और नारी समाज का उत्थान करने के लिये बहुत प्रयत्न करते थे। वे त्यागी थे निर्भीक और कर्मठ थे। ऐसे व्यक्ति के अपने बीच में से उठ जाने से सब को ही दुखी होना स्वाभाविक है। वे सदन के सदस्य भी थे। सदन को दुख होना भी स्वाभाविक है। आपने जो भावनायें व्यक्त की हैं उन भावनाओं को मैं उनके लड़के और पुत्र बधू तथा उनके कुटुम्बियों तक पहुंचा दूंगा। अब हम उठ कर परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 व 22 के संबंध में यह कहना है कि वह 30-1-73 को भेज दिया गया था लेकिन सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह टाल मिक्सचर कब तक रहेगा? गबन है और कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप उस पर निर्णय दें कि सरकार इस किस्म का उत्तर न प्रस्तुत करें और उत्तर पूरे विवरण के साथ दे।

श्री अध्यक्ष—

15 रोज के बाद जवाब रखेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जिस सवाल के जवाब को सरकार टालना चाहती है या यह समझती है कि सदन के सामने फेस नहीं कर पायेंगे उसमें लिख देते हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है। श्रीमान्, जी, आप इसमें कोई व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

15 रोज के बाद रखेंगे।

विविध प्रश्न

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

4 दिन के लिये सदन बन्द हो रहा है। यह विचार भी हो गया आपके कमरे में कि वेतन आयोग की रिपोर्ट बांटी जायेगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कर्मचारियों की तरफ से लगातार यह मांग चल रही है कि जो एरियर्स होंगे उनका भुगतान नकद कर दिया जाय। सरकार का क्या निर्णय हुआ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके लिये इजाजत नहीं दूंगा। आप पहले सब पढ़ लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एरियर्स के बारे में उसमें कुछ नहीं है।

मेरी बात आप सुन लें। एरियर्स के बारे में उसमें नहीं लिखा है कि कैसे दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी तो वेतन आयोग की रिपोर्ट बांटी जा रही है और आप उस पर तत्काल प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह एरियर्स कैसे दें यह तय होना है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा निवेदन यह है कि नत्थी ग के प्रश्न सं0 6 का उत्तर नहीं दिया गया है। सचिवालय के सज्जन से पूछने पर पता लगा कि अभी इसका उत्तर सरकार से ही नहीं आया है। तो इसका क्या होगा?

श्री अध्यक्ष--

यह ठीक है लेकिन बात यह है कि जब उत्तर नहीं आता है तो यह अनुचित बात है, उनको जवाब देना चाहिये । मैं कह रहा हूं लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है । उत्तर नहीं आया है तो मैं मंगवाऊंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्री सुरेन्द्र विक्रम वाली बात पर मेरी बात [illegible] लीजिये । (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके कारण यहां का पत्रकार जगत अत्यन्त आन्दोलित है ।

श्री अध्यक्ष--

जो विषय कामरोको प्रस्ताव के लिये रक्खा गया है आप उसी को शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं होगा ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

आप मेरी बात सुन नहीं पाये हैं । मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पत्रकारों ने एक निर्णय लिया है कि वह प्रशासन की विज्ञप्तियां आदि नहीं छापेंगे । इसका कारण यह है कि अभी 7 अप्रैल को रायबरेली जब वह गये थे तो उनको अपमानित किया गया और उनको रोक रक्खा गया । केवल इतना ही नहीं.....

श्री अध्यक्ष--

यही तो कामरोको प्रस्ताव में भी है । आप बैठ जाइये, मैं आपको इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैंने एक कामरोको प्रस्ताव प्रधान मंत्री के रायबरेली जाने के संबंध में भेजा है ।

श्री अध्यक्ष--

यह अभी आया नहीं है, यह 11 नम्बर पर है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उसी समय हम बात करेंगे ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बन्दी से संबंधित चर्चा का स्थगन

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी (जिला अलीगढ़)--

पिछली बैठक में आपने डा० राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी के प्रस्ताव पर मुस्लिम विश्वविद्यालय के संबंध में कुछ नेताओं को अपने कमरे में बुलाया था । उसके बाद उपाध्यक्ष जी ने.....

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)--

उनके प्रस्ताव पर नहीं बल्कि हम लोगों के सुझाव पर ।

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी--

कहा कि 12 तारीख को इस संबंध में चर्चा होगी । उससे लोक उत्सुकता तो जगी और हम लोगों के मन में तो यह हुआ कि आज न सही तो 12 तारीख को सही, परन्तु आज के एजेन्डा

में यह शब्द पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि "यदि मुख्य मंत्री जी हों तो, नहीं तो चर्चा 17 तारीख को होगी।" क्या इससे पहले भी एजेन्डा पर ऐसा रहा है कि अगर मुख्य मंत्री जी हो, नहीं तो इसके पीछे क्या रहस्य है ? इस पर आपकी व्यवस्था चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि जिस वक्त मैंने यह फैसला दे दिया कि 12 तारीख को यह होगा और किदवई साहब ने कहा कि कैसे भी हो, आप चले आयें 12 तारीख को और इसलिये मैंने कह दिया कि 12 तारीख को आप लौटकर आ जाइये और कृपा करके इसमें शामिल होइये। इसके बाद परसों सुबह वह जब यहां से जाने लगे बनारस तो कहने लगे कि एक बड़े संकट का मेरे सामने प्रश्न है। मैं बराबर लगातार प्रधान मंत्री के साथ जा रहा हूं। 14 तारीख को झांसी जाऊंगा कोई शिलान्यास के संबंध में, और दो-चार जगह वह जा रही हैं। तो अगर मैं न आ सकूं तो आप कृपा करके दूसरे रोज के लिये उसे कर दीजियेगा। यह बात उन्होंने कही। मैंने यह सोचा कि इसकी चर्चा कम से कम आज शुरू हो जाय, एक-आध भाषण मैं करा दूं।

श्री बंशीधर पाण्डेय---

मुख्य मंत्री जी नहीं हैं तो उस दिन ढाई घंटे के लिये कर दिया जाय। श्रीमन् मैं आपकी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूं तथा सदन का त्याग 10 मिनट के लिये करता हूं।

श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी---

(श्री अनीसुर्रहमान शेरवानी सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष---

यह भी हो सकता है और दूसरे यह भी हो सकता है कि हमारे गुप्ता जी किसी के ऊपर हमला तो करते नहीं हैं बल्कि बहुत सादे ढंग से भाषण करते हैं। तो उनका अगर भाषण करा दें आज आधा घंटे का ताकि लोगों को मालूम हो जाय कि क्या प्रश्न है और 2 घंटे 17 तारीख को बाकी लोगों को टाइम दे दूंगा। यह आप बातचीत कर लें।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

सबसे पहले हमारे दल ने इसको दिया, चौधरी साहब ने दिया, अपोजीशन लीडर हमारे और भाषण करने की इजाजत आप उनको दे रहे हैं। तो जो परम्परायें हैं उनको आप तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

आप परम्परा के हिसाब से चलना चाहते हैं तो ढाई घंटे के हिसाब से रख देंगे। अगर वह आ गये इस बीच में तो शुरू हो जायगा। वह नहीं आये किसी वजह से तो ढाई घंटे की बहस उस दिन हो जायगी। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो उस तारीख को उपस्थित नहीं था जब कि सदन ने इस विषय पर यह निर्णय लिया कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बन्दी के संबंध में आज चर्चा मुख्य मंत्री जी के सम्मुख की जाय। यह दुख की बात है कि उस निर्णय के बाद भी माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां उपस्थित नहीं हो सके। उनका उत्तरदायित्व पहले इस सदन के प्रति है। प्रधान मंत्री के लिये बाद को है। प्रधान मंत्री जी तो उत्तर प्रदेश में अब करीब-करीब हफ्ते में एक दफा तो जरूर ही आ जाती हैं और मुख्य मंत्री जी का उनके साथ में दौरा रहता है। उनका इस सिलसिले में सरकारी खर्चे पर दौरा इसलिये हो कि अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्दियों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

को किह तरह से परास्त करें, यह दुर्भाग्य की बात है। मेरा आपके माध्यम से सरकार के साथियों से यह विनम्र निवेदन है कि वे इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसी परम्परायें डालने की चेष्टा न करें जो गलत सिद्ध हों और जो इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को समाप्त करने वाली हों।

आपने अभी यह कहा कि आधा घंटा की आज बहस हो जाय। किन्तु मैं तो इस बहस में तभी हिस्सा लूंगा जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित होंगे। उनकी उपस्थित में ही मैं निवेदन करूंगा। मैं, अपने उन साथियों का जो यहां बैठे हुए हैं, उनका किसी प्रकार अनादर न करते हुए, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय का मामला एक सिद्धान्तिक मसला है और जो साथी आज सामने बैठे हुए हैं और सरकार चला रहे है; इस विषय पर अधिकारपूर्ण कोई बात नहीं कर सकते। इसीलिये माननीय मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में मैं कोई बात कहने असमर्थ हूं। मैं अभी परसों एक स्थान पर बहुत बड़ी गैदरिंग में इस विषय की चर्चा कर चुका हूं। मैं चाहता हूं कि जब इस विषय की चर्चा हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष--

अगर वे आज नहीं आते हैं तो चर्चा फिर आज नहीं होगी। उन्होंने भी यही लिखा था कि....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)

मान्यवर, हम लोगों को भी कहीं जाना पड़ जाता है। यह संदिग्ध स्थिति रहेगी कि आज चर्चा होगी या नहीं इसी समय निश्चय हो जाना चाहिये ताकि हम लोग यहां उस समय रह सकें।

श्री अध्यक्ष--

4 बजे आपको सूचना दे देंगे। (व्यवधान) माननीय वित्त मंत्री जी, क्या आप बता सकेंगे कि आज आ जायेंगे ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)--

आज ही इस पर बहस करा ली जाय। सरकार को कोई इन्कार नहीं है। (व्यवधान)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि अभी तक कोई आइटम ऐसा नहीं आया जिसमें यह हो कि कोई शर्त हो कि वे होंगे तो बहस होगी नहीं तो नहीं होगी। हमारे लिये तो ट्रेजरी बैन्चेज आज मौजूद है, वे मौजूद हों या न हों। लेकिन माननीय गुप्ता जी ने जो प्वाइंट आफ ब्यू रखा है उसमें भी बहुत वजन है। तो अच्छा यही होगा कि जब वे हों तभी बहस हो। लेकिन वह बात अभी तय हो जानी चाहिये। क्योंकि मान लीजिये जो भाई उसमें दिलचस्पी लेते हैं वह यही समझ कर उस समय न आ सकें। वह नहीं आते हैं और आप इनको पौने पांच बजे बतलाते हैं तो समय की वेस्टेज होगी।

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये वह अपना काम छोड़कर आ गये दो-ढाई बजे तक आ गये....

श्री चरण सिंह--

"मान लीजिये" नहीं, आप अभी तय कर लीजिये, भले ही 17 तारीख को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, 17 तारीख को ही रहेगा।

प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन के विवादों के निपटारे से संबंधित नियमावली के पटल पर रखने पर आपत्ति

(सामुदायिक विकास मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सामुदायिक विकास मंत्री जी ने इसमें तीन व चार के संबंध में इस सदन में कहा था कि यह सूचना मंत्री जी ने रखी है और इस संबंध में एक विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान की सूचना आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी है। अब हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब तक हमारे प्रश्न निर्णीत न हो जायें क्या आप उसी संबंध में सूचना सदन के पटल पर रखने की इजाजत देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

चाहिये तो कि सदन के पटल पर रखने की इजाजत दी जाय। लेकिन अगर उन्होंने नहीं रखा था उस दिन तो उनको क्षमा मांगनी चाहिये सदन से, फिर रखना चाहिये।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, उसमें क्षमा का सवाल नहीं है। इनके न रखने से, इनकी बंगलिंग से सारे ब्लाक प्रमुखों के एलेक्शन अबैध हो गये हैं। 475 क्षेत्रीय समितियों के चुनाव आज इनकी बंगलिंग से बिल्कुल गलत हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यदि गलत हो गया है तो गलत रहेगा। उन्होंने कहा कि जब हमने आपके सामने नियम रख दिये थे तो उसमें परिवर्तन करने की मोहलत मौजूद थी। लेकिन जब ऐसी हालत में उन्होंने नहीं रखा है, तो उसका तो खेद उन्हें प्रकट करना चाहिये था कि हमने गलती से बगैर उसकी जांच किये हुए यहां कह दिया था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इतने गंभीर मसले को आपने इतने सस्तेपन से निपटा दिया।

श्री अध्यक्ष—

जब रखेंगे, उसके क्या परिणाम होंगे, तो चुनाव बेकार होगा। तो मैं कहना चाहता हूं यहां बेकार नहीं होता है वे बेकार हो जायेंगे वहां जहां चुनाव हुए थे।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

आपने कहा यह शायद रख दिये थे, उन्होंने कहा कि हमने पटल पर रख दिया था, सदस्यों को काफी मौका था उसमें संशोधन प्रस्तुत करने का। तो अब स्पष्ट है कि इस अवसर से महरूम किये गये। उन्होंने नहीं रखा और चुनाव हो गये, तो उसका क्या परिमार्जन है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये मैं कानूनी राय लूंगा। और आपके सामने भी रखूंगा।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

तो आप इनको न पेश करने दें। पहले कानूनी राय ले लें। नहीं तो इनका हक बन जायगा जब आप यह समझ गये हैं कि हम अपने अधिकारों से वंचित हो गये हैं आपको अवश्य देखना चाहिये।

और हमारा अधिकार महरूम हो गया । तो आप एस्केप निकालना चाहते हैं । आप इस मामले को रोक कर कानूनी विभाग से राय लेकर तब इनसे पेश करवाइये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इतना कानून जानता ही हूं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

कानून आप तो जानते हैं । आप सुन लें, मेरा इतना निवेदन । विशेषाधिकार प्रश्न अभी आपके सामने अनिर्णीत पड़ा हुआ है । आपने कहा कि इस संबंध में जांच करूंगा, पता लगाऊंगा कि सही बात क्या है । पहले विशेषाधिकार का प्रश्न हल हो जाना चाहिये उसके बाद इनको जो चाहें सजा दें, यह सदन जो चाहे सजा दे, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है । लेकिन उसके पूर्व मुझे यह निवेदन करना है कि मद नम्बर 3 और 4 जब तक विशेषाधिकार प्रश्न निर्णीत नहीं हो जाता इस सदन के पटल पर न रखे जायं । इनको आप रोक दीजिये । उस पर फैसला कर लीजिये कल को इस सदन के पटल पर रखवा दीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष—

रखवा देंगे और रखवाने के बाद जो गल्ती करने वाले हैं उसके लिये माफी मंगवा देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमन्, विशेषाधिकार के प्रश्न पर यह फैसला हो जाय कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के बारे में फैसला कर दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो फैसला सुना दीजिये उसका । तीन और चार को रोक दीजिये और पहले विशेषाधिकार का प्रश्न ले लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

3 और 4 को रोक दें और 5 को आज ले लें । ठीक है मैं कल ले लूंगा । कानूनी सलाह ले कर फिर उसके बाद रखूंगा । कानूनी सलाह ले कर बता दूंगा नम्बर पांच पढ़िये ।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बन्दी से संबंधित चर्चा का स्थगन—(क्रमागत)

श्री अहमदुल्ला खां (जिला मुरादाबाद)—

जरा सा मैं अर्ज कर लूं, अध्यक्ष जी । मुझे यह अर्ज करना है कि हमारे मंत्री ने कहा कि यूनिवर्सिटी का मामला शुरू होना चाहिये और सब की ख्वाहिश है । पहली तारीख में आपने टाला । फिर दूसरी तारीख में भी टाल दी गयी । इसका मतलब मैं नहीं समझता । जब हमारे मंत्री जी कह चुके तो उस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिये । वैसे आपका ख्याल है । अगर ऐसा नहीं होगा तो हम वाक आउट करते हैं ।

(श्री अहमदुल्ला खां सदन त्यागकर चले गये हैं ।)

श्री अध्यक्ष—

मैं फैसला दे चुका ।

श्री बंशीधर पान्डेय—

यह अपनी सरकार पर इस्तीफा दे देने के लिये दबाव नहीं डालते ।

श्री अध्यक्ष—

नम्बर पांच लीजिये आप । (श्री चन्द्र भान शर्मा के खड़े होकर कुछ कहने पर) अब किसी को ज्यादा छेड़िये नहीं ।

प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे से संबंधित नियमावली के पटल पर रखने पर आपत्ति—(क्रमागत)

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि अधीनस्थ विधान किसी अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित किया जाता है। संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान होता है कि अधीनस्थ विधान निर्मित हो जाने के उपरान्त सदन के पटल पर रखा जायगा। आपने आज्ञा दे दी कि वह अधीनस्थ विधान सदन के पटल पर न रखा जाय। यह एक प्रकार से सदन द्वारा जो अधिनियम निर्मित किया गया है उसमें जो विशेष प्राविधान है उसके विरुद्ध है, इस पर आप विचार करें। अधीनस्थ विधान के प्रभावी होने के लिये यह आवश्यक है कि उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाय। प्रश्न यह है कि अधीनस्थ विधान के निर्माण के बाद निश्चित नोटिफिकेशन हो चुका है। यह केवल औचित्य का प्रश्न है। जैसे ही प्रतिनिहित विधायन हो सदन के पटल पर रखा जायगा। इसमें देरी जरूर हुई है लेकिन कानूनी त्रुटि नहीं हुई है। इसलिये सदन के पटल पर रखने की इजाजत दें क्योंकि अधिनियम में इस प्रकार का विधान है। यह अधिनियम की धाराओं के विरुद्ध होगा।

श्री अध्यक्ष—

कोई विरुद्ध नहीं है। मुझे अधिकार है। मैंने कल के लिये रख दिया है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) (संशोधन) नियमावली, 1971†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मैं पंचायती राज विभाग, अनुभाग 2, की विज्ञप्ति संख्या 1041-बी/33, दिनांक 24 मार्च, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (कार्यालय स्थान) (संशोधन) नियमावली, 1971 को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 230 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

अगर आप आज्ञा दें तो माननीय सदस्यों ने जो आपत्तियां उठाई हैं मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं।

श्री अध्यक्ष—

कल जब पश करांऊगा तब आप कह लीजियेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार की ओर से यह जो कहा गया कि संशोधन नहीं भेजे गये हैं यह गलत है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन-जिन नियमों में मैंने संशोधन भेजे हैं जो सदन के पटल पर इस सत्र में रख दिये गये हैं उन पर चर्चा की तिथि आप कौन सी निर्धारित करने जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस बात को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रख दूंगा।

---

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्य कलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन 1971–72†

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग के कार्यकलापों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन 1971–72 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

प्रशासन के जितने पाप हैं उनको सरकार सतर्कता आयोग के मत्थे फोड़ना चाहती है । मेरा निवेदन है कि एक दिन इस आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिये निर्धारित कर दिया जाय ताकि हमको अपने विचार इसकी रिपोर्ट पर व्यक्त करने का अवसर मिल सके जैसे कि अन्य रिपोर्ट्स पर अवसर मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

17 तारीख को नये कार्य मंत्रणा समिति में इसे मैं रख दूंगा ।

पूर्वी जिलों के पिछड़ेपन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैंने नियम 301 की सूचना आपको दी है। सूचना यह है कि देश में सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है और प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ पूर्वी इलाका है और उसमें भी बस्ती जिला है लेकिन राय बरेली को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्तर पर प्रथम स्थान दिया जा रहा है और पूर्वी इलाकों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है । मुख्यमंत्री तथा प्रधान मंत्री के क्षेत्र की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है और अन्य पूर्वी जिलों की ओर सरकार किंचित मात्र ध्यान नहीं दे रही है और एक तरह से उनके साथ स्टेप मदर्लीट्रीटमेन्ट किया जा रहा है, उनके विकास के प्रति सरकार उदासीन है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसे 301 के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है । और यह लिखा है कि जिस दिन उद्योग विभाग का बजट आये उस दिन आप पेश करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हम केवल उद्योग विभाग के बारे में ही नहीं कहेंगे बल्कि सभी के बारे में कहेंगे । आप दो मिनट सुन लीजिये । विकास की दृष्टि से शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी विभाग इसके अन्तर्गत आ जाते हैं और सभी का सामूहिक रूप लेकर हम कहना चाहते हैं । इसलिये इसके लिये हमें समय दीजिये । हमें आशा है कि माननीय सदस्य भी हमारा साथ देंगे । खाली उद्योग विभाग वाले दिन ही हम कहें तो इसके साथ न्याय नहीं हो पायेगा । उसमें केवल एक ही मसला आ पायेगा (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

जिस दिन उद्योग विभाग का बजट आये उस दिन आप पेश कीजिये ।

---

†छापा नहीं गया ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं कहता हूं कि इसमें सारे विषय आ जाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह इसमें नहीं आयेगा । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम चरण सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री रामचरन एम0 एल0 ए0 ने 363, 366, 376 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आगरा में सरैंडर किया है और जमानत पर छोड़ दिये गये हैं । इसकी सूचना देने की जरूरत नहीं थी लेकिन इसलिये दे दी गई कि उनको गिरफ्तार किया गया और वे बेल पर छोड़ दिये गये ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में जानकारी

श्री अध्यक्ष—

आज विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं है और लोगों ने जो पेश किया है उसका मैं कल फैसला दे दूंगा ।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न 9 मार्च को समाज कल्याण मंत्री की गलत बयानी के संबंध में दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो अस्वीकार हो गया है । (व्यवधान)

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय शिवानन्द नौटियाल वाला प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, बाल योगेश्वर वाला मामला.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने एक निर्णय तो दे दिया है जिसको कहत हैं प्राग्दर्शन उससे मालूम होता है कि विशेषाधिकार की अवहेलना होती है । इसके ऊपर फसला सदन को देना है । आप चाहते हैं कि सदन में इसका फैसला हो और कमेटी को यह न भेजा जाये । जब तक कि पूरा मसला सदन के सामने न आ जाये । (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, हमारा कहना यह है कि बिलम्ब नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

इसका कोई सवाल नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, काफी विलम्ब हो रहा है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

17 तारीख को ले लेंगे ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आपने समन और वारन्ट के बारे में भी कोई व्यवस्था की है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसकी व्यवस्था करायी है कि न वारन्ट आयेगा और न समन आयेगा ।

लखनऊ मेडिकल कालेज के भौतिक एवं व्यवसायिक चिकित्सा के छात्रों की मांगों के संबंध में वक्तव्य

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, लखनऊ मेडिकल कालेज के भौतिक एवं व्यवसायिक चिकित्सा के छात्रों की मांगों के संबंध में भौतिक एवं व्यवसायिक चिकित्सा का प्रशिक्षण किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ आर्थोपीडिक्स विभाग के अन्तर्गत चल रहा है । यह एक स्वशासित संस्था है जिसको अपने ही प्रयासों से यह कोर्स चलाया जा रहा है । इस प्रशिक्षण के संचालन के लिये शासन द्वारा उक्त कालेज को न तो कोई आदेश दिये गये हैं और न इस संबंध में नियमित रूप से कोई अनुदान ही दिया जाता है । फिर भी प्रशिक्षार्थियों की मांगों के विषय में उक्त कालेज के अधिकारियों से विचार विमर्श किया गया जिससे विदित हुआ कि उक्त कोर्स के आरम्भ करते समय ही कालेज अधिकारियों द्वारा छात्रों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद संबंधित विषय में डिप्लोमा प्रदान किया जायेगा अतः छात्रों की यह मांग कि उन्हें संबंधित विषय में डिग्री प्रदान की जाय, असंगत प्रतीत होती है ।

उक्त कालेज के अधिकारियों के कथनानुसार उक्त डिप्लोमा कोर्स को इंडियन एसोसियेशन आफ फिजियोथिरैपी तथा आकूपेशनल थिरैपी से भी मान्यता प्राप्त कराने के लिये प्रयत्न जारी हैं ।

इसके अतिरिक्त शासन भी उक्त कोर्सों में सफलता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये राज्य सेवा के अधीन सेवायोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मान्यता प्राप्त करने के लिये कब आवेदन किया गया और क्या प्रार्थना उसमें की गई और वहां से क्या उत्तर आया और इस प्रशिक्षण के आरम्भ करने से पहले ही मान्यता क्यों नहीं प्राप्त की गई ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

जैसा कि मैंने वक्तव्य में ही कहा है कि यह कोर्स सरकार की अनुमति से नहीं चलाया गया यह स्वयं मेडिकल कालेज ने चलाया है, वही इस संबंध में लिखा पढ़ी भी कर रहे हैं ।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या यह बात सही है कि केंद्रीय सरकार ने इस प्रशिक्षण को प्रदेश में आरम्भ करने के लिये आपको 1 लाख 81 हजार रुपये का अनुदान दिया है और आपकी अनुमति से ही यह प्रशिक्षण आरम्भ किया गया था ?

(उत्तर से पहले ही)

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)—

मैं बता दूं कि इसमें वास्तविकता यह है कि भौतिक एवं आकुपेशनल थेरेपी के लिये 70–71, 71–72 और 72–73 और 73–74 में बराबर राज्य सरकार में अनुदान स्वीकृत किये हैं। और इस तरह से 1 लाख 81 हजार रुपये के अनुदान दिये गये हैं। लेकिन कुछ षड़यंत्र कारियों ने स्वार्थवश इस कार्यक्रम को चालू न करके गड़बड़ किया है, क्या मंत्री जी इस चीज को स्पष्ट करेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

अध्यक्ष महोदय, 69–70 में किंग जार्ज मेडिकल कालेज में इन दोनों विषयों के लिये शिक्षा के लिये व्यवस्था की गई और शासन ने केंद्रीय सरकार से मांग की कि इसपरियोजना के लिये अनुदान दिया जाय। इस पर भारत सरकार ने कहा कि एक साल के पाठ्यक्रम के लिये हम स्वीकृति नहीं दे सकते। उसके बाद मेडिकल कालेज ने वहां स्टेट मेडिकल फैकल्टी का पाठ्यक्रम स्वतः आरम्भ कर दिया और जब यह बात हमारे नोटिस में आई तो इस साल हमने इसके लिये एक लाख रुपया का प्राविधान किया है और भारत सरकार से मांग की है और हम चाहते भी हैं कि इस डिप्लोमा कोर्स को डिग्री कोर्स में परिवर्तित किया जाय और भारत सरकार जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहती है पाठ्यक्रम चलाया जाय। लेकिन यह सत्य नहीं है कि इससे पूर्व भारत सरकार से कोई अनुदान इस काम के लिये मिला था।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भारत सरकार जिस तरह का प्रशिक्षण और कोर्स चाहती है मेडिकल कालेज को वैसा कोर्स रखने में क्या असुविधा थी?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ही मेडिकल कालेज है। स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक कोर्स बनाकर आरम्भ कर दिया। भारत सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि हमारा पाठ्यक्रम आप जब रख देंगे तब हम उसको स्वीकार करेंगे और अनुदान भी देंगे। इसी बीच 2 वर्ष का पाठ्य क्रम स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा संचालन होता गया। उसमें डिप्लोमा देने की व्यवस्था है। भारत सरकार को अब दूसरी योजना भेजी जा रही है और उसके अन्तर्गत इस योजना में उनसे अनुदान की मांग की गयी है और योजनान्तर्गत हमारा जो बजट है, जब यह पास हो जायेगा तब उसके उपरान्त डिग्री कोर्स में बदलने का प्रयास किया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इस बयान के बाद और जो माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर समस्या का निदान ढूंढ़ेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

इस संबंध में विरोधी दलों के नेता और छात्रों के प्रतिनिधि भी मिल चुके हैं। कई बार हम मेडिकल कालेज के अध्यापकों के साथ बैठकर मीटिंग कर चुके हैं और बड़े विस्तार से मामले को समझा है और उसकी सारी व्यवस्था करने का हम विचार कर रहे हैं। इस समय हमें यह भी विचार करना है कि जो डिप्लोमा प्राप्त छात्र निकलेंगे, उनको भी शासन में कहां स्थान मिले और हमारा यह भी प्रयास है, जैसा कि उनकी मांगें हैं कि भविष्य में डिप्लोमा के स्थान पर उनका डिग्री कोर्स कर दें।

श्री राजेंद्र कुमार शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छात्रों के कितने बैच निकले, और उनमें से कितनों को सर्विस में लिया गया, यदि नहीं, तो क्यों जब कि अनट्रेड और अनक्वालिफाइड..

श्री धर्मदत्त वैद्य---

अभी इन छात्रों को कहीं नहीं लगाया गया है । नये पद सृजन करने की व्यवस्था की जा रही है और सरकार ही इस बात का प्रयास कर रही है कि जिला अस्पतालों में आर्थोपेडिक्स सर्जन के साथ लगावें और जितने व्यक्ति डिप्लोमा पास करके निकलेंगे, उन सब को स्थान मिल सके ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत एक सूचना दी है।

श्री कृष्णस्वरूप वैश्य---

क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि गत वर्ष जो ग्रुप निकला और एक ग्रुप इस वर्ष प्रशिक्षण पा रहा है, इन दोनों के विद्यार्थियों को सेवा में ले लिया जायगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

जितनों को डिप्लोमा मिला है, उनको सेवा में लेने पर विचार किया जा रहा है और भविष्य में यह प्रयास किया जायेगा कि इन डिप्लोमा प्राप्त छात्रों को कोई रिफ्रेशर कोर्स देकर उनको डिग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय ।

(इस समय 1 बजकर 5 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

पहला प्रस्ताव प्रयाग में केंद्रीय मंत्रियों की सभा में गोली चलने से उत्पन्न असाधारण संकट के बारे में सर्वश्री सुरेन्द्र विक्रम, बंशीधर पांडेय, चन्द्रमोहन सिंह नेगी का प्रस्ताव है । दूसरा प्रस्ताव 9-4-1973 को सी0पी0एम0 महाविद्यालय में आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में फायरिंग के बारे में सर्वश्री कल्याण सिंह, नेतराम सिंह, सियाराम और माधव प्रसाद त्रिपाठी का है । इन दोनों प्रस्तावों को जोड़ दिया जायेगा । अध्यक्ष ने, इन्हें केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इतने महत्वपूर्ण विषय में बिना हम लोगों के सुने, उसे वक्तव्य के लिये भेज दिया । मान्यवर, केंद्रीय मंत्री वहां मौजूद थे, सारी पुलिस वहां रही । कप्तान, डी0 आई0 जी0 वहां थे । वहां फायरिंग हुई । किसी ने उड़ा दिया कि हवाई फायरिंग हुई । किसी ने कहा कि वह आपसी राजनीति का मामला था । मान्यवर, इस तरह से प्रशासन बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । इसमें तो डिस्कस करने का मौका दिया जाना चाहिये था । खाली कामरोको प्रस्ताव से कुछ नहीं होता ।

श्री उपाध्यक्ष---

कामरोको प्रस्ताव का अर्थ है काम-साधो ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

मान्यवर, यह प्रशासन कम्पलीटली कोलैप्स कर गया है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

कोई काम रोक करके ही कोई काम साधा जाता है, मान्यवर ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

अगर मंत्रियों के रहते हुये यह हालत हुई, तो हम गरीबों की क्या हालत होगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर यह खतरा माननीय सुरेन्द्र विक्रम, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी के विरुद्ध हो, तो निश्चय ही हम इस बात को स्वीकार करेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जब ये महीनों व्यवस्था करते हैं तो यह हालत है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको उनसे बड़ी हमदर्दी है । क्या उनके कर्मों का फल न मिले, इसमें आप रुकावट डालना चाहते हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)---

इस देश की राजनीति में अगर इस तरह की बातें हुईं, तो ये क्रांति की ओर संकेत करती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

तीसरा प्रस्ताव श्री कल्पनाथ सिंह का है कि दिनांक 7 व 8-4-73 को प्रधान मंत्री के कार्यक्रम के सिलसिले में रायबरेली में प्रेस करेस्पान्डेन्ट्स के साथ अभद्र व्यवहार हुआ ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष जी ने कहा था कि इस सिलसिले में दो मिनट . . .

श्री उपाध्यक्ष---

वह काम तो हुआ नहीं ।

*श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, सरकार के कुछ प्रिंसिपुल्स लेड डाउन हैं कि प्रेस के साथ किस तरह से व्यवहार किया जायेगा। ये सारी चीजें डेमोक्रेसी की जान हैं । उनकी फ्रीडम पर भी इस तरह से कुठाराघात हो रहा है । जब प्रधान मंत्री जी वहां गयीं, तो ऐसी हालत में जनता को सारी चीजों का पता चलना चाहिये था । प्रेस वाले उन चीजों को न ले पावें कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर का स्वागत हुआ, किस तरह से लोगों ने अपने दुख-दर्द की गाथा उनसे कहा, तो इससे जनता को बड़ा असंतोष हुआ । दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर रायबरेली में किसी तरह भिन्न मुहकमों का कितना रुपया पक्षपातपूर्ण तरीके से खर्च करवा रही हैं, प्रेस इस बात की ओर ध्यान न दे पावे, तो यह बात कितनी अन्यायपूर्ण है और प्रेस वालों को इससे बड़ा क्षोभ है । जर्नलिस्ट्स को जिस तरह से मौजूदा सरकार में बेरहमी और बेहयाई के साथ अभद्र व्यवहार किया है, इसमें आवश्यकता इस बात की है कि सदन में खुले कामरोको प्रस्ताव स्वीकार करके चर्चा की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब वह तो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुआ ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)--

मैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो आपके सामने निवेदन किया है उसका समर्थन करता हूं । प्रेस के साथ जो ज्यादती हुई है वह काबिले-मजम्मत है ही लेकिन गवर्नमेंट ने जो गलतियां कीं उसकी भी हम निन्दा करते हैं । प्रेस की फ्रीडम डेमोक्रेसी के लिये बहुत ही आवश्यक चीज है । बिना इसके जनतंत्र चल ही नहीं सकता । मैं तो डेमोक्रेसी की दृष्टि से तथा जनता की दृष्टि से यह आसपेक्ट आपके सामने रखता हूं । यह बहुत ही अहम मसला है और इस पर फुलडे डिबेट होनी चाहिये । अगर फुलडे डिबेट न भी हो तो दो घंटे की सही । मान्यवर, यह प्रेस की फ्रीडम का मसला है और अगर प्रेस की फ्रीडम नहीं होगी तो डेमोक्रेसी के लिये खतरा पैदा हो जायगा । यह हमारे इन्ट्रस्ट की बात है, सारे प्रदेश की बात और प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की बात है । प्रधान मंत्री के जाने पर लाखों रुपये का व्यय होता है और वह जो कुछ कहती हैं, करती हैं पब्लिक को यह जानने का हक है कि वह उसको जाने । पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया प्रेस वालों को तो मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेटिक लिबर्टीज का हनन हुआ है । इसलिये मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि अपनी इस व्यवस्था पर पुनः विचार करें और फुलडे डिबेट करवा दें ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने जो विचार आपके सामने रखे हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस वक्त सारे प्रदेश में जो भावना फैली हुई है वह यह है कि आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वह गला घोंटने की दृष्टि से हो रहे हैं । मान्यवर, आज सार प्रचार के साधन उनके पास, जुडीशियरी कमिटेड की बात करते हैं, लेकिन वह भी नहीं है । एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके हाथ में है ही, तो ऐसी अवस्था में डेमोक्रेसी जीवित कैसे रहेगी । जो एक साधन था फ्रीडम आफ प्रेस, उसका भी गला घोंटा जा रहा है । मैं कल्पना नहीं कर पाता अगर प्रेस की फ्रीडम पर यह अंकुश लगा दिया जायेगा तो देश की क्या स्थिति होगी । प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री के इशारे पर आज कितनी निर्भीकता के साथ प्रेस का गला एक्जीक्यूटिव आफीसर्स ने घोंट दिया ।

मान्यवर, पहले से उनको स्थान नहीं दिया जाता ताकि कार्यक्रम प्रारम्भ होने से अन्त तक उसका सही विवरण जनता के सामने अखबारों के माध्यम से दे सकें ताकि हम अच्छी तरह से उनके आइडियाज को जान सकें, सारी जनता इस बात को जान सकें । आज दो वक्त जनता को रोटी नहीं मिल रही है और इसके बावजूद आज करोड़ों रुपया उनके आने पर खर्च किया जाता है । तो आखिर यह सब कौन कहेगा, दुनिया के सामने कौन बात रखेगा, अगर यह प्रेस को मौका नहीं दिया जायेगा । मान्यवर, मैं तो समझता हूं कि यह अन्याय है । यह प्रेस के राइट का सवाल नहीं है, मैं तो इससे ऊपर जाकर कहता हूं कि यह विरोध पक्ष के राइट का सवाल है । मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पर विवाद हो और इसलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसको पुनः अध्यक्ष जी के विचारार्थ उनके सामने प्रस्तुत करें ताकि इसको चर्चा का विषय बनाया जा सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी तो वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, अध्यक्ष जी के सामने आप पुनः प्रस्तुत करें ताकि इस पर पूरे दिन की डिबेट की जा सके । और अगर पूरे दिन की नहीं तो कम से कम ढाई घंटे की चर्चा हो जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बंशीधर पांडेय--

अध्यक्ष जी, आप इसको नियम 52 के अन्तर्गत कर दें । जो श्री कल्पनाथ सिंह जी ने, चौधरी साहब ने तथा हमारे त्रिपाठी जी ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि यह बहुत ही अहम मसला है। इसलिये आप इस पर पुनः विचार करें और नियम 52 के अन्तर्गत आप ढाई घंटे की चर्चा करवा दें ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है जबकि सारा प्रचार साधन, रेडियो, आदि सरकार के अन्तर्गत हैं ।

मान्यवर, केवल समाचार पत्र ही ऐसा साधन था जिससे सही स्थिति जनता के सामने आ सकती है । ऐसी हालत में जब जनतंत्र के नाम पर इस देश में धीरे-धीरे तानाशाही लाई जा रही है और इसकी मिसाल रायबरेली और दूसरे स्थानों पर भी हुआ । जैसा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि इस पर फुलडे डिबेट होनी चाहिये और इसमें कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि यह किसी व्यक्ति या संस्था का सवाल नहीं है सवाल यह है कि इस देश में जनतंत्र रहेगा या नहीं । इस देश में किस तरह की घटनायें घटने वाली हैं यह इससे इन्वाल्व्ड है इसलिये इस पर एक अच्छा सा विवाद जल्द ही करवाने की व्यवस्था करें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, मेरा भी निवेदन है कि इसमें केवल वक्तव्य से ही काम नहीं चलेगा । आज प्रदेश में नौकरीशाही इतनी निरंकुश हो चुकी है कि पत्रकार जा रहे हैं और मशहूर पत्रकार जा रहे हैं और उनको छोटे-छोटे अधिकारियों द्वारा इनकी गाड़ी रोकी जाती है और उनके साथ बदतमीजी का व्यवहार किया जाता है । प्रश्न यह है नहीं कि सरकार की नीति क्या है और क्या नहीं है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर पत्रकारों के साथ इनकी निरंकुश नौकरशाही का यह व्यवहार हो रहा है तो फिर साधारण आदमियों के साथ इन अधिकारियों का कैसा व्यवहार होगा । तो इस पर विचार होना जरूरी है और केवल एक वक्तव्य से काम नहीं चलेगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

एक अर्द्ध सरकारी व्यक्ति ने जब समर्थन कर दिया है तब तो आप बात मान लीजिये ।

श्री गोविन्दसिंह नेगी--

इन्हें पता ही नहीं है कि कौन सरकारी है और कौन अर्द्ध सरकारी ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, गम्भीर और सामयिक बन चुका है । मान्यवर, वस्तुस्थिति ऐसी है कि जब सारे पत्रकार वहां पहुंचे तो पत्रकारों को वहां रोक कर एक प्रकार से पुलिस कस्टडी में रख लिया गया यह एक अत्यन्त ही खेदजनक बात है । दूसरी बात मान्यवर यह है कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सूचना विभाग की होती है और मैं अपनी अनुमति के आधार पर निश्चय रूप से कह सकता हूं और जो मुझे निश्चित सूचना पत्रकारों से मिली है उसके आधार पर कह सकता हूं कि पत्रकारों को वहां प्रधान मंत्री जी के कार्यक्रम में जाने और आने की निश्चित व्यवस्था न करके पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का मखौल उड़ाया गया और कई बार ऐसी घटनायें घट चुकी हैं ।

मान्यवर, आगे चल कर जो दो पब्लिक फ़ंक्शन्स प्रधान मंत्री जी द्वारा उद्घाटित होने को थे यानी एक तो महाबीर प्रसाद द्विवेदी मार्ग का और दूसरा गंगासी पुल का उद्घाटन होने को था, उसमें पत्रकार शामिल नहीं हो सके मुझे जानकारी मिली है कि प्रधान मंत्री जी स्वयं

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

चाहती हैं कि पत्रकारों के मौलिक अधिकारों का हनन न किया जाय भले ही थोड़ी देर हो जावे पत्रकारों की प्रतीक्षा करनी चाहिये, लेकिन किसी भी स्थिति में पत्रकारों के जो अधिकार हैं, क्योंकि पत्रकार जनता के अधिकारों के कस्टोडियन्स हैं, उन्हें उससे बंचित न किया जाय। मान्यवर, उन्हें न केवल उससे वंचित किया गया है बल्कि सारे जनसमाज में जो प्रधान मंत्री की नीतियों और कार्यक्रमों को मन, मस्तिष्क और हृदय से कार्यान्वित करना चाहते हैं। उनके भाषण से वंचित रखा गया है जनता को भी उसके अधिकारों से वंचित रखने की चेष्टा की गयी है।

इसलिये मैं अत्यन्त गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन में विचार होने दें क्योंकि यह सदन के, जनता के मौलिक अधिकारों के और प्रजातंत्र के हित और मान और सम्मान का प्रश्न है और इसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिये और सूचना विभाग के जो बराबर पत्रकारों को असम्मान की दृष्टि से देखता है, हेय और तिरस्कार के साथ देखता है और पत्रकारों को दबाने और गिराने की चेष्टा करता है इस बात के लिये बाध्य किया जाना चाहिये कि वह पत्रकारों को जो उचित मान व सम्मान दे। मान्यवर, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग के लोग पत्रकारों को अपना डोमेस्टिक सरवेंट समझते हैं। यह प्रथा समाप्त हो जानी चाहिये। इसमें पक्ष विपक्ष का प्रश्न नहीं है, दलगत राजनीति की बात नहीं है, इसमें सरकार को और हम सब को हस्तक्षेप करना चाहिये और एक अलग सा विषय मानकर इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मैं दुर्भागवश रायबरेली में मौजूद नहीं था लेकिन अखबारों में जो मैंने पढ़ा और जो हमारे मित्रों ने कहा तो मुझे जो बात पता लगी वह यह है कि जिस बस में पत्रकार बंधु जा रहे थे उसे डी0वाई0एस0पी0 साहब ने गलती से रोक लिया और जब उन्हें पता लगा कि इस बस में कुछ पत्रकार बंधु थे तो उन्होंने वहां उनसे माफी चाही।

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

पत्रकारों ने अपना परिचय दिया और आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, तब भी नहीं माने।

श्री बंशीधर पांडेय—

पत्रकार ही नहीं, असिस्टेंट इंफारमेशन डायरेक्टर भी थे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

हमारे मित्र जो बात कह रहे हैं वह शायद सही हो। हमारे मित्रों ने कहा और और भी लोगों ने कहा कि पत्रकारों को लेखन स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिये। जहां तक उनके लेखन स्वातंत्र और सम्मान का प्रश्न है तो प्रधान मंत्री की ओर से बार-बार कहा गया है कि वह उसकी हामी हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह गलत बयानी आपसे जाने या अनजाने में हो गयी। आप कह रहे हैं कि माफी मांग ली गयी है तो कभी नहीं मांगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

वहां पर डी0 वाई0 एस0 पी0 जो भी थ उन्होंने क्षमा याचना की।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

डी० वाई० एस० पी० कौन होते हैं। गल्ती होगी ऊपर की ओर मौका आने पर इनके ऊपर ढकेल दी जायगी।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

जब आप सबको मौका मिल रहा है तो एक-एक करके कहें। अगर सब एक साथ कहेंगे तो कैसे लिखा जायगा।

श्री रामधारी शास्त्री—

इस पर चर्चा करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष —

जब आप वाक् स्वतंत्रता के पक्ष में हैं तो किसी दूसरे की बात को भी सुनें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इनको सदन को गुमराह नहीं करना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं तो बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे प्रोत्साहन तब मिला जब हमारे मित्र नेगी जी बोले। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

तब तो शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

नियाजी फरमान अली को सदन में बोलने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिये।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मेरे मित्रों ने दो चीजों की मांग की। एक तो यह कि चर्चा हो जाय। मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर चर्चा हो जाय जिससे कि जो गलतफहमियां हैं वे दूर हो जायं। मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि पत्रकार बंधु समझते हैं कि उनकी स्वतंत्रता के संबंध में प्रधान मंत्री के और इस सरकार के क्या विचार हैं। लेकिन अगर कोई गलतफहमी है तो वह साफ हो जानी चाहिये।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

मैं इधर और उधर की बातें सुन रहा था। मुझे आशा भी थी कि हमारे आचार्य जी, नेगी जी से आशा नहीं है क्योंकि वह हिज मास्टर्स वायस हैं, जहां तक मूल प्रश्न निहित है सिक्योरिटी और इंफारमेशन का जिसका बार-बार जिक्र आता है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालते।

वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता का इस प्रदेश में और इस देश में सिक्योरिटी के नाम पर गला घोंटने की आदत हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझसे सहमत होंगे कि केवल वक्तव्य मात्र से, कुछ इधर से प्रश्न हो गये और कुछ उधर से हो गये, इस समस्या का हल नहीं होता है। हल तो तभी होगा जब फ्लोर आफ दि हाउस पर पूरे प्रश्नों को थ्रेश आउट किया जायेगा।

[श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे]

आचार्य जी ने कहा कि डी० एस० पी० ने क्षमा मांग ली थी। यह बात कहां तक सत्य है मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं क्योंकि मेरी सूचना दूसरी है। जो लोग बस में बैठे थे उनका कहना था कि क्षमा याचना का प्रश्न उठा ही नहीं।

प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री के साथ प्रेस चलता है और जिस गाड़ी में वे चलते हैं उस पर साइनबोर्ड या लेबिल लगा रहता है। अगर उस गाड़ी पर "प्रेस" का लेबिल लगा हुआ था तो क्या पुलिस इतनी मदांध हो गयी है कि उस लेबिल को भी नहीं पढ़ सकी। अगर नहीं पढ़ सकी तो फिर ऐसे अशिक्षित को डी० एस० पी० कैसे बना दिया? जैसा कि माननीय राम करन सिंह जी ने कहा, इस पर विचार हो अब प्रश्न यह उठता है कि जब प्रधान मंत्री चाहती थीं और मुख्य मंत्री चाहते थे कि प्रेस चले तो ब्योरोक्रेसी इतनी प्रबल हो गयी है कि वह सबकी इच्छाओं को रोक दे। इसके अन्दर 3 बड़े गूढ़ प्रश्न निहित हैं।

एक बात आचार्य जी ने कही। मैं उसको मान लेता हूं। मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता। यह बात सत्य नहीं है कि क्षमा याचना की गयी। अगर आपसे यह बात कही गयी है तो फिर अपनी गलती छुपाने के लिये कही गयी है। इन सारी बातों को आन दि फ्लोर आफ दि हाउस थ्रेश आउट होना चाहिये। यह तो एडजर्नमेंट या फुल डे डिबेट के आधार पर ही हो सकता है, केवल वक्तव्य मात्र से होने वाला नहीं है। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हम लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखें।

*श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

विषय की गम्भीरता के आधार पर इस पर विचार होना चाहिए। यह विषय इधर के और उधर के लोगों का नहीं है बल्कि यह विषय पत्रकारों का है जिनका संबंध जनतंत्र की सफलता से बहुत कुछ होता है। मान्यवर, उनको ले जाने के लिये व्यवस्था होनी चाहिये थी गाड़ी कहां जायेगी और कहां पहुंचेगी। जिन अधिकारियों ने यह कार्य नहीं किया उनको दंडित करना चाहिये। पुलिस माफी क्यों मांगे? सूचना विभाग ने उनको निमंत्रित किया था। विभाग के उच्चतम अधिकारी को माफी मांगनी चाहिये थी घटना के तुरन्त होने के बाद। अगर यह किया गया होता तो फिर सदन के सामने यह मामला न आया होता।

एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जब इस प्रकार से गाड़ी ले जाते हैं तो कोई योजना बनती है। पुलिस व्यवस्था करती है। उसको लिंक करना चाहिये था कि पत्रकारों की गाड़ी कितने मिनट पहले जायेगी और इंस्ट्रक्शन्स दिये जाने चाहिये कि वे कब पहुंचेंगे। अगर जनतंत्र में प्रेस की मर्यादा को बनायेंगे तभी जनतंत्र जीवित रहेगा। उसको घटा देंगे तो फिर जनतंत्र का स्तर भी नीचा कर देंगे। मान्यवर, यह जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता है।

हमारे मित्रों ने कहा कि प्रधान मंत्री के दौरे पर करोड़ों, लाखों रुपये व्यय होते हैं। यह जरूरी है कि जनता, प्रधान मंत्री ने जो कहा, उसको जान सके। तो पत्रकारों को ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस पर कम से कम 2 घंटे विचार होना चाहिये। हम लोग चाहते हैं कि जिस अधिकारी से गलती हुयी है वह माफी मांगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इससे जनतंत्र पर कुठाराघात हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडे—

मैं यह निवेदन कर रहा था और अभी सारे नेताओं ने भी वह बातें कही हैं कि दरअसल जानबूझ कर प्रेस वालों को रोका गया है । आज एक माहौल देश में ऐसा पदा हो गया है कि वह प्रधान मंत्री या दूसरे मंत्रियों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करना चाहता है । अभी प्रतापगढ़ में भी यह प्रदर्शन होने वाले थे लेकिन वहां जाने नहीं दिया गया । पुल डलमऊ में बनने वाला था लेकिन उसको वहां से हटाकर अप स्ट्रीम कर दिया गया है । इससे वहां वाले नाराज हैं । इस कारण वहां लोग आये भी नहीं थे। ऐसा मुझे एक कांग्रेस (आर0) वाले कह रहे थे। ऐसी बातों को जनता न जान सके इसलिये प्रेस वालों को इनसे महरूम रक्खा जाता है । इसलिये आप इस मामले पर ढाई घंटे की चर्चा करवा दें । यदि कामरोको प्रस्ताव हो जाता तो और अच्छा होता ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

इन्होंने ऐसी बात कर दी जिससे प्रेस अपनी बात नहीं कह सका । अब इनकी दशा खराब हो रही है ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, 7 अप्रैल को रायबरेली में जो हमारे सम्मानित प्रेस वालों को जो प्रधान मंत्री के दौरे के अनुसार चल रहे थे, किसी पुलिस कर्मचारी के रोकने के कारण जो असुविधा हुई, उसके लिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार की ओर से उनसे खेद प्रकाश करूं । सरकार का यह कभी भी दृष्टिकोण नहीं हो सकता कि वह कोई ऐसी चेष्टा करे जिससे प्रेस को असुविधा हो । प्रधान मंत्री या कोई भी नेता यह कभी नहीं चाहेगा कि उनको असुविधा हो । यह ऐसी घटना हुई, मैं पुनः उसके लिये खेद प्रकाश करता हूं ।

श्रीमन्, आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री जी भी इस घटना से क्षुब्ध हुई और उन्होंने इस संबंध में सार्वजनिक रूप से चिन्ता प्रकट की थी । आगे से प्रबन्ध ठीक रखने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं कि प्रधान मंत्री या अन्य नेतागण जब जायं जिनके साथ प्रेस वाले भी हों, तो उनके लिये सरकार व्यवस्था करेगी । अगर वह किसी विशेष सुविधा के लिये कहेंगे तो उसके लिये भी पूरी चेष्टा की जावेगी । प्रधान मंत्री या अन्य कोई नेता, जिनके लिए सिक्योरिटी का प्रबन्ध करना आवश्यक है, उससे प्रेस के लिये भी विशेष वाहन का इन्तजाम रहेगा जिससे कि मुख्य कन्वाय के रूप में रहेंगे । उनको मुख्य स्थल तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो इसके लिये पूरी चेष्टा की जावेगी । श्रीमन्, इस संबंध में जो सदन के सदस्यों की भावनायें हैं, मैं उनका आदर करता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

जनता से भी माफी मांगी जानी चाहिये जो समाचार जानने से महरूम रक्खी गई है ।

श्री सुरेंद्र विक्रम—

उस डी0एस0पी0 के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तीन दिन तक ये चुप क्यों बैठे रहे, अब तक माफी क्यों नहीं मांगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वह तो पहले मांग ली गयी थी । अब दोबारा आपके सामने मांग ली ।

प्रेस स्वातंत्रय के बारे में जो भावनायें विरोधी दल ने, द्विवेदी जी ने, आचार्य जी आदि ने व्यक्त की हैं वही भावनायें हमारी भी प्रेस स्वातंत्रय के संबंध में हैं और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में भी उसी के अनुसार हम कार्य करते रहेंगे। (व्यवधान)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी--

एक प्वाइंट आफ इंफारमेशन चाहता हूं ?

श्री सुरेंद्र विक्रम—

माफी मांगनी चाहिये थी सूचना मंत्री श्री पी0डी0 टंडन को तो वह तो भाग गये ।

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

आपके माध्यम से मैं तिवारी जी से यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि प्रेस की एक गैलरी बनायी जाती है, तो क्या यह सच है कि उस गैलरी में जिला प्रशासन और सी0आई0डी0 के लोग बैठ गये थे और पत्रकारों को वहां स्थान नहीं मिला और उन्हें जमीन पर बैठना पड़ा । यदि हां, तो क्या भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था को रोकेंगे और जो लोग दोषी हैं उनको दंडित करने की निश्चित घोषणा अभी, यहीं, इसी सदन में करेंगे?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरे सम्मानित मित्र एक स्वनामधन्य पत्रकार हैं, उन्हें शासन का भी अनुभव है मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हम और वह और अन्य पत्रकार भी बैठकर इस संबंध में बातचीत करके तय कर लें कि भविष्य में क्या व्यवस्था हो?

श्री कल्पनाथ सिंह—

सारे सदन की राय है कि इस पर नियम 52 में ढाई घंट की चर्चा आप करा दें।

श्री यादवेंद्रदत्त दुबे—

तिवारी जी ने बड़ी चतुराई से भविष्य में क्या करेंगे, यह कह दिया । परन्तु जो यह सारी घटना हुई इसका स्पष्टीकरण नहीं किया । इसीलिये मैं आग्रह करूंगा कि ढाई घंटे की चर्चा इस पर स्वीकार करें।

श्री नित्यानन्द स्वामी–

आपके पास नोटिस आ गया है, इसे आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे स्वीकार थोड़े ही होता है । मैं अध्यक्ष जी को सदन की भावना बतला दूंगा, वह देख लेंगे ।

एक चौथा आया है माननीय राजेंद्र प्रताप सिंह, चन्द्र मोहन सिंह नेगी और राम प्रसाद जोशी रायबरेली में प्रधान मंत्री के आगमन पर विभिन्न राजनैतिक दलों के हड़तालकारी प्रतिनिधियों की गिरफ्तारी के संबंध में । यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत किया गया है।

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—

आज तो यह बात हो गयी है कि प्रिंस आफ वेल्स और साइमन कमीशन की तरह प्रधान मंत्री जहां जायें वहां लोगों को पहले से ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं । पत्रकारों के एडीटोरियल निकले हैं विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य आ जायेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय–

इस पर ही तो कामरोको फिट होगा । देश में पहले गरीबी हटाओ का नारा लगाया और अब अपोजीशन हटाओ का नारा हो रहा है । 7 तारीख को प्रधान मंत्री जी जा रही

थी और हमारी पार्टी के जिला के बड़े-बड़े नेताओं को पहले ही पकड़ लिया और 20 मील दूर थाने में बन्द कर दिया । उनको खाना-पीना कुछ नहीं दिया और फिर उनको जेल भेज दिया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार चंगेजखां और नेपोलियन बनना चाहती है

(व्यवधान)

श्री राजेंद्र प्रताप सिंह—

उनके भतीजे तक को पकड़ लिया ।

(व्यवधान)

श्री सुरेंद्र विक्रम—

यह अनलाफुल डिटेंशन है ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उनका वक्तव्य तो आ जाने दीजिए ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

श्रीमती इन्द्रा गांधी की तानाशाही का यह जीता जागता उदाहरण है श्रीमन्, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है कि एक तरह राजनैतिक लोगों को पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया गया और दूसरी तरफ उनका प्रोग्राम चलता रहा, रानी साहिबा यहां जश्न मुल्ला मनाती रहीं(व्यवधान) । अगर इनकी यही परम्परा रहेगी कि लोगों को जेलों में बन्द कर दिया जायेगा, प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होगा, विरोधी दलों की स्वतंत्रता पर कुठार-घात होगा, तो श्रीमन्, यहां का कामरोको कैसे चलेगा? हमारी मजबूरी है। यह कैसे हो सकता है कि हम इनके गलत कामों को एक मूक दृष्टा की तरह यहां बैठे हुये देखते रहें ।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

इस सदन के विधायकों और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है और उन लोगों को जेलों में बन्द कर दिया गया है। (व्यवधान) [* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इस तरह से इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप उनके वकील नहीं हैं ।

(व्यवधान)

श्री रामबिलास पांडेय—

यह बड़ा महत्वपूर्ण है....

श्री उपाध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामबिलास पांडेय—

न लिखा जाय। [* * *]

[* * *] श्री उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये स्वीकार हो चुका है । पहले उसे आ जाने दीजिये ।

श्री शिवप्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

6 तारीख को 9 बजे रात को 12 आदमी गिरफ्तार किये गये । उनके बारे में दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक यही पता नहीं चल पाया कि उनको कहां रक्खा गया है । कई जगह मैंने मालूम किया, कहीं पता नहीं चला । मुझे यही बताया गया कि 12 आदमी गिरफ्तार कर लिये गये हैं और उनका कहीं पता नहीं चल रहा है । उसी समय वे लोग महाराजगंज से रायबरेली लाये गये । जब कोतवाली में मैंने कोतवाल से यह पूछा कि इनको आप रायबरेली जेल क्यों नहीं ले गये, तो उन्होंने कहा, हमारी रायबरेली जेल में जगह नहीं है । जिन सात आदमियों को जिन्होंने हेलीकाप्टर पर गुब्बारे उड़ाये थे और जिनमें काले बिल्ले लगाये थे, उनको भी बन्द किया गया और उनको तीसरे दिन जेल भेजा गया। इसके अलावा जो भी हमने विकास गोष्ठी में बातें की, उसकी वजह से मैंने कटु आलोचना की है, उसका कहीं भी समाचार पत्रों में या और कहीं प्रकाशन नहीं किया गया है ।

श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)—

हमारे जिले में यही नहीं कि इन 12 आदमियों को अवैध रूप से बन्द किया गया, बल्कि 7 आदमियों को और काफी दूरस्थ स्थान पर ले जाकर बन्द किया गया और पता नहीं कहां उनको ले जाया गया । उनमें से किसी को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया । यह रायबरेली में आज अनाचार, अत्याचार का नंगा नाच हो रहा है । यह इसलिये होता है जब प्रधान मंत्री जी हमारे जिले में तशरीफ लाती हैं । आज अपोजीशन पार्टीज के लोगों का इस तरह से जबरन मुंह बन्द किया जाता है और उनको जेलों में ठूंसा जाता है, जिससे वे महंगाई और भ्रष्टाचार की बातें जनता के सामने न ला सकें । उपाध्यक्ष महोदय, इस पर आपने सिर्फ बयान लेने के लिये कहा है, किन्तु इस पर आप कृपा करके एक-डेढ़ घंटे की चर्चा स्वीकार कर लें, ताकि सारी बातें प्रकाश में आ सकें ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी ने 12 आदमियों का और किसी ने 7 आदमियों का जिक्र किया है और एक राजनैतिक दल के बारे में बातें कही गई हैं । इसलिये पहले वक्तव्य में आप सारी बातें आ जाने दें, फिर उसके बाद आवश्यक समझा जायेगा तो अवसर दिया जायेगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सरकार के इस तानाशाही रवैये के विरोध में, जनता में इनकी तस्वीर को नंगा करने के लिये कि किस तरह से ये लोग इस देश में और इस प्रदेश में जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं और अपनी मजबूरी के नाते आज मैं 5 मिनट के लिये अपने दल के सदस्यों के साथ इस का त्याग करता हूं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आखिरी एक श्री रामधारी शास्त्री और बांकेलाल का गल्ले के थोक व्यापार पर राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर है । इस पर अभी बहुत चर्चा हुई थी श्री खाद्य मंत्री ने आपको बताया है कि हमारी यह नीति है, इसको अस्वीकार किया गया है ।

श्री रामधारी शास्त्री—

जब खाद्य मंत्री ने अपने बजट में कहा था, उससे आज की स्थिति बिलकुल भिन्न है । सरकार ने सारा अधिग्रहण कर लिया और कहीं भी क्रय सेंटर्स पर गेहूं नहीं आ रहा है । 120 रुपये से 160 रुपये क्विंटल तक में गेहूं मिल रहा है । तमाम लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है । ऐसी विषम परिस्थिति में यदि आप सरकार से कोई वक्तव्य नहीं दिला सकते तो यह कहां तक ठीक है । अब बजट उनका समाप्त हो गया है, तो अब इसका क्या रास्ता है । इस पर बहस की गुंजायश रहती तो आप कह सकते थे । अब पहले की अपेक्षा गेहूं महंगा हो गया है, मिलने की कोई सम्भावना नहीं है । जो प्रश्न करने को आप कहें तो वह 15 दिन बाद आयेगा और खाने के लिये लोग आज मर रहे है ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो-चार दिन में स्थिति और बदल सकती है, तो आपको अवसर रहेगा ।

एक दिन में पांच में चार स्वीकार किये गये ।

श्री रामधारी शास्त्री—

सारे उत्तर प्रदेश में जितने लोग हैं नौ करोड़, उनका सवाल है ।

श्री उपाध्यक्ष—

जिस चीज को हमने स्वीकार किया है उसमें आपने भी अपना समर्थन दिया है । एक ही होना चाहिये न । बाद में उठाइयेगा इसको ।

श्री रामधारी शास्त्री—

वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज सब वक्तव्य हो जायगा । जो अभी वक्तव्य के लिये स्वीकार किये गये हैं उनके समर्थन में आप बोले भी हैं । इसलिये बाद में उठाइयेगा ।

1973-74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां तथा अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,59,93,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा भी आप रख दें । दोनों साथ-साथ रख दें । ढाई बजे पहला रख दूंगा और दूसरे को पांच बजे रख दूंगा ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

दोनों एक साथ चलने दीजिये ।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30-समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 85, 43, 800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, हरिजन कल्याण विभाग इस प्रदेश के उन कमजोर वर्गों की सेवा करता है जो आर्थिक और समाजिक दृष्टि से कमजोर हैं। उनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विमुक्त जातियां तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियां सम्मिलित हैं। आज हम इस प्रदेश में समाजवाद लाना चाहते हैं। उसके लिये प्रवृत्तियां चल रही हैं। जब तक प्रदेश और देश के पिछड़े हुए, दबे हुए शोषित जातियों को उनके सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती और वह समाज के समक्ष आकर खड़े नहीं होते तब तक हम उस दिशा में आगे प्रगति नहीं कर सकत हैं।

मान्यवर, गत वर्ष इस विभाग का बजट 7 करोड़ 95 हजार था। इस वर्ष यह 10 करोड़ 71 लाख 23 हजार हो गया है। इसमें 3 करोड़ 41 लाख 14 हजार केन्द्र द्वारा प्राविधानित योजना के लिये है। यह योजना मुख्य रूप से मेहतरों के आवास तथा रहन-सहन की स्थिति को सुधारने से संबंधित है। समाज में बाल्मीकी, मेहतर सबसे निर्बल श्रेणी का व्यक्ति है और समाज का आखिरी व्यक्ति है। हमारे राष्ट्रपिता ने कहा कि अंतोदय होना पहले चाहिये। इसलिये आवश्यक है कि सरकार जो गांधी जी के पदचिन्हों पर चलती है, समाज के आखिरी व्यक्ति का विकास सर्वप्रथम होना चाहिये इस दृष्टि से मेहतरों के आवास के लिये, लिविंग कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिये इस धनराशि का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

दूसरी हमारे यहां विमुक्त जातियां है। विमुक्त जातियां अंग्रेजी काल में क्रिमिनल ट्राइब्स कहलाती थीं। जैसे ही देश आजाद हुआ उनको मुक्त करके विमुक्त जाति का नाम दिया गया। उनके लिये कल्याण के अनेक कार्य हो रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, उनमें उद्योग धंधों का प्रचलन, कृषि के विकास की योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं।

तीसरी प्रमुख योजना जो भारत सरकार के अनुदान से चलती है वह पौष्टिक आहार योजना है। अभी तक उसके अन्तर्गत 1 लाख 36 हजार बच्चों, गर्भिणी माताओं तथा जिनके बच्चे हो गये हैं उनको लाभान्वित किया जाता था। इस वर्ष बजट में इसके लिये 1,90,67,000 रुपये का प्राविधान किया गया है। जिसके जरिये यह उम्मीद की जाती है कि 5 लाख बच्चों तथा माताओं को पौष्टिक आहार योजना से लाभ हो सकेगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो हरिजन, विमुक्त जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ते थे उनको 3 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है और उसके लिये 1,74,32,300 रुपये का प्राविधान किया गया है ताकि प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ने वाले इन बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। पहले विदेशों में अनुसूचित जनजाति के लड़के पढ़ने लिखने नहीं जाते थे। इस साल बजट में इसके लिये 10 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है। यह रकम कम है। इसमें सिर्फ आने जाने की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन वहां रह कर अध्ययन करने हेतु अधिक धन की आवश्यकता होगी। गत वर्ष यह प्राविधान किया गया था। और इस वर्ष भी यह प्राविधान है और इसमें इस बात का प्रयास किया जायगा कि अगर कोई विद्यार्थी विदेशों में शिक्षा अध्ययन के लिये जाय तो उसको यह सुविधा प्रदान की जाय। हरिजन, अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जातियों के बच्चे अगर मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में पढ़ने के लिये जायेंगे तो उनके लिये भी इस आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है ताकि उनको प्रोत्साहन मिल सके और वे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

हमारे प्रदेश में अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जातियों के बच्चे इतने गरीब हैं कि अपने खर्चे पर वे नहीं पढ़ सकते। विशेष रूप से अनुसूचित जन जाति तथा विमुक्त जाति के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किये गये हैं जहां वे अपने माता पिता से अलग होकर विद्या अध्ययन कर सकेंगे। इस तरह से 9 विद्यालयों को सरकार चलाती है और उनमें एक लड़कियों की पाठशाला है जिसमें लड़कियां ही पढ़ती हैं और 8 जूनियर हाई स्कूल चलते हैं और इस आर्थिक वर्ष में इन स्कूलों में से किसी एक को हायर सेकेन्डरी तक अपरग्रेड करने का विचार है। इन आश्रम पद्धति स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके रहन-सहन, खाने पीने, पुस्तकों तथा कपड़े आदि की व्यवस्था शासन की ओर से की जाती है। विमुक्त जातियों के लिये 7 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं। उनमें एक हाई स्कूल है लड़कियों के लिये दो में हाई स्कूल स्तर तक की शिक्षा लड़कों के लिये दी जाती है। कोशिश इस बात की की जा रही है कि इन सारे स्कूलों को धीरे-धीरे क्रमिक विकास द्वारा हाई स्कूल बना दिया जाय। यह चीज विमुक्त जातियों के लिये कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, लखनऊ और सहारनपुर में कुछ शैक्षिक संस्थायें आश्रम पद्धति के स्कूलों को चलाते हैं इनको सरकार अनुदान देती है। इनमें से एक को हाई, स्कूल बनाने का प्रयत्न करेंगे। गैर सरकारी संस्थायें जो हरिजनों की सवायें करती हैं अनेक हैं। 242 स्कूल चलते हैं, 93 छात्रावास हैं, और 93 पुस्तकालय हैं। इनके ऊपर 28 लाख 20 हजार रुपया खर्च होता है जिसको सरकार देती है। आम तौर से हरिजन छात्रों को आम छात्रावासों में स्थान नहीं मिलता है, यद्यपि हमारा प्रयास है कि अस्पृश्यता का अन्त हो और आम छात्रावासों में हरिजन छात्रों को स्थान मिले लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिससे उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसलिये कोशिश की जा रही है कि धीरे-धीरे छात्रावासों के भवन बढ़ा दिये जायें ताकि बड़े शहरों में विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालजों में आसानी से शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन जब तक ऊंच नीच का भेद भाव समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम समाज में समता नहीं ला सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि जो सुधारवादी व्यक्ति हैं, जो गांधी जी के अनुयायी हैं उनको इस बात का प्रयास करना चाहिये कि हरिजनों के बच्चों को साधारण बच्चों के साथ रहन-सहन का अवसर मिलना चाहिये जिससे वे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकें और समानता के स्तर पर आ सकें। लेकिन जब तक हम इसमें सफल नहीं होते हैं तब तक जहां कहीं ऐसी कठिनाइयां हैं वहां उनके लिये ऐसे छात्रावास का निर्माण कराना आवश्यक है इसके लिए 24 लाख 34 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, शासन के विचाराधीन एक आयोग गठन करने का प्रश्न है जो शायद अप्रैल तक हो जायेगा। शासन की ओर से जो सुविधायें इन जातियों को दी गई हैं, जो आदेश जारी किये गये हैं और जो अधिनियम इनके बारे में बनाये गये हैं उनका कहां तक कार्यान्वयन हो रहा है और उनके ऊपर शासन के स्तर पर और समाज के स्तर पर अमल हो रहा है या नहीं इस पर यह आयोग विचार करेगा और अपनी संस्तुतियां शासन को देगा। जो घुमंतू जातियां हैं उनके रहन-सहन का कोई ठिकाना नहीं है, उनको बनाया जाना चाहिये और उम्मीद की जाती है कि इन जातियों को जो सुविधायें शासन द्वारा दी गयी हैं, उनको दिलाने का उसको मौका मिलेगा। माननीय सदस्य अब अपने विचार प्रकट करेंगे। इसके बाद में अपनी बात कहूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग का गठन अभी किया गया है या नहीं? यदि अभी नहीं किया गया। तो जब करेंगे तो उसमें बाहर के सोशल वर्कर्स को भी रखेंगे और क्या उसमें विधान सभा के सदस्य भी होंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, उसमें बाहर के व्यक्ति भी होंगे और अन्दर के भी होंगे और मैंने अभी बतलाया कि इस मास के अन्त तक हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस आयोग का गठन कर दिया जाय।

*श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 29—अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय तथा अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण के अन्तर्गत मांग की राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, कुछ भी बोलने के पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जब हरिजन और समाज कल्याण विभाग के आय-व्ययक पर बहस होने जा रही है तो इस समय इस सदन में सभी विभागों के मंत्रियों को अवश्य उपस्थित रहना चाहिये था क्योंकि हरिजनों की और समाज कल्याण की एक ऐसी समस्या है जो केवल हरिजन और समाज कल्याण मंत्री से ही संबंधित नहीं है बल्कि सभी मंत्रियों के विभाग इससे संबंधित है। उनके यहां अलग-अलग हरिजनों के रिजर्वेशन का क्या कोटा है, क्या प्रगति उसमें हुई है तथा किस प्रकार की नीति निर्धारित करके उनके पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान में जो उनका रिजर्वेशन और कोटा निर्धारित है उनके विभागों ने उसे पूरा किया है या नहीं किया है इसकी जानकारी उनको होना चाहिये थी और इसी नाते मैं चाहता था कि इस समय सभी विभागों के मंत्रीगण यहां रहते। साथ ही साथ नियुक्ति विभाग के लोग यहां रहते और वह भी सुनते कि नियुक्ति विभाग ने अभी तक कौन-कौन काम किया है, बड़ा अफसोस है कि पूरा सदन इस समय खाली सा है, मालूम होता है कि हरिजन और पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान से संबंधित कुछ विशेष लोग हीं हैं जिन्हें दिलचस्पी है और जो चाहते हैं हृदय से कि उन का उत्थान हो वही इस समय यहां मौजूद हैं।

विभागीय नीति की आलोचना के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया कि किस तरह से यह आलोचना की जाय वह समझ में नहीं आता। इसका न तो आदि है और न अन्त है। सरकार ने इन जातियों के लिये जो भी रास्ते अख्तियार किये हैं उन पर अगर चारों तरफ से आंख डालें तो हर योजना में गंभीर आरोप और खामियां देखने को मिलेंगी। सरकार ने इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये जो भी धनराशि स्वीकृति की वह अव्वल तो बहुत कम थी और जो थी भी, वह पर्याप्त मात्रा में पूर्ण रूप से इन गरीबों के बीच तक नहीं पहुंच पायी। उस स्वीकृति धनराशि को श्रीमन्, देखें तो पायेंगे कि या तो वह इन योजनाओं के चलाने वालों या भ्रष्ट लोगों के हाथ में चली गयी।

मान्यवर, स्वतंत्रता के 25 साल की अवधि में जहां तक इस वर्ग को भी समाज के अन्य लोगों से कन्धे-कन्धा से मिलाकर साहसिक कदम उठाना चाहिये था वहां उन्हें केवल भाषण सुना दिया गया। श्रीमन्, इस अवधि में इन गरीबों की उदासी की बड़ी दास्तान लिखी गयी है। आज सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के हर जिले की दीवारें और उन दीवारों में रहने वालों के चहरे उदास हैं इसकी बड़ी लम्बी कहानी है। एक तरफ गरीबी स जूझता दिखायी पड़ता है और दूसरी ओर उसके प्रति सामाजिक दुर्व्यवस्था और उसका शोषण देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जितने लोग हैं, जो हजार पति थे, वे लाख पति हो गये हैं और जो लाख पति थे वह करोड़-पति और करोड़पति थे वे अरबपति हो गये हैं। चारों ओर यह नक्शा देखने को मिलता है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी ये गरीब जहां पर सन् 1947 के पूर्व थे, वहीं रह जायेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में व्यवहारिक उन्नति को अगर देखा जाय तो देखने को मिलेगा कि यह वर्ग आगे नहीं आया है। आज इनके बारे में विधान सभा में चर्चा हुयी, मंत्री जी ने एक लिखित भाषण दे दिया। और उस भाषण के शब्द जाल से तो ऐसा लगा कि यह वर्ग बहुत ही आगे बढ़ गया है, इसको तो कोई कमी नहीं है लेकिन जो सूचनायें समाचार पत्रों में पढ़न को मिलती हैं और विधान सभाओं और पार्लियामेंट में गूंज होती है, वह नहीं हुई होती अगर वास्तव में उनका उत्थान हुआ होता या दरअसल में उन्हें एक आंख से देखा गया होता। जिस प्रकार की घोषणायें यहां होती है यदि उसका 1/4 भी अमल में लाया जाता तो जो अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है, वह न हुआ होता। लखनऊ में यहां पर गूंज न होती लेकिन आज भी इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अगर वे आगे बढ़ गये होते, अगर उनकी आर्थिक उन्नति हुई होती तो वे भिखारी क्यों होते।

अप्रैल, मई के महीनों में तपती लू से बचने के लिये उसके पास कपड़ा नहीं है। शरीर झुलस जाता है, जाड़े में शरीर ढकने के लिये उनके पास कपड़ा नहीं होता है, रात ताप-ताप कर बिताते हैं। बरसात में रहने के लिये उसके पास मकान नहीं होता है और पहनन को कपड़े नहीं होते हैं, वे भोगते रहते हैं तो सरकार की ओर से अगर इस प्रकार की घोषणायें की जायें कि यह वर्ग तो आगे बढ़ा, बड़ी लज्जा की बात है। सरकार की यह बात विश्वास करने वाली नहीं होती है। यदि आप ध्यान पूवक उनकी स्थिति को देखें तो आपकी समझ में आ जायगा कि जहां पर वे लोग 1947 में थे आज भी वहीं पर हैं।

आज हमारी सरकार बड़े फक्र के साथ घोषणा करती है कि हमने जमींदारी तोड़ दी है, हरिजनों से हर बेगारी नहीं ली जाती है लेकिन जो लोग बेगार नहीं करते हैं उनको तरह-तरह के केसेज में फंसा कर सींकचों में उनको बन्द करवा दिया जाता है। जमींदारी अवश्य टूटी लेकिन जो जमीन बची थी क्या वह हरिजनों को मिली ? अगर बाप जमींदार था तो उसके बच्चे भूमिहीन बन कर जमीन हड़प गये। इनको जमीन नहीं मिली। इसके पहले 10 लाख एकड़ जमीन निर्धारित हुई थी हरिजन और पिछड़ी जाति के परिवारों को बांटी जाने के लिये।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास आंकड़े हैं कि किस जिले की किस तहसील में सीलिंग से निकली जमीन कितने हरिजन परिवारों में वितरित की गई। मान्यवर, नैनीताल, खीरी-लखीमपुर और बहराइच, इन जिलों में कलोनाइजेशन स्कीम चालू की गई कि उत्तर प्रदेश में भूमिहीन गरीब परिवार के लोगों को बसाया जायगा और गैर पढ़े लोगों को 10 एकड़ और पढ़े लिखे लोगों को 20 एकड़ जमीन दी जायगी। लेकिन, मान्यवर, वह बात हवा में उड़ गयी। पूर्वी जिलों के जितने भूमिहीन मजदूर वहां गये, वे जैसे पहले मजदूरी करते थे वैसे ही मजदूरी करने के लिये मजबूर हो गये। बहराईच जिले के लिये हमारे जनसंघ के माननीय सदस्य पारस नाथ सिंह ने एक प्रश्न भी उठाया था, लेकिन मंत्री जी ने उस पर गलत बयान देकर टाल दिया। मान्यवर, यह सरकार कितनी निष्क्रिय है कितना सोती रहती है, और गलत बयानी देने की इसकी आदत पड़ गयी है।

बहराइच जिले में मेहनपुरवा ब्लाक, नानपारा तहसील में दो गांव हैं मझा और गुझिया, जहां हरिजन कल्याण विभाग की ओर से 1962 में 192 एकड़ जमीन ट्रान्सफर की गई कि 100 हरिजन परिवारों को 6/6 एकड़ जमीन जोतने के लिये और 152 एकड़ जमीन चारागाह, खलिहान और बसने के लिये दे दी जाय। उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये जसवंत राय पांडे, ए0 डी0 ओ0 को तैनात किया गया। लेकिन जसवंत राय पांडे ने सारी जमीन अपने रिश्तेदारों और भाई-भतीजों के नाम देकर उसे हजम करके बैठ गये। एक बिस्वा भी जमीन हरिजनों को नहीं दी गयी, न बसने के लिये, न जोतने के लिये। जसवंत राय पांडे ने ट्रैक्टर खरीद लिया और नौकरी से इस्तीफा देकर बैठ गये और उनका अब फार्म चल रहा है

[श्री रामसागर]

पारस नाथ जी ने प्रश्न भी उठाया था लेकिन सरकार की तरफ से वक्तव्य दिया गया कि उन्होंने सभी हरिजनों को जमीन द दी है। मान्यवर, यह वक्तव्य बिलकुल झूठा था। गलत-बयानों और विशषाधिकार का नोटिस दिया, तो मालूम हुआ कि अध्यक्ष जी ने उसे अस्वीकृत कर दिया है। हरिजनों की जमीन को दूसरे लोगों ने हजम कर लिया और सरकार दावा करती है कि जमीन हरिजनों को दे दी गयी। मान्यवर, गरीबों पर अत्याचार के खिलाफ अगर विरोधी पक्ष स या सत्तारूढ़ दल से गलत-बयानी और विशेषाधिकार के बारे में अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठायें, और उसे इस तरह से अस्वीकार कर दिया जायगा, तो गरीबों के हितों की रक्षा कसे की जा सकगी ? अगर ऐसी बात रही, मान्यवर, तो मंत्री जी लाख चिल्लाते रहें, लेकिन हरिजनों का कल्याण होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मैं वीरभद्रा सहकारी समिति के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं, हरिजनों को जमीन बांटने के सिलसिले में। लेकिन, मान्यवर, जब आश्वासन समिति वहां गयी, तो पता चला कि हरिजन के नाम कागज में तो दर्ज ह लकिन वे जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रह ह। विधान सभा में चर्चा भी हुई। तो मान्यवर, जिस तरह से हरिजनों और पिछड़ी जाति क लोगों के साथ हकतलफी हो रही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री जी ने जो भाषण दिया उस भाषण से उनकी गरीबी में कोई तालमेल नहीं है। इसके आलावा मान्यवर, जो अनुदान दिया जाता है वह पर्याप्त मा त्रा में नहीं है और उसी तरीके से माननीय मंत्रीजी ने जो धनराशि स्वीकृत होने क लिये प्रस्ताव पेश किया है वह वैसे ही जैसे प्यासा ओस चाटकर अपनी प्यास बुझाये अगर कायदे से देखा जाय तो मान्यवर, जब से यह योजना चली है हम इस निष्कर्ष पर पहुंच है कि वह स्वीकृत धनराशि उनक बीच में पहुंच नहीं पायी।

अनेक जिलों के उदाहरण दिये जा सकते हैं और अगर पूरे प्रदेश के एक-एक जिले के दम ौर भ्रष्टाचार की कहानियां कहीं गईं तो एक दिन से ज्यादा लग जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं सभी जिलों को न कहकर पूर्वी उत्तर प्रदेश जो बड़ा गरीब है उसके एक गरीब जिले के बारे म कहना चाहता हूं कि किस प्रकार वहां धन का दुरुपयोग होता है और किस तरह स नेता लोग हरिजनों के नाम पर हवेली खड़ी कर लेते हैं। मान्यवर, गोरखपुर जिले की बात है सन् 1957 से 1962 तक लाखों रुपये गोरखपुर जिले में हरिजनों के लिये कालोनी के नाम पर स्वीकृत हुआ लकिन सारा का सारा जो सूचना मिली है उसके अनुसार, खतम हो गया है और गोरखपुर जिले में एक भी हरिजन तथा विमुक्त जाति के लिये कालोनी नहीं बन पाई। हमारे मंत्री जी माफ करगे कि हरिजन सेवक संघ के ही एक मंत्री हैं उन्होंने उसी धनराशि में से एक तिमंजला मकान बनवा लिया और उसमें वह छात्रावास भी चलाते हैं तथा सिंचाई विभाग को 450 रुपये मासिक पर एक पोर्शन दे रखा है। देहात में एक कहावत कही गयी है, मियां की जूती और मियां का सर—वहीं यहां लागू होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह खुद तो हरिजन हैं ?

श्री राम सागर—

जी हां, हरिजन सेवक संघ के मंत्री हैं और आजकल एम0 पी0 भी हैं। इस समाजवादी सरकार में ऐसा देखा गया है कि जो हजारों का गोलमाल कर दे वह अच्छा कायकर्त्ता और लाखों और करोड़ों का कर दे तो जगत रत्न। इस संबंध में गोरखपुर जिले का एक दैनिक समाचार पत्र लिखता है कि "गोरखपुर जिले की सुरक्षित सीट से इंडीकट कांग्रेस के वर्तमान लोक सभा सदस्य श्री राम सूरत प्रसाद के बारे में पता चला है कि उन्होंने

गोरखपुर के मोहद्दीपुर मुहल्ले में तीन मंजिल का एक विशाल भवन बनवा लिया है जिसमें अनेक नामों स हरिजन भवन निर्माण के लिये धन लिया है। लोगों का कहना है कि श्रीराम सूरत प्रसाद के पास ऐसी कोई सम्पत्ति नहीं है जिसकी आमदनी से ऐसा विशाल तिमंजिला भवन बनाया जा सकता। इस महल निर्माण में ना जाने कितन हरिजनों की भवन निर्माण योजनाय ध्वस्त हो चुकी हैं। कहा जाता है कि अनेक फर्जी नामों से प्रदेश के एक कांग्रेस मंत्री के सहयोग व दबाव से मिले हरिजन भवन-निर्माण अनुदानों से इस महल का निर्माण हुआ है।"

एक सदस्य—

आप भी तो समाज कल्याण मंत्री रहे हैं।

श्री राम सागर—

लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है।

श्री राम सागर—

अब इधर हरिजन सेवक संघ के माध्यम से इसी महल के एक निचले हिस्से में पंडित गोविन्द पन्त के नाम से एक हरिजन छात्रावास श्री राम सूरत प्रसाद, एम0 पी0 चला रहे हैं जिसके लिये हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से दस हजार रुपये का सालाना अनुदान लेते हैं। ये जिला हरिजन सेवक संघ के मंत्री होने के नाते इस अपने मकान का तीन सौ रुपया किराया प्रतिमाह अपनीं धर्म पत्नी श्रीमती प्रेमावती देवी के नाम से वसूल करते हैं। दूसरी ओर पता चला है कि भरती के समय गरीब हरिजन विद्यार्थीं से 39 रुपये प्रवेश शुल्क वसूल करते हैं जिससे इस छात्रावास में गरीब छात्र भरती नहीं हो पाते हैं और 6 छात्रावास में बहुत कम लड़के रहते हैं। श्री रामसूरत प्रसाद जी अपने इसी भवन में एक हरिजन पुस्तकालय सरकारी खर्च से चलाते हैं जो प्रायः बन्द रहता है। छात्रों को पढ़ने की कोई विशेष सुविधा नही दी जाती। इस पुस्तकालय हेतु विभाग से मिलने वाली सुविधाओं का उपयोग उक्त एम0 पी0 महोदय अपने लिये ही करते हैं चाहे वह बिजली पानी या टेलीफोन का खर्च क्यों न हो। अपने प्रभाव एवं पद का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिये करते है, हरिजन छात्रों की सुविधाओं के लिये नहीं।

श्री माता प्रसाद—

आप तो मिनिस्टर थ आपके सामने ही यह हुआ तब आपने कार्यवाही क्यों नहीं की थी ?

श्री राम सागर—

कार्यवाही हमने की लेकिन हम चले गये और आपने उसे रोक दिया। हुआ क्या। यशपाल जी कपूर, कपूर होटल में बिड़ला जी की तिजोरी लेकर बैठे रहे और हमारी योजनायें खत्म। वरना हरिजन समस्या को हल करना एक साल से अधिक का समय उसके लिये नहीं चाहिये। लेकिन आप करें तब तो। आप तो हरिजनों को गलत आश्वासन देकर हरिजनों का वोट सब दिन बटोरे लेकिन उनके उत्थान के लिये आप ने कभीं भी कोई कदम नहीं उठाया है।

बातें तो इसमें बहुत सी हैं मंत्री जी आप हरिजन सेवक संघ के सभापति हैं और आपकी छत्रछाया में बैठे हुये आपके हरिजन सेवक संघ के मंत्री इस प्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं !

"राम सूरत प्रसाद दिखावट मोंहरें गोरखपुर जिल में एक विमुक्त प्राइमरी पाठशाला भी हरिजन कल्याण विभाग के अनुदान से चला रहे हैं जिस पर एक हरिजन बाल विकास केन्द्र का भी बोर्ड हरिजन सेवक संघ की तरफ से चलाने का लगाया गया है। इस संस्था में पता चला है कि बीस बच्चे ही होंगे फिर भी सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहे हैं। पता चला है कि दूसरी अध्यापिका का पद जो जुलाई 70 के पहले से स्वीकृत है उस पर 20 नवम्बर, 70 से अपनी साली कुमारी लीलावती को नियुक्ति दिखायी है और पिछला वेतन स्वयं हड़प लिया है। प्रधानाध्यापिका श्रीमती लल्लीदेवी श्रीवास्तव ने 5-6-71 को एक लिखित बयान भी हरिजन कल्याण

[श्री राम सागर]

अधिकारी गोरखपुर को दिया है श्री राम सूरत प्रसाद मंत्री हरिजन सेवक संघ ने नवम्बर, 70 के महीने में 100 रुपये की धनराशि अपने रिश्ते की सास श्रीमती चन्द्रावती देवी मगहिया के नाम से भुगतान करा के फर्जी ढ़ंग से प्रमाणित करवा लिया है जब कि श्रीमती चन्द्रावती कभी भी दायी के पद पर उक्त संस्था में काम करने नहीं आयीं और आज भी कोई दायी वहां नहीं है। इस सम्बन्ध में उनकी साली सुश्री लीलावती ने भी हरिजन कल्याण अधिकारी को दिनांक 20-5-71 को एक बयान देकर इस बात की पुष्टि की इस संस्था में कोई दायीं नहीं है। इससे स्पष्ट है कि राम सूरत प्रसाद ने दायी नाम पर 20 नवम्बर, 70 के पहले अध्यापिका पद का वेतन गबन किया। यह है हरिजन सेवक संघ का काम और उनके मंत्री जी की करतूत।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह किस अखबार का अंक है और कब का है।

श्री राम सागर—

यह "अर्जक संघ" अखबार है और जुलाई सन् 1971 का है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

"अर्जक संघ" की व्याख्या कर दीजिये। क्या यह जनसंघ का कोई अंग है!

श्री राम सागर—

आजकल आर्य जी आप हो क्या आपकी प्रधान मंत्री इंदिरा जी के सिर पर जनसंघ का भूत सवार है। अब अर्जक की हमसे अगर व्याख्या करवायेंगे या हम जो कहने के लिये खड़े हुये हैं वह सुनेंगे वहां पर रुपया लड़ के लड़कियों के नाम पर निकाला गया है मेरे पास यह ओरीजिनल कापी है सभी लड़के लड़कियों के नाम से फर्जी लिया गया है और इस तरह से लाखों रुपयों का गोलमाल किया गया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

किस मामले में।

श्री राम सागर—

यह गोरखपुर का है। नाम बतलाये देता हूं जूनियर हाई स्कूल अहरौली है। यह जूनियर हाई स्कूल है लेकिन उच्चतर माध्यमिक स्कूल के नाम से लड़के और लड़कियों का नाम लिखाया। 22 जुलाई सन् 70 को 12 हजार रुपया खजाने से निकाल लिया गया उस समय हरिजन कल्याण अधिकारी आर0 के0 सिंह थे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

रुपया किसने ड्रा किया।

श्री राम सागर—

प्रधानाचार्य श्री जय करन नाथ ने।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह क्षति का रुपया था या छात्रवृति का।

श्री राम सागर—

यह फीस भुगतान का था। एक बार 12 हजार रुपया निकाला। 1962 में 7 हजार रुपया निकाला।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह कहां का है ।

श्री राम सागर—

यह गोरखपुर का ही बतला रहा हूं । मैं तो एक जिले के बारे में ही बतला रहा हूं । अगर सभी जिलों की बात कहने लगूं तो एक जिले के लिये एक दिन चाहिये । यहां गरीबी का इतना नंगा नाच हो रहा है । वहां की यह हालत है और नेताओं की यह हालत है । चौथी बार तीन हजार रुपया निकाला । फिर पांच हचार रुपया निकाला । अगर आप चाहेंगे तो जिन लड़के लड़कियों के नाम लिखे गये हैं उनके नाम भी बतला दूंगा । यह मेरे पास ओरीजिनल फेहरिस्त है ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसकी एक कापी हमें दे दी जायेगी ।

श्री राम सागर—

अगर आपको विश्वास हो तो इसकी एक ट्रू कापी आपको दे दूंगा । ओरीजिनल तो अपने पास ही रक्खेंगे । यह तो एक जिले की दास्तान है कि गोरखपुर में क्या हो रहा है । इसी तरह से पूरे उत्तर प्र श में लूट घसोट हो रही है । किस तरह से धोखा दिया जाता है इसका अन्दाजा आप कर सकते हैं । आप यहां भाषण कर देंगे तो उससे उनका कल्याण नही हो सकेगा । जूनियर हाई स्कूल रतनपुर में 22 हजार का गोलमाल है । भारती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, असवर, जूनियर हाई स्कूल, रनवा, जूनियर हाई स्कूल, झुनवा, जूनियर हाई स्कूल, ठाकुर नगर, जूनियर हाई स्कूल, हरिहरपुर, जूनियर हाई स्कूल, ऊंचा गांव आदि हैं । 12 ऐसे स्कूल हैं जिनकी छानबीन अगर आप करेंगे तो लाखों का फर्जी रिअम्बर्समेंट आपको मिलेगा ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

यह जूनियर हाई स्कूल जिला परिषद् के हैं !

श्री राम सागर—

हरिजन सेवक संघ की तरफ से हैं । हरिजन कल्याण विभाग से रिअम्बर्समेंट दिया जाता है तो आपका महकमा जिम्मेदार है ....

स्कूल चाहे जहां के हों । लड़के और लड़कियों के स्कूलवाइज नाम अगर आप चाहते हैं तो हम नाम दन के लिये तैयार हैं । किस तारीख को रुपया ड्रा हुआ वह भी देने को तैयार हैं ।

फर्जी ठेके दिये जाते हैं पौष्टिक आहार योजना में । लड़कों को जो चीजें स्वप्न में भी नसीब न हों उनके भी बाउचर बन जाते हैं । हरिजन कल्याण अधिकारी नोहर प्रसाद थे जिन्होंने राम सूरत प्रसाद, एम0 पी0 के खिलाफ 409 व 420 का मुकदमा दायर किया । वे भाग आये लखनऊ और यहां से उनका ट्रान्सफर करवा दिया । अजित प्रसाद सिंह जी, आप भी गोरखपुर गये थे । आपने आदेश रोक दिया। अब वे सस्पेन्ड हो गये और दर-दर की ठोकर खा रहे हैं । अगर हरिजनों के नाम पर लूटने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही करे तो उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी, उसका घड़ी-घड़ी ट्रांसफर किया जायेगा, उसका हरेसमेंट किया जायेगा और उसको सस्पेंड किया जायेगा । फिर कैसे कोई अधिकारी हिम्मत कर सकता है इन अत्याचारों के खिलाफ कार्यवाही करने की । मैं मंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करवायें । उस हरिजन कल्याण अधिकारी ने साहसिक कार्य किया है । जिन लोगों ने 409 के मुकदमें दायर कराये हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है ताकि कोई कार्यवाही न हो । अगर ऐसे साहसिक कार्य करने वालों का हेरेसमेंट होगा तो फिर हम चाहेंगे कि

[श्री राम सागर]
हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को आपको तोड़ देना चाहिये । आप हरिजन कल्याण का ढोल पीटते हैं लेकिन जहां सुख सुविधा का प्रश्न आता है तो भाषण सुना देते हैं और सारा रुपया दलाल नेताओं के हाथ में चला जाता है । इससे हरिजन कल्याण नही हो सकेगा।

आपने अभी घोषणा की है कि हरिजन कल्याण कमीशन गठित होगा । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इससे पहले हरिजन कल्याण कमीशन गठित नहीं हो चुके हैं ! अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति कमिश्नर की रिपोर्ट सन् 1960 में उत्तर प्रदेश सरकार को और केन्द्रीय सरकार को पूरे देश का भ्रमण करके सौंपी थी । उस पर क्या कार्यवाही हुई! रद्दी की टोकरी में फेंक दी गयी । राधाकृष्ण अग्रवाल, जो उस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई थी जिसके सदस्य माननीय देवराम जी सदस्य गाजीपुर भी थे । उन्होंने 51 संस्तुतियां दीं । उसमें से कितने अक्षरों का पालन हुआ ? सन् 1964 में आचार्य जुगल किशोर हरिजन मूल्यांकन कमीशन गठित हुआ था । उसने 150 रिकमेंडशन्स की थीं । उसमें से कितने अक्षरों का पालन किया ? इसके अलावा एसेम्बली और पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा समय-समय पर दिये गये कितने आश्वासनों का पालन हुआ है ? आप हरिजन कल्याण कमीशन गठित करने जा रहे हैं क्योंकि सन् 1974 नजदीक है । हरिजन कल्याण कमीशन गठित करके वोट बटोर लेंगे । माननीय मंत्री जी, ये चुनाव जीतने के हथकन्डे कितने दिन तक चलेंगे यह गोरखधंधा कितने दिन तक चलता रहेगा ? जनता ने 25 साल तक आप पर विश्वास किया और आपने विश्वासघात किया है । सरकार ने सोचा ही नहीं है कि उनका उत्थान होना चाहिये ।

शेडयूल्ड कास्ट्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसका थोड़ा सा तजकरा कर देता हूं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की देखभाल करने के लिय प्रशासनिक व्यवस्था में 5 प्रकार की गड़बड़ी थीं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का संशोधन राज्य विधान सभाओं तथा स्थानीय निकायों में जो उनके प्रतिनिधित्व के बारे में था उसमें 6 गड़बड़ी थीं । पिछड़ वर्ग की कल्याण योजनाओं में 6 गड़बड़ी थीं । सामाजिक निर्योग्यताओं में 9 प्रकार की गड़बड़ी थी । शक्षिक विकास में 13 प्रकार की गड़बड़ी थी । आर्थिक विकास में 13 प्रकार की गड़बड़ी थीं । विशष बहुउद्देशीय आदि में 2 प्रकार की गड़बड़ी थीं । औषधि तथा जन स्वास्थ्य में 8 प्रकार की गड़बड़ी थीं । आवास में 5 प्रकार की गड़बड़ी थीं । अनुसूचित तथा आदिवासियों के क्षेत्र में जो योजनायें चल रही हैं उसमें 8 प्रकार की गड़बड़ी थीं । प्रशिक्षण तथा शोध कार्य में 3 प्रकार की अव्यवस्था थीं। आप चाहें तो लायब्रेरी से मंगाकर इनको देख लें ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आप तो बतला ही रहे हैं ।

श्री राम सागर—

मेरे कहने से क्या होता है । अपोजीशन वाले तो हमेशा बतलाते रहते हैं ।

एक राधाकृष्ण अग्रवाल के समय म कमेटी गठित हुई थी । उस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन दिया है । श्री देव राम भी उसके सदस्य थे। इस कमेटी ने उत्तर प्रदेश की सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में विचार किया है । इसमें से पृष्ठ 7 का कुछ अंश में पढ़ना चाहता हूं :

26 जनवरी, 1950 को भारत के संविधान के आरम्भ होने के पश्चात् सरकार ने लोक सेवाओं में आरक्षण संबंधी अपनी नीति पर फिर से विचार किया । संविधान में यह सिद्धांत निहित है कि जाति, पंथ, वर्ग या धर्म आदि का ध्यान रखे बिना, राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में अवसर की समता होगी । तथापि अनुच्छेद 16(4) तथा 335 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों के लिये सेवाओं तथा पदों में कतिपय अभिरक्षणों की व्यवस्था की गई है । यदि किसी एक वर्ष में किसी सेवा में कुल रिक्त स्थानों के 10 प्रतिशत स्थानों पर अनसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति न हो सके तो उक्त कमी की पूर्ति आगामी वर्ष में की जानी चाहिये । अब इसकी जगह 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

यह आदेश सितम्बर, 1953 तक लागू रहे । इस अविध में समस्त विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियुक्ति अधिकारियों से यह अनुरोध किया गया था कि सेवाओं में अनुसूचित जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के प्रश्न पर अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाय । किन्तु 1953 में सरकार ने पुनः स्थित पर विचार किया और यह अनुभव किया कि पहले किये गये प्रयत्नों के बावजूद अनुसूचित जातियों का लोक सवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है । इस कारण सीधी भर्ती भरती वाले स्थानों पर आरक्षित स्थानों का प्रतिशत 10 से 18 कर दिया गया । उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में भी 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों को स्थान आरक्षित किये गये किन्तु किसी वर्ष में भी 18 प्रतिशत लोग नहीं लिये जा सके । इसलिये इस संख्या को पूरा करने के लिये आगामी वर्ष के लिये प्राविधान किया गया ।

इस प्रकार की योजना राधाकृष्ण अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित कमीशन की थी 48 से 53 तक 10 फीसदी। उसके बाद पता चला कि जनसंख्या के अनुसार इनका प्रतिनिधित्व 18 फीसदी होना चाहिये । अगर सभी विभागों के मंत्री यहां होते तो उनको अपने-अपने विभागों की जानकारी हो जाती । उत्तर प्रदेश की किसी भी राजकीय सेवा में 5 फीसदी से ज्यादा रिजर्वेशन अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों को 25 वर्षों के आपके शासन काल में नहीं मिला । कहीं-कहीं तीन फीसदी ही है । इन्होंने भी दिया है "अनुसूचित जातियों के वर्तमान प्रतिनिधित्व के संबंध में 1953 में प्रथम श्रेणी में 28 नियुक्तियां हुईं जिनमें एक भी हरिजन नहीं रखा गया । 1959 में 112 नियुक्तियां हुई जिनमें से एक भी अनुसूचित जाति का आदमी नहीं रखा गया । द्वितीय श्रेणी में 1953 में 1637 नियुक्तियां हुई जिनमें केवल 31 अनुसूचित जाति के थे और 1959 में 1662 में से केवल 50 अनुसूचित जाति के थे ।

इस प्रकार आप देखेंगे कि राधाकृष्ण अग्रवाल कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार 1 फीसदी से बढ़ते-बढ़ते बहुत हद हो गई तो 3 फीसदी तक पहुंचे । और आपके पक्ष के लोग बड़े जोर से चिल्लायेंगे कि हरिजनों के लिये हमने यह किया, वह किया । चार, चार कमीशन गठित हुए लेकिन किसी भी कमीशन की रिपोर्ट पर आपने एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की । आज फिर घोषणा करने जा रहे हैं कि हरिजनों के उत्थान के संबंध में एक कमीशन गठित होने जा रहा है । हम आपके ऊपर विश्वास कैसे करें । यह सदन, विरोध पक्ष और उत्तर प्रदेश में रहने वाली गरीब जनता आपकी बातों पर कैसे विश्वास करे जब कि चार-चार कमीशनों की रिपोर्ट पर आपने एक कदम भी चलने का साहस नहीं किया । इसके अलावा असेम्बली में कभी-कभी आप लोग बड़े जोर से घोषणा कर देते हैं कि हरिजनों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिये सरकार की तरफ से यह आदेश दिये गये हैं और जो अधिकारी उसको पूरा नहीं करेगा । उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । उसके कैरेक्टर रोल में बैड एन्ट्री की जायगी ।

4 मार्च, 1972 को मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शासन की ओर से कोई ऐसी राजाज्ञा प्रसारित की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिन विभागों में अनुसूचित जातियों की संख्या निर्धारित प्रतिशत के हिसाब से नहीं भरी जायगी

[श्री राम सागर]

उन विभागाधिकारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की जायगी ? यदि हां, तो अब तक किन-किन विभागाधिकारियों ने इस राजाज्ञा की अवहेलना की और उसमे स कितनों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई ? यदि नहीं, तो क्यों। "उत्तर भी पढ़े देता हूं। "अगस्त, 1969 में शासन ने यह आदेश जारी किये थे कि सेवाओं में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को पूरा करने के लिये एवं तद् विषयक विभिन्न शासनादेशो को कार्यान्वित करने के लिये जो भी अधिकारी उत्तरदायी हैं उनकी चरित्र पंजी में उच्चाधिकारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि देते समय इस दिशा में किये गये उनके प्रयत्नों का भी आवश्यक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये ।

शासन को जो सूचना प्राप्त हुई उससे विदित होता है कि उक्त आदेशों का अनुपालन कहीं हुआ और कहीं नहीं हुआ। कुछ प्रविष्टि कर्त्ताओं को इन आदेशों की जानकारी ही नहीं थी। "यह किस की जिम्मेदारी थी ? आप घोषणा तो यहां कर देते हैं लेकिन आधिकारियों को आदेश क्यों नहीं दिया ? क्यों सोते रहे ? "यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस दिशा में अधिकारियों के कार्य का उनकी प्रविष्टियों में आवश्यक रूप से उल्लेख हो, शासन ने हाल ही में यह निर्देश जारी किये हैं कि प्रविष्टि कर्त्ता को अनिवार्य रूप से वार्षिक प्रविष्टि में यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित अधिकारी ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने एवं तद्-विषयक विभिन्न शासनादेशों को कार्यान्वित करने के लिये प्रभावपूर्ण ढंग से दायित्व को निभाया। यदि किसी अधिकारी को इस दिशा में उदासीन पाया जाए तो प्रविश्टि में तदनुसार उल्लेख किया जायगा । आशा है इससे स्थित में सुधार होगा ।"

आगे लिखा है कि यदि किसी अधिकारी को इस दिशा में दोषी पाया गया तो उसके चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी जायेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इससे कोई सुधार हुआ ? कोई सुधार नहीं हुआ । अगर सुधार हुआ होता तो आज मंत्री जी हरिजन समाज कल्याण कमीशन बिठाने की बात न करते । इन लोगों के 99 परसेंट वोट लेकर आप यहां पर आते हैं। मगर यहां आकर उनके साथ विश्वासघात करते हैं। अगर आपकी यह नीति रही तो प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ेगा। 25 साल की आजादी के बाद भी उन लोगों के लिये पहनने को कपड़ा, खाने को रोटी, और रहने के लिये मकान नहीं हैं । आज लखपती करोड़-पती बन गया, मगर यह हरिजन लोग वहीं के वहीं रहे । यह लोग 25 साल तक आपके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते रहे । आपका विश्वास करते रहे, आप उनको समाजवाद का पाठ पढ़ात रहे, मगर आपने उनको दिया कुछ भी नहीं । यहां पर बैठकर बड़ी-बड़ी समाजवाद की बात करते हैं । किन्तु जब आप बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं ।

आज 25 साल के बाद आप कहते हैं कि उनके लिये हम 150 गज जमीन देने जा रहे हैं । जौनपुर जिले में एक पनहर जाति है, उनके पास रहने के लिये मकान तक नहीं हैं। वहां उन लोगों को इतना परेशान किया जाता है कि पुलिस द्वारा गलत और झूठे मुकदमों में उनको फसाया जाता है । उनके बारे में एक प्रतिवेदन भी सरकार को दिया गया है । आज हर जगह इन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। अगर कहीं टाटा, बिड़ला या बाटा का मामला होता है तो यह सरकार नंगे पैर दौड़ कर जाती है । मगर कहीं हरिजन का मामला होता है तो इस सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रगती। बिड़ला को डेढ़ पैसे फी यूनिट पर बिजली दी जा सकती है, लेकिन हरिजनों को इस दर पर बिजली देकर, उनको छोटे-छोटे उद्योगों में लगाकर स्वालम्बी नहीं बनाया जा सकता ?

मान्यवर, यही नहीं, उनको रहने के लिये मकान के लिये जो रुपया दिया जाता है वह भी एक ब्लाक में एक आदमी को दिया जाता है । एक ब्लाक में कम से कम 100 हरिजन बस्तियां होती हैं । इस तरह से सभी हरिजनों को मकान मिलने में हजारों वर्ष सरकार को लग जायेंगे।

पानी पीने की व्यवस्था भी 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी यह सरकार नहीं कर पायी है। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था सरकार नहीं कर पायी है।

मान्यवर, अभी तक हरिजन कल्याण समितियों द्वारा ही जिलों में हरिजनों को अनुदान वितरित किया जाता था। उसमें माननीय सदस्यगण भी रहते थे। अब इस सरकार ने इस कार्य को ब्लाकों को दे दिया है। यह कार्य अब ब्लाकों को यह सरकार देने जा रही है। सैकड़ों ब्लाकों के उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं जहां हरिजनों को एक बैल खरीदने तक के लिये रुपया नहीं मिल सका। माननीय माता प्रसाद जी की ही कान्सटीट्यून्सी में, वे जानते हैं, किसी हरिजन को बैल खरीदने के लिये रुपया नहीं दिया गया। हरिजनों को बैल खरीदने के लिये जो रुपया दिया गया था, वह खर्च नहीं किया गया, जिले को वापस कर दिया गया। फिर भी आप ब्लाक को यह देने जा रहे हैं। उन पर आप पुनः इतना विश्वास करने जा रहे हैं। मैं सामुदायिक विकास मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सामुदायिक विकास खंडों में काम करने वाली आपकी फौज महान कमीनी, नमकहराम और वाहियात है—

एक सदस्य—

क्या कोई सदस्य हाउस में इस भाषा का प्रयोग कर सकता है?

(लाल बत्ती होने पर)

श्री राम सागर—

अभी श्रीमन्, हमें थोड़ा समय और दे दें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

कुछ समय आप भले ही बढ़ा दें, लेकिन इन्हें बोलने दें, अभी इन्हें काफी कहना है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमारी भी मजबूरी है। 5 बजे इस पर वोट होना है। मुझ को कोई एतराज नहीं हो सकता है, यदि एक ही सदस्य सारे समय तक बोले और सरकार का जवाब हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप थोड़ा समय अवश्य दे दें।

श्री राम सागर—

ब्लाकों में जितने भी क्रैश-प्रोग्राम के अन्तर्गत कुएं बने हैं, उनके बारे में पूरे प्रदेश की रिपोर्ट देखें, तो आप पायेंगे कि बहुत से कुएं बनाये गये, लेकिन कागज पर बनाये गये। जहां बनाये गये, जो प्रथम श्रेणी का ईंटा लगना था वह तृतीय श्रेणी का लगाया गया है। जहां हमने देखा है और हमारी जानकारी में है। माता प्रसाद जी से भी पूछ लीजिये। उनकी तहसील में 8 कुएं फर्जी बनाये गये। इस विषय में श्री अशोक मुस्तफी जो मंडल के कमिशनर हैं उनके पास जब गड़बड़ी की रिपोर्ट आयी तो उन्होंने एस0 डी0 एम0, श्री शाही से उसकी जांच कराई, तो उसमें 8 कुयें फर्जी निकले।

श्री माता प्रसाद—

वे कुएं अच्छे नहीं थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वे फर्जी थे।

श्री राम सागर—

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आप वास्तव में हरिजनों का कल्याण चाहते हैं, तो हरिजन कल्याण समिति जो है, जिसको आप ब्लाक में देने जा रहे हैं, तो ब्लाकों में कृपा करके कम से कम वह रुपया न दें। उसको जिले की समितियों में ही रहने दें। यह बहुत अच्छा होगा कि हरिजन कल्याण के संबंध में आप हरियाणा सरकार का अनुकरण करें। जिस तरह से आप आज उनको सिलाई मशीन, मकान के लिये 1 हजार रुपया, कुएं के लिये 1 हजार रुपया देते हैं, उससे कई हजार वर्ष बीत जाने पर भी उनका उत्थान नहीं होगा। आप यह अनुदान देना बन्द कर दीजिये। उनको आप अपने पैरों पर खड़ा कीजिये, उसको साधन सम्पन्न बनाइये। यदि वह साधन संपन्न हो जायगा तो वह अपने पैरों पर स्वयं खड़ा हो जायगा। मकान भी बनवा लेगा, अपने लड़के लड़कियों को भी पढ़ा लिखा लेगा।

हरियाणा सरकार ने हरिजन कल्याण टैक्स लगाकर काफी धन जमा किया और उसकी मदद से अपने पास से लगाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये कुटीर उद्योगों की व्यवस्था की और उनको रुपये कर्ज में दिये। और बहुत कम सूद पर दिया। वहां पर आज हरिजन की जो हालत हो गई है, उससे आप 100 वर्ष पीछे हैं। उनको भीख मांगने देने के बजाये, अपने पैर पर खड़ा करने के लिये छोटे-छोटे कुटीर उद्योग उनको दीजिये, उनको सरल किश्तों में अनुदान दीजिये। दर अस्ल में उसका उत्थान होगा।

हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हरिजनों के लिये जो धन आपने निर्धारित किया है बीस पसा प्रति व्यक्ति से ज्यादा एक साल में नहीं दे पायेंगे। हमारा आपसे आग्रह है, इसके लिये हम लोग संघर्ष भी करते रहे हैं, हमारा दल भी संघर्ष करता रहा है। अगर आप इनका कल्याण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वे साहस के साथ समाज के समकक्ष खड़े हो जाये, तो आबादी के हिसाब से उतना धन स्वीकृत करना चाहिये। 7 हजार करोड़ की पंचवर्षीय योजना है अगर एक चौथाई धन दें तो 1 हजार 7 सौ 25 करोड़ रुपया उनके उत्थान के लिये अगर आप खर्च करेंगे तो पांच साल के अन्दर ये गरीब उठकर अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे। फिर आप को चिन्ता करने की आवश्यकता नही पड़ेगी। परन्तु भाषण में उनके लिये चाहे जितनी चिन्ता व्यक्त करें उनका उत्थान होने वाला नहीं है। अगर आप उनका उत्थान चाहते हैं तो जितना धन एक वर्षीय योजना में स्वीकृत करते हैं उसका एक-चौथाई धन उसके लिये उत्थान के लिये स्वीकृत करेंगे उनके लिये कुटीर उद्योग दे देंगे, उनके लिये खाने का साधन देंगे तब तरक्की हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि, आपने घोषणा की कि जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है, उनके नाजायज पट्टे खारिज कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि नाजायज पट्टे खारिज करके भूमिहीनों को दे दिये गये हों। जितने नाजायज पट्टे दिये गये हैं उनको खारिज करके भूमिहीनों को दे दिये जायं और सीलिंग से जो जमीन निकली है, उसको भूमिहीनों में बांटें। इस सीलिंग से तो कोई जमीन निकलेगी नहीं लेकिन इससे पहले जो जमीन निकली थी उस पर बड़े-बड़े लोग काबिज हो गये हैं। वह जमीन उनसे निकाल कर भूमिहीनों को दी जाय।

एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आप हरिजन होस्टल चलाते हैं। लेकिन उसमें जो भोजन पकाने वाले हैं उनको कितन रुपया देते हैं? 35 रुपये महीना मिलता है। इस मंहगाई के युग में 35 रुपये में कौन सा नौकर मिलेगा जो खाना बनायेगा? नतीजा यह है कि बहुत से छात्रावासों में खाना बनाने वाले नौकर ही नहीं और अगर हैं तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। नतीजा यह है कि लड़कों को अपने हाथ से खाना बनाना पड़ता है। क्या उन नौकरों के लिये ला आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती? उसके लिये आप ध्यान दें।

दूसरी बात हरिजन विभाग से संबंधित है। एक हरिजन किसी गांव या शहर में पीटा जाता है। आपने एक हरिजन कल्याण अधिकारी बैठा दिया है। उसको आपने कोई पावर नहीं दे रखी है। वह रोता हुआ उनके पास जाता है। हरिजन कल्याण अधिकारी को कोई पावर नहीं है कि वह उसकी विशेष सुनवाई कर सके। वह पुलिस के कांन्सटेबिल से जो दो रुपये की दलाली करता है उससे वह सिफारिश करता है। किया तो किया नहीं तो नहीं। अगर आपने हरिजन कल्याण अधिकारी नियुक्त किए हैं तो उनको पावर दीजिये। आप उसको मैजिस्ट्रेट का पावर दीजिये। इसी तरीके से जिसका हरिजन कल्याण और समाज कल्याण अधिकारी के पद पर जिसका ट्रान्सफर हो जाता है उसका मनोबल गिर जाता है। जिस प्रकार हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उसी प्रकार से आपके विभाग के अफसरों को हीन भावना से देखा जाता है। आपने कौन सी पावर दें रखा है। आप हरिजन और समाज कल्याण निदेशक को आयुक्त कर दें तो बड़ा लाभ होगा। उस निदेशक को उप आयुक्त कर दें, इसी तरह से सहायक आयुक्त कर दें। इस तरह से अगर आप पावर देंगे और जहां भी ये अधिकारी जायंगे उनकी भी इज्जत होगी। लोगों को जब यह पता चलेगा कि हरिजन समाज कल्याण आयुक्त एवं सहायक आयुक्त आये हैं हरिजनों की देखभाल के लिये तो शायद उन पर होने वाले अत्याचार जल्दी समाप्त हो जायेंगे।

आपने आश्रम पद्धति योजना चलाई है लेकिन आप भारत सरकार के आडिटर जनरल की रिपोर्ट अपने विभाग द्वारा जो धन के अपव्यय के सम्बन्ध में है उसे पढ़ें। क्या आपन बुनियादी सतह पर खड़े होकर कभी यह सोचन की कोशिश की कि समाज के अन्दर जो बुराइयां हैं उनको कसे दूर किया जाय। भिक्षावृत्ति के जितने धार्मिक स्थान हैं वहां विशष रूप से जरूरी है। हजारों की संख्या में भीख मांगने वाले खड़े रहते हैं। जो लोग विदेशों से आते ह वे उनका फोटो लेते हैं जिससे हमारी बदनामी होती है। आप इस ओर साहसिक कदम उठाये तथा इस भिक्षावृत्ति को रोकें।

आपने जो भिक्षुकशालायें खोली हैं उनमें अपंग भिक्षुओं को रखें और जो स्वस्थ्य हैं उनको काम दीजिये ताकि वे भिक्षा मांगना बन्द कर दें। स्वस्थ्य भिक्षुक दिन में सरंगी लेकर भीख मांगते फिरते हैं लेकिन रात में चोरी डकैती करते हैं। उनको आप पकड़िये तथा बन्द कर दीजिये। समाज में कितनी महिलायें वेश्यावृत्ति करने के लिये मजबूर हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि किन कारणों से उनको भिक्षा मांगने के लिये मजबूर होना पड़ा ? क्या दहेज प्रथा इसमें बाधक नहीं है ? आपकी भाषणबाजी से ज्यादा दिन काम चलने वाला नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण ऐसे हैं जिनसे समझ में आ जायगा कि समाज कितना ऊंचा उठा है या नीचे गिरा है ? भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति तथा दहेज प्रथा को खत्म करने के लिये आपको साहसिक कदम उठाना चाहिए और विधेयक लाने की आवश्यकता हो तो विधेयक भी लाइये। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो समाज से यह कोढ़ खत्म नहीं हो सकेगा।

अस्पृश्यता के सम्बन्ध में आपने कानून बनाया है लेकिन कितने लोगों को सजा मिली है ? शहरों को छोड़ दीजिये क्या आप हिम्मत के साथ कह सकते हैं कि गांवों के अन्दर भी वैसा ही बरताव अनुसूचित जातियों के साथ होता है जैसा यहां पर बैठकर होता है ? वहां पर आज भी उनकों दुत्कारा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। लिहाजा अस्पृश्यता निवारण कानून को कड़ाई के साथ पालन किया जाय। जो लोग समझदार हैं वह अस्पृश्यता को उचित नहीं समझते लेकिन जो समाजद्रोही तथा अराजक तत्व हैं वे अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये अस्पृश्यता को बनाये रखना चाहते हैं लिहाजा इस ऐक्ट का कड़ाई के साथ पालन किया जाय तभी आपका साहसिक कदम होगा। गोरख-

[श्री राम सागर]

पुर में जो भ्रष्टाचार तथा दमन के सम्बन्ध में केसेज वर्ज कराये गये हैं उनको पुलिस ने दबा दिया है। उन पर जांच कर के कार्यवाही की जाय। इन शब्दों के साथ में इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो हरिजन समाज कल्याण अनुदान माननीय मन्त्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। और भाई रामसागर जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। हालांकि कुछ मानों में उनके विरोध का सवाल नहीं उठता है क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें सही कही हैं और उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं हरिजन हूं और वे भी हरिजन हैं। माननीय त्रिपाठी जी, आप नहीं समझ सकते हैं और अगर आप समझ जाते तो हरिजन समस्या रहती ही नहीं और यह आप लोगों की ही देन है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम से ज्यादा कमलापति जी की देन है। मैं तो बहुत पीछे हूं। पहले उनको कहिये और उनको कहेंगे तो मैं भी बरदाश्त कर लूंगा।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

माफ कीजिये त्रिपाठी जी, आपने जो कानून बनाये हैं मनुस्मृति से लेकर आज तक, उनमें आपने किसी वर्ण को छोड़ा नहीं है, पैदा होने से लेकर मरने तक। फिर भी आप कहते हैं कि त्रिपाठी जी से कहिये। आप हमारे पड़ोसी हैं इसलिये आपके ऊपर मेरा हक है। जब शासन करना है तो आप दोनों मिलकर हमारे ऊपर शासन करते हैं और हरी बेगार लेनी होती है तो वह भी लेते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

प्रधान मन्त्री तो नाम लेकर सारे देश में वोट पा गईं और यहां तो कुछ नहीं कहा।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

जनसंघ का तो यही नारा है और जातिवाद आपकी कृपा से ही बढ़ रहा है। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि रामसागर जी ने ठीक ही कहा है कि 25 साल बाद हम लोगों के अन्दर एक चेतना आई है। आज अखबारों में या गांवों में जो हमारा पढ़ा-लिखा नवयुवक समुदाय है वह अपने को उठाने के लिये आगे बढ़ रहा है। उसकी आवाज प्रदेश भर में गूंज रही है और मुझे आशा है कि गांधी जी का वह स्वप्न पूरा होगा जो वह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान का प्रधान मन्त्री एक हरिजन बालक होगा। जन-जाग्रति का एक नमूना है। हमारे एक हरिजन नेता देश के हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उनकी आवाज से हमारा दुश्मन परास्त हुआ लेकिन नाम किसका होता है।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, भारत रत्न की उपाधि वे नहीं पा सके।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

हमारे हरिजनों के वे चुने हुए नेता हैं। उनकी आवाज जन-जन में पहुंच रही है। हमारे लोगों की धारणा है ....

श्री राम बिलास पांडेय––

गंगा प्रसाद जी आपको याद होगा कि एक चमार के बेटे ने लड़ाई जीती है और यह सवाल यहां आया था कि विधान सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाय ।.....

[इस समय 3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराज सिंह पीठासीन हुए ।]

यह भी याद होगा कि भारत रत्न की उपाधि किसको मिलनी चाहिए थी लेकिन वह उनको नहीं दी गई और वह प्रधान मन्त्री को मिली । जिसका पोलिटिकल मर्डर किया गया था और जिसको राजनैतिक मौत दी गई थी और जो सन् 62 में लड़ाई हार गया था उसको सब कुछ दिया गया लेकिन यह आप के साथी माननीय जगजीवन राम को सम्मानित न कर सके ।

(व्यवधान)

श्री गंगा प्रसाद––

जो बात अभी आवेश में श्री राम विलास जी ने कही है वह दूसरी है लेकिन यह कोई आवेश की बात नहीं है लेकिन यह सत्य है कि माननीय जगजीवन राम जी की आज घर-घर पूजा होती है, उनकी विचारधारा का हर जगह मान होता है । आज उधर से जो भी कहा जाता है वह 74 के एलेक्शन को सामने रखकर ही कहा जाता है ।.....

(व्यवधान)

जो उधर से बीच-बीच में बोल देते हैं वह स्वयं नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनकी पार्टी का भूत बोल रहा है क्योंकि सन् 74 के चुनाव में यह सब चीजें उठने वाली हैं कि कौन हरिजनों का शुभचिन्तक है और कौन नहीं है । आज देश में जगजीवन राम जी और इन्दिरा जी के नेतृत्व में गरीबी हटाओ और समाजवाद लाने का जो नारा है उसको लाने का प्रयास हो रहा है । यह तो एक जिले की बात की गई लेकिन वह स्थिति तो सारे प्रदेश की है । आज हमारा वर्ग गिरा हुआ है, प्रशासन खराब है उसको ठीक करने के लिये कुछ न कुछ करना चाहिए ।

अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक तमाम काम हुए लेकिन यह जो हरिजन समाज कल्याण बोर्ड बना है उसमें वही पुराने आदमी चले आते हैं और कोई नया नहीं है । किसी को 12 साल , किसी को 14 साल और किसी को 16 साल हो गये वही चले आते हैं । इस तरह से उस बोर्ड के द्वारा कोई परिवर्तन कैसे आ सकता है, कैसे गरीबों को राहत मिल सकती है ? तमाम अधिकारी बदल जाते हैं लेकिन हरिजन निदेशक नहीं बदले जाते । मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि उनको भी वह बदलने की कोशिश करें जिससे काम सुचारु रूप से चल सके । जब आगे का ही आदमी ठीक न होगा तो काम कैसे चलेगा ।

इसके अतिरिक्त आप जो आयोग स्थापित करने जा रहे हैं उसमें आप अभी विचार कर रहे हैं कि कौन लोग रखे जायं । मैं चाहता हूं कि उसमें सबका प्रतिनिधित्व रहे, जनजातियों का भी प्रतिनिधित्व हो, विमुक्त जातियों का भी प्रतिनिधित्व उसमें रहे, हरिजन जातियों का भी हो और आदिवासियों और कोल्टा आदि सभी जातियों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे । जो जाने-माने सुधारवादी और सामाजिक कार्य करने वाले लोग हों वह उसमें रखे जायं । मैं तो यह भी चाहूंगा कि आयोग का चेयरमैन भी कोई हरिजन ही रखा

[श्री गंगा प्रसाद]

जाय और जो अधिकारी हों वह भी हरिजन ही होने चाहिए। ताकि वह इस पिछड़े समाज की सब बातों को सोच-समझकर निर्णय ले सकें और एक अच्छी रिपोर्ट दे सकें और तमाम गड़बड़ियों को दूर कर सकें।

आज तक आचार्य जुगुल किशोर की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई जिस रिपोर्ट पर कि लाखों रुपया व्यय हुआ वह बेकार गया। उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। हमें आशा है कि मन्त्री जी उसमें से कुछ चीजें जरूर निकालें। आपका विभाग एक बड़ा विभाग है आप उस रिपोर्ट को देखें और उसके अनुसार जो लाभ हरिजनों को पहुंच सकते हैं वह पहुंचायें। हरिजनों का रिजर्वेशन 18 प्रतिशत से 44 प्रतिशत हो गया लेकिन आज तक कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की गई कि उस कोटे के अनुसार आज कितने हरिजन, विमुक्त जातियों के लोग और पिछड़े वर्ग के लोग विभागों में हैं, उनके प्रतिशत के क्या आंकड़े हैं ताकि उस प्रतिशत को पूरा करने की दिशा में बढ़ा जा सके। इसकी एक फहरिस्त बनवाई जाय।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी कैबिनेट में यह प्रस्ताव रखें और पारित करायें कि जब तक हरिजनों का कोटा पूरा नहीं होगा उनके अतिरिक्त किसी विभाग में अन्य कोई आदमी नहीं लिया जायगा। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो सकेगा। हरिजनों का जो चुनाव होता है उसमें उनको नहीं रखा जाता है, सूटेबिल कैन्डीडेट न होने के कारण। यहां भी जातिवाद और कुन्बा परस्ती फैली हुई है। अपनी जाति के लोगों को रखा जाता है, अपने कुन्बे के आदमी को अपने रिश्तेदार को, रख दिया जाता है।

आपने जो श्रम विभाग खोल रखा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के पास आज रुपया नहीं है कि वे वहां पहुंच पा सकें। तो जब तक आप कैबिनेट में प्रस्ताव पास नहीं करवायेंगे तब तक इनका कोटा पूरा नहीं हो सकता है। अगर और कहीं नहीं तो कम से कम चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में तो आप हरिजनों का कोटा पूरा करने के लिये यह प्रस्ताव पारित कराइये कि जब तक इनका कोटा पूरा नहीं होगा, तब तक और किसी जाति के अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं होगी।

आप पंचायत मन्त्री भी हैं और सामुदायिक मन्त्री भी हैं, देहातों में हरिजनों के ऊपर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। आज यह होता है कि अगर हम किसी के यहां हरवाही नहीं करते हैं तो फौरन अदालत पंचायत में दावा दायर कर दिया जाता है और दावा दायर करके हमारे ऊपर जुर्माना जरूर करवा देते हैं। इसलिये जिस प्रकार से ग्राम समाज में हरिजनों का कोटा होता है उसी प्रकार से आप अदालत पंचायतों में भी इनका कोटा निर्धारित कराने की कृपा करें। आप अदालत पंचायतों का चुनाव नहीं कर रहे हैं। इसलिये कोटा निर्धारित करने का मौका है यह अवसर बार-बार नहीं आयेगा, इसलिये आप इस पर विचार कर लें।

यहां पर समाज कल्याण मन्त्री जी भी बैठी हैं, बड़ा असर है बड़ा जोश है सारी चीजें हैं। आज हमारे प्रदेश में कितने भिक्षुक हैं, इसके उनके पास आंकड़े नहीं हैं। केवल कोरी बातें हैं, ये अमीर नवाब घर की लड़की हैं, ये क्या जाने गरीब की दशा। आप जाकर हरद्वार या मथुरा देखें। वहां पर भिक्षुक लोग घूमा करते हैं, उनके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। हर साल रुपया पास हो जाता है, उनके पास समाज कल्याण विभाग भी है। उससे ये कुछ लोगों को सहायता, जैसे विधवाओं आदि को मशीनें देते हैं लेकिन उसकी लिस्ट देख लें, लखनऊ और बाराबंकी के अलावा और कहीं नहीं दी गयी हैं। इस विभाग में आवारा लड़कों को सुधारने के लिये डैस्टीट्यूट होम्स बने हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अवारा बच्चों को सुधारने के लिये सरकार ने क्या किया है। कितना रुपया खर्च हुआ है, कौन-कौन अधिकारी हैं, यह मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं।

वेश्याओं के सुधारने का भी सरकार ने ठेका लिया है, कितनी वेश्याओं को पकड़ कर जेल में भेजा है, कितनों का सुधार किया है ? आपके पास उनकी संख्या नहीं है। आज जो समाज में अन्य अनर्गल बातें हो रही हैं, उनको दूर करने के लिये सरकार की ओर से क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में मन्त्री जी एक कमेटी बना दें जो देखें कि विभाग ने कितना काम किया है और उसमें कौन-कौन सी चीजें हुयीं हैं ? मान्यवर, आश्रम के कुछ स्कूल चल रहे हैं। हमारे जिले में भी चल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गंगा प्रसाद––

थोड़ा समय और दे दें, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता––

आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

श्री गंगा प्रसाद––

इन आश्रम के स्कूलों में बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उन्हें न कपड़ा मिलता है, न दवा, न तेल और साबुन दूध तो उन्हें देते नहीं। जो मिलता भी है, वह पानी मिलता है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी अधिकारी को वहां भेज कर जांच करवा लें ताकि सही स्थिति उन्हें ज्ञात हो जाय। आप, एक अच्छी समाज कार्यकर्ता हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगी, तो इन बच्चों का जीवन सुधर सकेगा और वे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे।

दूसरी बात, मान्यवर, यह है कि देवरिया जिले के एक ठाकुर साहब ने हरिजन विभाग के हेड क्लर्क, श्री राम नगीना सिंह के यहां शादी के उद्देश्य से गये। जब मौके पर पहुंचे, तो जो लड़का बी0 ए0 में पढ़ रहा था, उसने कहा कि शादी नहीं करेंगे। बाद में बात हुई कि 5 हजार लेंगे तो शादी करेंगे। लेकिन ठाकुर साहब, 3, 078 रुपये लेकर राम नगीना सिंह हेड क्लर्क को दे आये। लेकिन गोपी चन्द, डाइरेक्टर, हरिजन, ने जांच की और कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। उन्होंने उस पैसे को खजाने में जमा करवा दिया। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी के पास चिट्ठी भी आयी है। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि वह रुपया उसे वापस दिला दिया जाय, ताकि वह शादी हो सके। मैं मन्त्री जी से यह भी बताना चाहता हूं कि उसमें उस अधिकारी का दोष है। आशा है, मन्त्री जी इसमें शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेंगे, ताकि रुपये उसे वापस मिल सकें।

इसी तरह से, मान्यवर, तमाम बातें हैं इस विभाग की। मुझे आशा है कि समाज कल्याण और हरिजन विभाग की ओर से जो कार्य हो रहे हैं, उससे समाज और हरिजनों का कल्याण होगा और महात्मा गांधी का स्वप्न साकार होगा। हमारे मौजूदा समाज कल्याण और हरिजन मन्त्री को इस विभाग के सम्बन्ध में काफी जानकारी है। मुझे आशा है कि इस विभाग की उन्नति दिन-दूना और रात चौगुना होगी, उनके देख-रेख में। मैं इन शब्दों के साथ अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये हरिजन कल्याण और समाज कल्याण विभाग, जिन पर आज बहस चल रही है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग हैं। गांधी जी ने तो

[श्री बंशीधर पांडेय]

अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, जबकि अंग्रेजों ने इस जाति को हिन्दू जाति से अलग करने की बात की थी। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रपिता को कितना ध्यान था इस कम्युनिटी का कि इस देश में एक तरह की आबादी, एक तरह के लोग हो जायं, जो सभी भारतवासी हों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यह हरिजन कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग, जिस पर आज भाषण हो रहे हैं, एक तरफ तो इतना महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन दूसरी तरफ जिस मन्त्री को ये विभाग मिल जाते हैं, वह स्वयं अपने को एक तरह से डिमोरेलाइज सा महसूस करता है और शिकायत करता पाया जाता है कि हमें तो कोई इम्पार्टेंट विभाग ही नहीं मिला। जब उसके दोस्त या एम0एल0ए0 उससे पूंछते हैं कि आपको कौन विभाग मिला है, तो वह यही कहता सुना जाता है कि कोई अच्छा विभाग नहीं मिला। यही नहीं, श्रीमन्, जिस आई0 ए0 एस0 या आई0 सी0 एस0 को इस विभाग का सेक्रेटरी बना दिया जाता है, वह भी अपने को डिमोरेलाइज्ड फील करता है? यह क्या कन्सेप्शन है, किसी आई0 ए0 एस0 को डाइरेक्टर बना दीजिये तो वह भी यह फील करने लगता है कि वह कौन से सेंतमेंत के विभाग में पड़ गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि अब भी हीन भावना पैदा हैं इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के दिमाग में, इन रूलर्स के दिमाग में। भाई गंगाप्रसाद भी माफ करेंगे स्वयं जगजीवन राम में यह हीन भावना, यह मनोवृत्ति पैदा हो गई है। एक बार मैंने उनसे कहा कि आप हरिजन विभाग क्यों नहीं ले लेते, इसका जवाब उनके पास कुछ न था। अध्यक्ष जी, इस हरिजन विभाग को किसी वरिष्ठ मंत्री-अगर चीफ मिनिस्टर नहीं, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को या नेक्स्ट टू चीफ मिनिस्टर को तथा सेक्रेटरी लेबिल पर चीफ सेक्रेटरी को नहीं तो सीनियर मोस्ट सेक्रेटरी को यह डिपार्टमेंट अपने हाथ में लेना चाहिये। यह मैं आपको दे नहीं देता लेकिन चूंकि आपकी सरकार है इसलिये कहता हूं कि क्या कभी आपने पार्टी मीटिंग में कन्सल्ट करके किसी मिनिस्टर को कहा।

आप 15 मिनट या आधा घंटा एसेम्बली में भाषण करके अपनी डयूटी की इतिश्री समझ लेते हैं। शासन पार्टी की यह जिम्मेदारी है कि यह इस बात को देखें कि हरिजन ही अपनी बात को न कहें बल्कि और दूसरे लोग भी कहें। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गरीबी हटाने और हरिजनों के उद्धार की बातें इनके हृदय से नहीं निकलती, बल्कि यह वोट-कैचिंग मारा है। भाई गंगा प्रसाद जी आज जितनी श्रद्धा हम श्री जगजीवन राम जी की रखते हैं यह लोग नहीं, यह तो पालिटिकल स्टूल्स बनाते हैं हर काम में उनको आगे कर देते हैं और आपको बताऊं आजकल तो उनकी और प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं होती। इसलिये कि वह सही बात कहते हैं कि वायदा होने के बाद कार्यक्रम पूरे क्यों नहीं किये जाते। इसी कारण आज देश की जनता में आग भड़की हुई है।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

आप अपने श्री गिरधारीलाल जी को भूल जाते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय--

अब आपको क्या जवाब दूं। अगर आप ओरीजनल कांग्रेसी होते तो जवाब देता। दलबदलुओं को जवाब नहीं देता। आज लोग हरिजनों की समस्या पर क्या ध्यान देंगे आजकल तो आप टिकट के लिये दौड़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप आपस में बात न करें।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं विषयान्तर नहीं हो रहा, मैं तो हरिजनों की समस्या और गरीबी हटाने की बात कह रहा था। आज 2 पंचवर्षीय योजना तथा 3 वार्षिक योजना के बीच में कोई बात हरिजन समाज के विषय में नहीं हो पाई। मुझे शासक दल के एक कांग्रेसी नेता से बात करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि करीब-करीब 3 पंचवर्षीय योजना और 3 वार्षिक योजना में पहले करीब 23–25 सौ करोड़ की, दूसरी 48–50 सौ करोड़ की, तीसरी साढ़े 10 हजार करोड़ की तथा 3 वार्षिक योजनायें तथा चौथी योजना जिनमें 21500 करोड़ की हुई, लेकिन अगर आपने हरिजन अपलिफ्ट की बात कही, आदिवासी की बात कही, तो क्यों नहीं उनको पूरा किया ?

हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो देश में फंडामेंटल हैं जैसे डिफेंस का मामला है, कुछ कल-कारखानों का मामला है, उनको छोड़ दीजिये। आप में अगर इस बात की हिम्मत हो तो आप एक योजना इनके अपलिफ्ट की रख देते जो गरीब हैं, हरिजन हैं, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनके उत्थान के लिये एक पूरी योजना हो जाती तो मैं कहता हूं कि आप हटेंगे तो वैसे भी झूठे वादे करके पूरा न करने के कारण भी लेकिन अगर आप एक स्कीम को पूरा करने का वादा करके हटते तो आप एक लैंडमार्क छोड़ जाते, एक फुटप्रिंट छोड़ जाते कि वह सरकार चली गयी तो गयी लेकिन उसने एक काम तो किया और मैं उसके लिये आपको बधाई भी देता। लेकिन आप अनहर्ड, अनसंग मर जायेंगे, न आपके नाम पर कोई रोयेगा और न कोई आपके नाम पर गायेगा क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया।

मान्यवर, यहां पर गुप्ता जी जब चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने हरिजनों के लिये 69 में विशेष सुविधाओं को दिया था और माता प्रसाद जी को याद होगा कि आप सब लोगों ने यहां पर मेजें थपथपाकर उस स्कीम का स्वागत किया था कि हरिजनों का रिप्रेजेंटेशन 18 प्रतिशत हर विभाग में होना चाहिये। लेकिन आपने क्या किया ? आपने हरिजनों का वह रिप्रेजेंटेशन पूरा किया ? हरिजनों का वह रिप्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने तो कहा कि सरकार हरिजनों को सभी सुविधायें प्रदान करेगी और उन रिप्रेजेंटेशन को हर विभाग में पूरा कराने के लिये पूरा प्रयास करेगी। अगर किसी विभाग ने पूरा नहीं किया तो जिस अधिकारी ने पूरा नहीं किया आपने उसे मुअत्तल किया, डिसमिस किया ? आप पब्लिक सर्विस कमीशन को लिख दीजिये कि डिप्टी कलेक्टर, बी0 डी0 ओ0 में 18 प्रतिशत का जो रिप्रेजेंटेशन है वह अब तक पूरा नहीं हुआ है तो इतनी सरविसेज में एक साल तक आप सिर्फ हरिजन को ही चुनें, बी0 डी0 ओ0 में चुनें, आई0 ए0 एस0 में चुनें, ऐग्रीकल्चर विभाग हो, वन विभाग हो, चपरासी से लेकर ऊपर तक सब में 18 फीसदी अगर 1 साल के अन्दर नहीं हो जावेगा तो वह अधिकारी निकाल दिया जायगा और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी जहां ऐसा नहीं हो पावेगा लेकिन यह बात आपमें नहीं है तो दोष किसका है। अगर सरकार एक बात सिर्फ कर देती कि 18 फीसदी रिप्रेटेशन जो हरिजनों का है उसको एक साल के अन्दर हम पूरा कर देवेंगे तो मैं कम से कम आपकी इस एक सफलता के लिये आपकी थोड़ी सी तारीफ कर देता।

वैसे मैं हरिजन जिला सहायक कमेटियों की बैठकों में नहीं जाता लेकिन एक दिन लोगों ने कहा कि चलिये तो मैं जिला हरिजन सहायक कमेटी की बैठक में चला गया कि 6, 7 व 8 महीने हरिजन कमेटी द्वारा अनुदान नहीं बटा हुआ है और स्कालरशिप नहीं बटी हुई है। 4 सौ रुपये बैल के लिये 5 सौ रुपये मकान के लिये और एक हजार रुपये कुयें के लिये देंगे।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

माननीय पांडेय जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कई दफा ऐडमिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का जिक्र किया और उसको लेकर बड़ी भारी आलोचना भी सरकार की की।

श्री अधिष्ठाता—

इस वक्त तो उन्होंने उस बात का कोई जिक्र नहीं किया। जो बात वह कह रहे हैं उसके बारे में कोई बात आप पूछना चाहते तो मैं इजाजत दे सकता हूं। आप कृपा करके बैठ जायें।

श्री बंशीधर पांडेय—

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि 5 सौ रुपये मकान के लिये और हजार रुपये कुयें के लिये आप देंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सरकार द्वारा कुआं बनवावें तो 5 सौ रुपये में कुआं बनवा देंगे। बिलकुल बकवास और बेवकूफी की योजना है और उन अधिकारियों की अकलमन्दी का दिवालियापन है जिन्होंने ऐसी स्कीम को रख दिया। क्या आप पितरों को सीधा बंटवा रहे हैं कि 5 सौ रुपये दे दिया, पांच सौ रुपये में घर तो बन नहीं सकता है। यही नहीं आपने एक स्कीम बना दी कि इतने लाख लोगों को काम मिलेगा।

आपकी एकनामिक स्कीमों में ज्योमेट्रिकल फार्मूला के आधार पर अमीर अमीर होता चला जा रहा है और यह गरीब उसी जियोमेट्रीकल फार्म में उतने ही नीचे गिरते जायेंगे। मैं चैलेंज देता हूं कि कोई इकोनोमिस्ट इस बात को साबित कर दे कि जिस प्रकार की इकोनोमी और सोशल रिफार्म यह सरकार चला रही है उससे जो पहले गैप था अमीर और गरीब का वह नहीं बढ़ रहा है। वह बढ़ता जा रहा है और इसलिये बढ़ता जा रहा है क्योंकि इकनोमी को आपने जियोमेट्रिकल फार्म में रखा है जैसे 2,4,6,8,10। क्या हजार रुपये में कोई कुआं बनेगा। आपके सरकारी विभाग बनाते हैं तो दस हजार खर्च होता है।

दस वर्ष पहले चकिया तहसील में 10 हजार रुपये में कूवें बने। अब आप एक हजार रुपया कुवे के लिये देते हैं। इसका मतलब है कि यह सरकार दिल से नहीं चाहती कि हरिजनों का उत्थान हो। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता। जो उधर के लोग हैं वह भी इसकी निन्दा करें कि हजार रुपये में कौनसा कूआ बनेगा। मेरी तरफ 80 फिट, 90 फिट तक कूवे की गहराई होती है। सात आठ फिट के व्यास की खुदाई में ही एक हजार रुपया खर्च हो जायगा। इसी तरह से 500 रुपये में कौनसा बैल आ जायगा। ढाई तीन हजार रुपये में बैल की जोड़ी आती है। आप पांच सौ रुपया देते हैं। पांच सौ रुपये में वह बैल आयेगा जो दस पांच दिन बाद मर जायगा यानी डांगर बैल ही पांच सौ रुपये में आ सकता है। यह हरिजन विभाग डबल हरिजन विभाग मान लिया गया है। पं0 कमलापति जी इसको अपने पास रखेंगे नहीं। किसी मंत्री के पास से और विभाग काट कर यही विभाग रहने दिया जाय तो वह कहेगा कि मेरे पास कोई विभाग नहीं रहा। किसी को होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी कह दीजिये तो बड़ा बल मिलता है। इस तरह से यह सरकार स्वयं ही एक तरह की हीनता पैदा कर रही है

(लाल बत्ती होने पर।)

मैं केवल पांच मिनट और बोलूंगा। आप बिजली का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपने कह दिया कि हरिजन बस्तियों में बिजली लगायेंगे। दो चार बस्तियों में लग गयी होगी। आपने बिजली में कटौती कर दी। जहां बिजली लगा दी वहां भी रात को अंधेरा रहता है। रोजाना बिजली जाने से कितने ही बल्व फ्यूज हो जाते हैं। आपने बिजली की परिभाषा में कुछ को टाउन घोषित कर दिया है। जो बड़े गांव हैं, जो टाउन घोषित नहीं हैं, वहां बिजली है लेकिन जो जनरल खम्भे हैं उन पर बल्व नहीं लगे हैं। आपने हरिजनों

का अपलिफ्ट किया नहीं, उनकी मजदूरी बढाई नहीं, उनकी गरीबी दूर की नहीं तो वह बल्ब कहां से लायेगा। खाली खंभा गाड़ देने से तो रोशनी नहीं हो जायेगी।

मैं कहता हूं कि उनका सोशल अपलिफ्ट कर दें तो वह अपने आप सक्षम हो जायगा और वह बिजली जला लेंगे। आप अपनी बिजली जलाकर उसके नीचे अंधेरा किया करें तो उससे उनका कल्याण होने वाला नहीं है। जैसा भाई गंगा प्रसाद जी ने कहा आज भी भिक्षुक दौड़ रहे हैं। स्टेशन पर चले जाइये हजार दो हजार अपंग आदमी मिल जायेंगे। उनके लिये गृह क्यों नहीं बना देते ?

जो अपंग हों और काम करने लायक हों उनको कह दें कि काम करो, 2 रु0, 4 रु0 रोज मिलेंगे। आपने सोशल डिसेबिलिटीज ऐक्ट पास किया और छुआछूत निवारण विधेयक पास हो गया। आप इस तरफ के ही लोगों को देखें, हम तो आपकी आंख से ही ठीक हो जायेंगे। सोशल डिस्एबिलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत कितने विधायक जेल चले जायेंगे। यहां बठने वाले चले जायेंगे। वे उसमें विश्वास नहीं करते हैं। माता प्रसाद जी अभी बोलेंगे, हरिजनों में भी इन्होंने मानोपोली कायम कर रखी है। चमार लोग हरिजनों में भी मानोपोली कर लिये हैं दूसरी जातियों पर, जो 36–40 हैं जैसे पासी, मुसहर, कोल। आप उनकी भी नहीं सोचते। 66 अनुसूचित जातियां हैं। एक को छोड़ कर बाकी 65 को महरूम किये हैं। आपको देखना चाहिये कि कैसे अपलिफ्ट हो और उनका समाज में दर्जा कैसे ऊंचा हो। सीट रिजर्व करने से काम नहीं होने वाला है। गांव पंचायत में भी सीट रिजर्व कर दीजिये, लेकिन गंगा प्रसाद जी, सीटों के रिजरवेशन से और पोलिटिकल रिजर्वेशन से पहले इकोनोमिक रिजरवेशन जरूरी है। जब तक उनका आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक वे समाज में ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। आप पंच भी उनको चुन लीजिये। मगर इकोनोमिकली बैकवर्ड हैं तो वहां भी उनको दबा हुआ पायेंगे।

श्री गंगा प्रसाद (गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय पांडेय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उनका रिजर्वेशन हो जाता है तो उनके आदमी वहां पर पहुंच सकेंगे और अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज वहां बुलन्द कर सकेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं रिजरवेशन के पक्ष में हूं, मगर मैं उसे नाकाफी समझता हूं जब तक कि आर्थिक उत्थान न हो। वह तो एक कड़ी है। वह तो आप करें। भारत के संविधान में संरक्षण प्रदान किया है। तो आप सब जगह करिये। दो शब्द और कहे देता हूं।

जिला हरिजन सहायक समितियां बनी हुई हैं। ये जो रुपया बांटती हैं वह बिल्कुल फार्स है। वह सब रुपया दुरुपयोग हो जाता है। अगर मकान, बैल, स्कालरशिप, कुएं आदि के लिये रुपया देना है तो आप एम0एल0 एज0 की एक्सपर्ट कमेटी बनाइये। बैल 3,000 रु0 में मिलते हैं। अगर रुपया देना है तो पूरा दीजिये, लेकिन जो 100,200 रुपये आप देते हैं वह तो वे खत्म कर देंगे और इनसे न मकान बनेगा और न कोई दूसरा ही काम होगा।

एक लाइन और कहूंगा। यह सरकार सबसे ज्यादा हरिजन विरोधी सरकार आजादी के बाद से साबित हुयी है। बांदा से गृह मंत्री आते हैं। पता नहीं क्या उन्होंने हरिजन मार नाम अपना रख लिया है ? बांदा में इनके आदमियों ने, इनकी बिरादरी के लोगों ने और इनके संगी साथियों ने हरिजन मार आन्दोलन चला दिया है। बांदा में ही नहीं, शाहजहांपुर, बहराइच, वाराणसी, इलाहाबाद में यह सब हो रहा है। अभी गोंडा का भी

[श्री बंशीधर पांडेय]

जिक्र हुआ। दरोगा की रिपोर्ट होती है कि आपसी मारपीट हुई थी और वह कह कर ये निकल जाते हैं। कठिनाइयां हैं, अपनी जगह पर हैं। मैं, मान्यवर, पूरी चुनौती के साथ कहता हूं कि जितने हरिजनों के साथ अत्याचार इस सरकार के जमाने में हुए हैं, ठंडे दिल से गंगा प्रसाद जी उनकी लिस्ट ले कर आयें और मुझ से बात करेंगे तो पायेंगे कि उससे ज्यादा अत्याचार कभी नहीं हुए। जब इस सरकार को ठोकर मार कर हटा देंगे तभी हरिजनों-का कल्याण होगा।

श्री देव राम (जिला गाजीपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं आपने इस महत्वपूर्ण अनुदान पर विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कुछ सुझाव देता हूं।

यह अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों पर होने वाले व्यय के सिलसिले में धनराशि दी जाती है। जैसा कि श्री बंशीधर पांडेय ने कहा यह धनराशि अत्यन्त कम है। कोई भी हरिजन अपना मकान 100 रुपये में नहीं बनवा सकता है। 500 रुपये में शायद एक मामूली सा बल तो लिया जा सकता है और दूसरे के लिये किसी से साझा किया जा सकता है लेकिन मकान तो नहीं ही बनाया जा सकता है। आप जिसको यह अनुदान दें उसको आत्मनिर्भर बनाने का यत्न करें। ऐसी स्थिति में यह जो योजनायें चल रही हैं उनके द्वारा जो अकुशल कारीगर हैं उनको कुशल कारीगर बनाइये। इस समय तो हालत यह है कि आई० टी० आई० से ट्रेनिंग पाये हुये लोग भी धन की कमी के कारण सरकारी सेवाओं की ओर दौड़ रहे हैं। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में सरकार अरबों रुपया व्यय कर रही है। यह विभाग अनुत्पादक स्कीमों पर रुपया लगा रहा है। यह कोआपरेटिव बैंक के जरिये कुशल कारीगरों को धन की व्यवस्था करे जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। उन्हें 2,000 से 5,000 रुपये तक की धनराशि बिना किसी जमानत दी जानी चाहिये। यह रुपया उन कुशल कारीगरों को दिया जाय जिनकी कार्य करने की क्षमता हो। यह रुपया उनसे 10 वर्ष तक वसूल किया जाय। जब तक आप इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे यह लोग आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे।

शिक्षा के बारे में आचार्य जुगलकिशोर हरिजन योजना मूल्यांकन समिति गठित की गई थी। इसने 66 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसकी 308 सिफारिशें हैं। इसमें छात्र-वृत्तियों के बारे में लिखा है कि जो दर 15,20 साल पहले थीं वही आज भी हैं। आज भी इसका पालन नहीं हो सका है। हर कर्मचारी के वेतन-भत्ते बढ़ गये हैं लेकिन विद्यार्थियों को जो छात्रबत्ति 15, 20 साल पहले दी जाती थी वहीं आज भी दी जा रही है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। दूसरी समस्या रोजगार की आती है। उसमें यह सिफारिश है कि हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के लड़के बी० ए०, इंटरमीडिएट आदि पास करके बेरोजगार घूम रहे हैं।

माननीय सदस्यों के पास भी हरिजन लड़के नौकरी के लिये आते होंगे। लेकिन लिपिक वर्गीय सेवाओं के लिये उन्हें शार्टहैंड और टाइप सीखना आवश्यक होता है इस वजह से ये सरकारी सेवाओं में नहीं लिये जाते हैं। आचार्य जुगुल किशोर समिति ने एक संस्तुति की है कि प्रदेश

तपर एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला जाय जहां हरिजन छात्रों को शार्टहैंड और टाइप की एक साल की ट्रेनिंग दी जाय और उन्हें सेक्रेटेरियट वगैरह में काम करने के लिये भी प्रशिक्षण दिया जाय। इसके अलावा जिलों में जहां कहीं भी अच्छी संस्थायें हैं जिनमें शार्टहैंड और टाइप की शिक्षा दी जाती है उनमें हरिजन छात्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय और उनको छात्रबृत्ति भी दी जाय।

कांस्टेबिल की भर्ती के लिये भी पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। मैं चाहता हूं कि सभी कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स पर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि 8वां पास हरिजन लड़कों को दो या तीन टर्मिनल में प्रशिक्षित करके पुलिस की सेवाओं में अवसर प्रदान किया जाय।

जहां तक सर्विसेज का सवाल है, राधाकृष्ण अग्रवाल समिति का जिक्र माननीय राम सागर जी ने कई बार किया। इसकी कुछ सिफारिशों को सरकार ने कार्यान्वित भी किया है। श्रेणी तीन में 25 प्रतिशत और श्रेणी 4 में 45 प्रतिशत और अन्य में 18 प्रतिशत हरिजनों का आरक्षण जब तक पूरा नहीं होता तब तक के लिये शासन द्वारा बहुत से आदेश प्रसारित किये गये। यह उस समिति की एक संस्तुति थी। टेम्पोरेरी और कैजुअल वैकेन्सीज में भी आरक्षण प्रदान किया जाय। इस तरह से कई संस्तुतियों को शासन ने मान लिया है और सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के पास इस प्रकार के आदेश भेज दिये गये हैं।

दुःख की बात है कि ये अधिकारी अब भी हरिजनों से संबंधित आदेशों को नहीं देखते हैं और न उन्हें कार्यान्वित करने का कोई प्रयास करते हैं। राधाकृष्ण अग्रवाल समिति का सदस्य होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था और मैं कई जगहों पर गया था। एग्रीकल्चरल डाइरेक्टोरेट में भी गया था। वहां के अधिकारियों को यह पता नहीं था कि 18 परसेंट रिजर्वेशन है या 10 परसेंट रिजर्वेशन है। अधिकारियों को कोई भी जानकारी नहीं है कि क्या क्या आदेश शासन द्वारा जारी होते हैं। इन जातियों की भर्ती के लिये। यदि किसी साल उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो अग्रेतर वर्षों के लिये वह वैकेन्सीज सुरक्षित की जाती हैं। हरिजन विभाग के एक आरक्षण निर्देशिका छपवाई है जिसमें सारे आदेशों का संकलन है। मैं चाहता हूं कि उसकी प्रति प्रत्येक विभागाध्यक्ष को बांट दी जाय।

20 अप्रैल, 1972 को शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि नियुक्ति अधिकारी, यदि अनुसूचित जातियों का आरक्षण करने में तत्परता नहीं दिखलाता है तो उनकी चरित्र पंजिका में उदासीनता सम्बन्धित प्रविष्टि कर दी जाय। यह आदेश पहले 1969 में जारी हुये, उसके बाद 20 अप्रैल, 1972 को फिर उन्हीं आदेशों को दोहराते हुए रिमाइन्डर ईश्यू हुआ जिसमें लिखा है कि "वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 की वार्षिक प्रविष्टियों को देखने से पता चलता है कि प्रविष्टि कर्त्ताओं के द्वारा उक्त आदेशों का पालन नहीं किया गया है और अधिकतर अधिकारियों को इस प्रकार की प्रविष्टि नहीं दी गयी है। इससे स्पष्ट है कि इन कार्यों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति अत्यन्त असंतोषजनक है। अतः शासन ने यह निश्चय किया है कि सत्य निष्ठा संबधी प्रमाण-पत्र की भांति इस कार्य के लिये उत्तरदायी अधिकारियों की चरित्र पंजियों में निम्नलिखित रूप से एक प्रमाण-पत्र अंकित करना आवश्यक होगा और यदि किसी अधिकारी को इस संबंध में उदासीन पाया जाये तो प्रविष्टि में तदनुसार उल्लेख किया जाना चाहिये. ." इस रिमाइन्डर के बाद भी उदासीनता बरती जा रही है तो इसी कारण से अधिकारी इस संरक्षण को पूरा करने में तत्परता नहीं दिखा रहे हैं।

मैंने पहले भी 100 विधायकों के हस्ताक्षरों द्वारा एक प्रत्यावेदन माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था जिसमें यह मांग की थी कि सर्विसेज में तथा दूसरे विभागों में इस आरक्षण को पूरा करने के लिये जो अधिनियम आदि बने हैं उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है, इस सब की जांच करने के लिये दोनों सदनों की एक समिति गठित की जाय जो सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट द्वारा गठित की जाय और उसका चेयरमैन माननीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत हो। इस प्रकार की एक समिति पार्लियामेंट में भी है जो स्वर्गीय गोविन्द मेनन के प्रस्ताव पर सन् 1968 में गठित की गई थी। यह प्रस्ताव 30 नवम्बर, 1968 को पारित किया गया था। तब से लगातार यह कमेटी अपना काम कर रही है। मैंने उसकी 13 या 14 रिपोर्ट्स को देखा है, यहां लाइब्रेरी में। हो सकता है उसके बाद भी और पेश की गयी हों। श्री गोविन्द मेनन ने एक पत्र भी 26 अप्रैल, 1969 को सभी राज्यों के लिये लिखा था जिसमें यह मांग की थी कि इस प्रकार की समिति

[श्री देवराम]

सभी राज्यों में गठित की जानी चाहिये । यही नहीं पार्लियामेंट में एक माननीय सदस्य ने 10 मार्च को प्रश्न भी किया था जिसके उत्तर में वहां के मिनिस्टर आफ स्टेट फार ला एन्ड सोशल वेलफेयर ने कहा था कि मैसूर राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मनीपुर ने इस तरह की कमेटी सेट अप करने के लिये एग्री कर लिया है । इसका अर्थ यह है कि इस राज्य ने केन्द्र को लिखकर भेजा होगा कि सरकार ऐसी कमेटी बनाने के लिये तैयार है। मैं चाहता हूं यह सरकार ऐसी समिति शीघ्र गठित करे ।

इसके अ..ावा इस समिति को यह अ..ार प्राप्त हो जायेगा कि वह हर सेक्रेटरी को समिति के समक्ष बुलाकर पूछ सकेगी कि उसके विभाग में जितने स्थान रिक्त हैं उनकी पूर्ति इन लोगों मे से क्यों नहीं हो सकी तथा उनके विभाग में जितने भी रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति साल भर के अन्दर किस प्रकार की गयी कितनी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी वहां उपस्थित हुए, ये सारी बातें छानबीन करके सदन में अपनी रिपोर्ट, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । इसका अधिकार पी० ए० सी०, एस्टीमेट कमेटी के अनुसार होगा ।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह मुख्य मंत्री जी से मिलकर इस कमेटी का जो कमेटी आज वेल्फेयर आफशेड्यूल्ड कास्ट्स एन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पैटर्न पर हो, हमारे सदन या दोनों सदनों की एक समिति का प्रस्ताव द्वारा निर्माण करावें । अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात आदिवासियों के बारे में कहना चाहता हूं । हरिजन कल्याण विभाग की जो पुस्तिका बंटी है, जिसमें जनजातियों के संबंध में 5 जातियों का जिक्र किया गया है, जो कि सन् 67 में प्रेसीडेन्ट आफ इंडिया द्वारा घोषित की गई हैं, उसमें थारू, भोगसा, भोटिया, राजी और जौनसारी जाति का नाम है । उनके संबंध में एक रिपोर्ट मेरे पास उस संबंध में जो जांच हुई उसका प्रतिवेदन मेरे पास है, जिसके अध्यक्ष वर्तमान हरिजन कल्याण मंत्री, श्री आर्य जी थे और उसमें सदस्स के रूप में श्री गूलाब सिंह और श्री नरेन्द्र सिंह जी भन्डारी थे । इसके टर्म्स आफ रेफरेंस से मैं उसका सातवां पैरा पढ़ रहा हूं ।

"जौनसार-बावर और रंवाई-जौनपुर क्षेत्र के कोल्टा और अन्य हरिजन अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में रहते हैं । वेश्यावृत्ति, कन्या-विक्रय, बाल विवाह जसी बुराइयों से पीड़ित होने के अतिरिक्त यह लोग आर्थिक रूप से इस क्षेत्र के सवर्णों पर पूर्ण रूप से आश्रित हैं और मात्र एक प्रकार की दासता अथवा सूद पर सवर्णों का कार्य करते हैं । अतः क्षेत्र के पिछड़पन के कारणों को विस्तार से ज्ञात करने और उनका शीघ्रता से निराकरण करने के लिये सरकार ने इस कमेटी का निर्माण किया ।" श्रीमन्, इसमें देखें कि जौनसारी जाति का कहीं नाम नहीं है जिन जन जातियों का जिक्र किया गया है, जो पिछड़ी हुई हैं, व जातियां हैं कोल्टा और उनकी उप जातियां कोली, कोई, चमार, बाड़ी तथा डोम के अतिरिक्त इस क्षेत्र में बढ़ई, नाथ (जोगड़ा), लोहार, सुनार, ओजी, बाजगी, हुड़किया (बाजगी), मिस्त्री (बढ़ई), रूरिया (टोकरी बनाने वाले), टमोटा (बर्तन बनाने वाले), ढ़ालिया, चूड़ा, ओड़ (बढ़ई), कुम्हार, परि, बेड़ा, झूमरिया, चुनार तथा अन्य हरिजन जातियां पायी जाती हैं । आप देखें कि इसमें जौनसारी जाति का कहीं जिक्र नहीं है ।

इन जातियों की, कोल्टा की हालत बहुत ही खराब है, वे दासता का जीवन बिता रहे हैं । बहुत कुछ जो मैंने रिपोर्ट से पढ़ा है उससे स्पष्ट हो गया होगा । यहां एक ऐसा भी कोल्टा जाति का व्यक्ति मिला जो अपने पितामह के समय से सूद के एवज में सवर्ण के यहां काम करते हैं । जौनसारी जाति का नाम जोड़कर रख दिया है । जौनसारी का नाम रखकर उस अधिकारी ने प्रेसीडेन्ट महोदय को धोखा दिया है । इसके लिये जांच कराई जाय और यह जौनसारी जाति यदि वहां न पाई जाए तो उस अधिकारी को सख्त से सख्त सजा दी जाय । क्योंकि उनके नाम पर दिया जाने वाला पैसा ये सवर्ण जाति के सारे लोग ले लेते हैं । अपनी जानकारी से, रिपोर्ट के आधार पर और दूसरे भी ढंग से यह बात अपनी जगह पर स्पष्ट है कि जौनसारी नाम

की वहां काइ जाति नहीं है। जौनसार एक एरिया का नाम है और उसी के बहाने से अधिकारी ने धोखा देने का प्रयास किया है, जिससे जौनसार क्षेत्र के सवर्णों को नाजायज लाभ प्राप्त हुआ है। जौनसारी जाति को, अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालने की व्यवस्था की जाय। मैं इन चन्द सुझावों के साथ प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं और मैं माननीय राम सागर जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलना चाहता हूं और उसी संदर्भ में कुछ निवेदन भी करूंग मान्यवर, आप देखें इन 25 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई शासन दल के द्वारा उसका पूरा-पूरा श्रेय कांग्रेस को रहा है। 25 वर्ष से लगातार किसी न किसी रूप में, बीच में 1, डेढ़ साल संविद की सरकार रही हैं, लेकिन पूरा-पूरा दायित्व कांग्रेस पर रहा है। मुझे दुःख यह होता है कि रिजर्व कांस्टीटुएंसी से आने वाले सदस्य कुछ और कहने के बजाय कुछ और कह देते हैं। उनके सामने टिकट का डर है। अगर उनके सामने टिकट का डर न होता तो ऐसी बात नहीं कहते। जो अनुदान हरिजन कल्याण विभाग को दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता।

माननीय राम सागर ने गोरखपुर के संबंध में अक्षरशः सत्य बातें कही हैं। मैं उस जिले का निवासी हूं। 1972 के सत्र में मैंने एक प्रश्न पूछा था। भारतीय दंड विधान की धारा 409 और 420 के अन्तर्गत गोरखपुर के हरिजन और समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने मुकदमें दर्ज कराये गये। उसमें किन-किन का नाम था? उसमें उत्तर आया था कि श्री रामसूरत प्रसाद एम0 पी0, उसके साथ एम0 आर0 डी0, इंटर कालेज, फरेंदा, के प्रधानाचार्य और प्रबन्धक शर्मा का नाम आया। उस रिपोर्ट पर जांच साधारण पुलिस कर रही है। मुझे सूचना मिली है कि एक दिन पुलिस जांच में गई तो 1 एम0 पी0 साहब की औरत ने कहा भागो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि यदि आप में साहस है तो आप इसकी बिजिलेंस से जांच करवायें और जब से वह हरिजन सहायक संघ के अध्यक्ष या मंत्री रहे हैं तब से पूरा-पूरा विवरण आ जाय। उनके घर में एक होस्टल चल रहा था। जो लड़के हरिजन उसमें आते थे दस बजे के पहले बिजली काट दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि उसके बाद बिजली नहीं दी जायगी जब कि परीक्षा के समय में छात्र जब चाहते हैं तब पढ़ते हैं। इसके साथ-साथ गोरखपुर में छात्रवृत्ति ली है अपनी आमदनी कम दिखाकर अपने लड़के के नाम लिया है। ये सारी व्यवस्थायें वर्तमान हैं। इसके साथ साली और रिस्तेदारों का फर्जी ढंग से स्कूलों में प्रवेश दाखिला का पैसा लिया है।

आजकल मैंने सुना है, आपका किशमिस बादाम कहिये जिसे चना कहते हैं, उसका नाम आपने रख दिया है, वह चना शहरों में देते हैं। उसमें उनके ससुर चार दुकाने लेकर चला रहे हैं। यह व्यक्तिगत आक्षेप का प्रश्न नहीं है। यह आम चर्चा का विषय बना हुआ है।

मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि वह इसकी जांच करावायें। श्री आर0 के0 सिंह, हरिजन कल्याण अधिकारी ने अपने साले के नाम एक फर्नीचर की दूकानें खोल रखी है। हरिजन होस्टलों में जो फर्नीचर सप्लाई होता है सड़ी गली पटरियां होस्टल में चली जाती हैं और उसका बिल बहुत ऊंचे दाम से आता है। इसी प्रकार आश्रम टाइप के जो विद्यालय हैं, जैसे विष्णुपुरी में, बड़ी अनियमिततायें हैं। लड़कों के लिये वहां जो तेल, साबुन आता है वह उनको नहीं दिया जाता है। वहां बड़ा गोलमाल हो रहा है। मैं इतना कहकर आपसे चाहता हूं कि यह जो जोर शोर की चर्चा है अगर आप में साहस हो तो जांच करवायें।

मैंने तो इस विषय में एक पत्र मुख्य मंत्री, हरिजन समाज कल्याण एवं प्रधान मंत्री तक को लिखा लेकिन उसका एकनालेजमेंट तक नहीं आया। आपने हरिजनों के लिये जो आयोग बिठाया है वह आगे चलकर सार्थक सिद्ध नहीं होगा। आपके सामने ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं। यादवेन्द्र सिंह के काले कारनामें आपके सामने रखना चाहता हूं। होली के दो दिन पहले एक हरिजन धोबिन की लड़की को उनके भाई अथवा भतीजे ने दिन दहाड़े हत्या कर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब मैंने गोरखपुर के एस0 पी0 तथा आई0 जी0 को

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

सूचना दी तो यह घटना हरिजन बालिका की हत्या का रहस्य गांडीव में छपा तथा आज के स्वतंत्र भारत में छपा । जब मैंने एस0 पी0 को 24 तथा 31 मार्च को फोन किया तो यह स्थिति उत्पन्न हुई ।

इस तरह से सत्तारूढ़ दल के लोग जो जिम्मेदार पदों पर हैं हरिजनों व अल्प संख्यकों के साथ अन्याय तथा अत्याचार कर रहे हैं और उनके साथ न्याय करने की बात केवल दिखावामात्र है । जो हाई स्कूल अथवा इंटर में छात्रवृत्तियां दी जाती हैं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लड़कों के दस्तखत होने के बाद उनको रसीद नहीं दी जाती और दो-तीन महीने का वजीफा अनेक फंडों के नाम पर ले लिया जाता है और अपनी जेबें भरी जाती हैं । जो इस तरह के वे वजीफे दिये जायं मेरा निवेदन है कि वे उन छात्रों के गार्जियन के नाम से उनके स्थायी पते पर भेजे जायं ताकि उनको पूरा रुपया मिल सके ।

इसी तरह से बड़हलगंज का छात्रावास है, उसमें जिसका वह मकान है उसको पैसा नहीं मिल पाता है । सत्तारूढ़ दल के जो प्रतिनिधि हैं वे ब्लैकमेल से रुपया ले लेते हैं और जिसका मकान है उसको नाम मात्र को रुपया मिल पाता है । लड़कों को भी वहां से निकाल दिया गया और वह इधर उधर भटकते हैं ।

यही नहीं अगर आप सीलिंग में जमीन की बात देखें तो कोई सही पट्टा नहीं हुआ, वह केवल कागज पर हुआ है और मौके पर कब्जा किसी और का ही मिलेगा । इसी तरह के चकबन्दी में बकिया जमीन को बाग में अथवा शामिल खेत में दिखा दी गई है । 25 वर्षों में हरिजन विभाग में हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हो सका है । 15 अगस्त, 1973 को एक भूतपूर्व कांग्रेस मंत्री के यहां मीटिंग हुई । हरिजनों के कोटे की बात कही गयी तो यह उत्तर दिया गया कि हरिजनों के लिये मत लड़ो वर्ना तुम्हारा टिकट कट जायगा आर्य साहब का नाम भी उसमें आया था ।

इस तरह से मनोबल को गिराया जाता है । आज भी जो हरिजन अनुदान दिये जाते हैं उनके नाम क्या हैं सुअर पालन, बकरी पालन तथा चमड़ा उद्योग, आप चमार ही बनाये रखना चाहते हैं । अगर बाटा की एजेंसी देनी है तो किसी पूंजीपति को दे देंगे और जूते के नाम पर 500 रुपये का अनुदान दे देंगे । इससे उनका हित होने वाला नहीं है । आपको दृढ़ता के साथ कदम उठाना होगा तभी आप कामयाब हो सकेंगे । खाली भाषण देने से काम चलने वाला नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, अस्पृश्यता की बात कही जाती है । कई स्थानों पर हरिजन अध्यापक हैं, उनको पानी पीने के लिये जल पात्र तक नहीं हैं और सवर्ण जाति के अध्यापकों के पास गिलास वगैरह होते हैं । लेकिन हरिजनों के लिये कोई व्यवस्था नहीं । इसका कारण यह है कि आप ने अस्पृश्यता का नाम तो ले लिया है लेकिन उसके निवारण के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं । चौधरी साहब 1970 में मुख्य मंत्री थे तो हरिजनों के लिये कोटा निर्धारित कर दिया गया था और आप लोगों की भी कृपा थी लेकिन सहकारी समितियों में भी इनका प्रतिनिधित्व रखा जाये ।

प्रदेश के हर गांव में जो ऊसर भूमि थी उसमें से हरिजनों का एक धोबी वर्ग है वह वहां से रेह कपड़े धोने के लिये लेता था । शहरों में तो सोडा वगैरह मिल जाता है । ऊसर बंट जाने के कारण इनकी स्थिति खराब हो गई है । इसलिये इनको अनुदान दिया जाय । 6 महीने के बाद इनको पारिश्रमिक मिलता है जब रबी और खरीफ की फसल आती है ।

मेरे क्षेत्र में एक गांव है चितारी वहां के 30 हरिजन परिवार राप्ती की धारा से कटकर चले गये हैं और वे बांस के नीचे छप्पर डाले पड़े हुए हैं । उनकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इसी के साथ-साथ नौकरियों में जो प्रतिशत रखा है उसको कभी पूरा नहीं किया जाता है । कोई जगह खाली होती है तो उसमें मेहतरों का प्रतिशत भी जोड़ दिया जाता है । यह गलत

चीज है। मेहतरों का कार्य और कोई नहीं कर सकता है। उनका प्रतिशत इसमें नहीं जोड़ना चाहिये। प्रथम श्रेणी नौकरियों में एक प्रतिशत भी इनका पूरा नहीं हो पाता है। जब तक इनका कोटा फोर्थ क्लास इम्पलाइज का पूरा न हो जाये तब तक अन्य लोगों को भर्ती बिलकुल न किया जाय। यदि आप ऐसा करेंगे तभी इनका कोटा पूरा हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(इस समय 4 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत से हमारे साथी बोलना चाहते हैं। इसलिये 2 घंटे का समय बढ़ा दिया जाय। मैंने मंत्री जी से भी कहा था और उन्होंने एग्री कर लिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि मंत्री जी तैयार हैं तो उधर से प्रस्ताव आना चाहिये।

श्री रामप्यारे—

मैं 2 घंटे बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। मंत्री जी को कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी बतायें कि वह अपने उत्तर में कितना समय लेंगे, उसके बाद बेगम साहिबा बोलेंगी।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

15 मिनट हमें दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

समाज कल्याण मंत्री जो भी बोलेंगे, इसलिये जब तक मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव न आये मैं समय नहीं बढ़ा सकता। विधान सभा की एक कार्यपद्धति है और जब तक सरकारी पक्ष बहुमत में है और वह चाहता है तो उसके लिये मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव नहीं आता तब तक किस तरह से विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाय उसी तरह से मैं आप के कहने से नहीं बढ़ा सकता।

श्री रामप्यारे—

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 2 घंटे का समय आज बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप समझ लें कि अगर कोरम नहीं होगा तो बजट पास नहीं होगा और आज वली चर्चा का दिन है, 4 दिन को सदन उठ रहा है, कोरम न होने पर बजट पास होने से रह जायगा।

*श्री राम सागर—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि आज की इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लिया। जितने भी माननीय सदस्य इस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम सागर]

बोले हैं उन सभी ने हमारे प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनके शब्दों में चाहे भले ही कुछ अन्तर रहा हो लेकिन सभी की भावना एक समान ही थी। सभी ने महसूस किया कि 25 साल के स्वतंत्रता के इतिहास में हरिजन और विमुक्ति जातियों का जो उत्थान होना चाहिये था, वह नहीं हो सका है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस दिशा में वह सही तौर पर मजबूत कदम उठाये और जिन नीतियों को वह निर्धारित करें उनका कार्यान्वयन भी वह सभी ढंग से करायें जो अनुदान हरिजनों के लिये दिये जाते हैं उनका वितरण और उपयोग सही ढंग से होना चाहिये।

अभी हमारे साथी माननीय फिरंगी प्रसाद जी विशारद कह रहे थे कि गोरखपुर की एक हरिजन महिला को यहां के एक राज्य मंत्री जी के भतीजे ने गोली से मार दिया। वह धोबी की लड़की थी। इसी विधान सभा के सामने 15 दिन तक बेगार और अत्याचार के विरुद्ध कुछ लोगों ने भूख हड़ताल की थी लेकिन उसके बाद भी यह गोरखपुर का कांड आप ने सुना एक तरफ हम कहते हैं कि हरिजनों का कल्याण होना चाहिये और दूसरी ओर उनसे बेगार ली जाती है और उन पर ऐसे-ऐसे अत्याचार किये जाते हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप दल के लोगों को ही समझा दीजिये, अगर रक्षक ही भक्षक का काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा और किस तरह से आप हरिजन कल्याण कर सकेंगे ?

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

आपके दल के ही लोग वोट नहीं देने देते हरिजनों को उनको समझा लीजिये।

श्री राम सागर--

हमारे दल का ऐसा कोई एक भी उदाहरण दीजिये।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

लगातार आरोप लगे हैं कि बी0 के0 डी0 के लोगों ने पश्चिमी जिलों में हरिजनों और दूसरे लोगों को वोट नही डालने दिया।

श्री राम सागर--

आप क्या कहते हैं, आपके खिलाफ तो भूख हड़ताल भी हुई थी। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस प्रशासन आपका इतना ढीला है कि कोई रिपोर्ट लिखाने जाय जैसे आज ही बांदा की बात चली थी कि थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई।

आप पुलिस मंत्री जी से आग्रह कीजिये कि वे पुलिस प्रशासन को आदेश दें कि अगर हरिजनों के खिलाफ कोई कार्यवाही होती है और वे थाने में जाते हैं तो तुरन्त उनकी रिपोर्ट लिखकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही करें। हमारे राज्य मंत्री के भतीजे की बात तो अखबार में छपी है कि उन्होंने एक हरिजन की बालिका को गोली से उड़ा दिया। यहां पर एक सुझाव दिया गया कि नौकरियों में उनका रिजर्वेशन पूरा किया जाय लेकिन मेरी तो यह प्रार्थना है कि उनका आर्थिक हालत में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। जिस प्रकार से आबादी के लिहाज, कागजी रिजर्वेशन तो होता है, व्यावहारिक रूप में नहीं हो पाया है, से रिजर्वेशन होता है, उसी प्रकार से आर्थिक रिजर्वेशन भी होना चाहिये। केवल हवाई किले खड़े करने से काम नहीं चलेगा।

सरकार ने निर्णय लिया है रिजर्वेशन का प्रमोशन का लेकिन जब तक यहां पर सचिवालय में एक सेल कायम न किया जाय और वह यह देखे कि प्रमोशन और रिजर्वेशन ठीक से हो रहा है या नहीं, तब तक आप किसी भी प्रकार का कोटा पूरा नहीं कर सकते हैं। यहां तक देखने में आया है कि अगर कोई हरिजन अधिकारी, हरिजनों के उत्थान की बात सोचता भी है, उसके विरुद्ध 2-3 साल तक एडवर्स एन्ट्री कर दी जाती है। इसकी ओर भी जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है। माननीय देवराम और माननीय विशारद जी ने कहा और ठीक ही कहा कि 1953 में जो हरिजनों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, हालांकि महंगा है तब से आज तक 5-6 गुनी बढ़ गई है लेकिन आज भी वही दी जाती है। यहां तक भी देखने को मिला है कि प्रदेश के हर कालेज में 2-3 माह को छात्रवृत्ति मैनेजर और प्रधानाचार्य,

लड के से दस्तखत कराकर हजम कर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जो स्कालरशिप उनको स्वीकार होती है वह उनके पास सही सही ढंग से पहुंच जाय और या तो वह मनीआर्डर के द्वारा या चैक प्रणाली से उनके पास जाया करे ताकि मैनेजर और प्रधानाचार्य उनके स्कालरशिप को हजम न कर पायें।

हमारे भाई गंगा प्रसाद जी ने हमारे दल के प्रति कहा कि जनसंघ वाले छुआछूत और जाति पांति मानते हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय त्रिपाठी जी हमसे भी कट्टर हैं। अगर उनके दल में यह भावना होती तो मैं पहला व्यक्ति होता जो उनके दल को छोड़ देता। हम में आत्म विश्वास, साहस और बलिदान की भावना है और जिसमें ये 3 चीजें होत हैं, उसको न जाने क्या हो जाता है।

श्री जगदम्बा प्रसाद--

आपका जो हरिजन सम्मेलन होता है उसमें क्या हरिजन लोग किसी दूसरी शैड्यूल्ड कास्ट, जैसे भंगी वगैरह हैं, पासी हैं, उनके पास खाना खाने का आप विरोध नहीं करते हैं?

श्री रामसागर--

अपने दामन में लगे दागों को देखकर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना मुनासिब नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष--

जो सवाल है माननीय जगदम्बा प्रसाद और माननीय राम सागर के बीच ज्यादा संदेह माननीय जगदम्बा प्रसाद को ही होगा।

श्री रामसागर--

माननीय जगदम्बा प्रसाद जी की बड़ी कृपा होगी, यदि वे अपने में सुधार ला सकें, ताकि हरिजनों का कल्याण हो सके।

मैं और अधिक न कहकर, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कटौती का प्रस्ताव हमारे द्वारा किया गया है या जो अन्य माननीय सदस्यों द्वारा या सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा सुझाव दिय गये हैं और जिन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उनकी तरफ वे अपना पूरा-पूरा ध्यान देंगी, ताकि हरिजनों की समस्याओं का निराकरण हो सक।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्रीमती बेगम हमीदा हबीबुल्ला)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि अभी हमारे भाई राम सागर जी ने कहा हरिजन विभाग ऐसा विभाग है जो सारी राजनीति, सारे समाज के काम व सारे वसूलों की जड़ है। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं। जो मजबूर वर्ग हैं, चाहे वे नेचुरल केलेमिटी की वजह से हों या समाज की गन्दगी की वजह से हों। उनकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान दिया जाय, यह मैं समझती हूं कि सभी की दिलचस्पी की चीज है और इसमें सभी को गौर करना चाहिये। आपने भिक्षुकों की बात बताई। मैं बताती हूं कि समाज कल्याण विभाग न केवल भिक्षुकों की देखभाल कर रहा है, बल्कि यह अंधों की देखभाल, बहरों की देखभाल, लूले-लंगड़ों की देखभाल, गूंगों की देखभाल और समाज के जितने भी कमजोर वर्ग हैं, उन सभी की दखभाल करने की कोशिश कर रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सब माननीय सदस्यों से बताना चाहूंगी कि उन सब के लिये काम अलग अलग छोटी-छोटी इंस्टीट्यूशन्स में रहा है। लेकिन इन भिक्षुकों, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े और विक्षिप्तों की संख्या इतनी है कि अगर हम सबकी देखभाल करना चाहें, तो वह मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास साधन की कमी है। हम सारे भिक्षुकों की देखभाल नहीं कर सकते हैं और इसलिये ऐसा ऐक्ट लाने में देर हो रही है, क्योंकि जब तक उनके रहने, ट्रेनिंग और देखभाल का पूरा इंतजाम न हो, किसी ऐक्ट को लागू कर, उन्हें कहां बन्द कर दिया जाय या कहां भेज दिया जाय?

[श्रीमती बेगम हमीदा हबीबुल्ला]

विधवाओं को पेन्शन के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास अप्लीकेशन्स आना शुरू हुईं तो पता चला कि उनमें बहुत सी विधवायें ऐसी भी हैं जिनके बच्चे 4/4–5/5 सौ तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने सोचा कि जब सरकार से विधवाओं के लिये पेंशन मुकर्रर हो रही है, तो क्यों न अपनी मां के लिये भी कुछ मिल जाय। लेकिन इसके अलावा ऐसी भी दरख्वास्तें आई हैं, जिनको मैंने अपनी आंख से देखा है कि जिनके 4/4–5 बच्चे हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की हजारों दरख्वास्तें आई हैं। अगर उन सबको एक रुपया भी दिया जाय, तो जितना धन हमारे पास उपलब्ध है, उससे वह पूरा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि कम से कम 30 रुपये माहवार का इंतजाम हो जाय, हरेक के लिये। इसलिये हम उन हजारों दरख्वास्तों में से केवल 2,411 को ही दे पाये हैं। तय यह किया गया है कि जिनकी आमदनी जीरो है, उनको ही पहले दें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हजारों की तादात अंधे आदमियों की है, इस प्रदेश में, जिनको हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जो अच्छा काम करते हैं, हम देखते हैं कि उनके कामों को बेच सकते हैं जैसे 'केन' का काम है, कुर्सी का काम है, इसके अलावा उपाध्यक्ष जी, कुछ काम जैसे बाजे का काम है, म्यूजिक का काम है, वह लोग आंखों वालों से शायद अच्छा कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम अंधों की आंखें बन जायं, बहरों के कान बन जायं और गूंगों की जबान बन जायं, लेकिन मजबूरी यह है कि इसके लिये धन की जरूरत है .....

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मंत्री जी को शिकायत है कि धन की आवश्यकता है, तो मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा कि आजकल करोड़ों रुपये चुनाव में व्यय हो रहे हैं, अगर उन खर्चों को कानूनी बंदिश लगाकर कम कर दिया जाय तो उसकी बचत से विधवाओं को पेंशन मिल जायेगी। हालांकि 35 हजार की सीमा है, लेकिन यह समाजवादी सरकार खुद ही धन का अपव्यय कर रही है। मेरा तो यह भी सुझाव है कि कांग्रेस के फंड का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो काफी धन मिलेगा। इस सुझाव पर भी गौर कर लें।

श्रीमती बेगम हमीदा हबीबुल्ला—

माननीय सदस्य के सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

(हंसी)

मैं तो आपसे प्रार्थना करती हूं कि जो जो परेशानियां हों, दिक्कतें हों, शिकायतें हों और सुझाव हों, उन्हें आप मुझे दें दे उसमें छानबीन कर हम देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो सकता है। यह सही बात है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिये, सबको बराबर से धन मिलना चाहिये। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनको धन नहीं मिलता है वहीं शिकायत करता है। मेरे पास सुबह रोज 300–400 विधवायें आती हैं, मैं उनको समझाती हूं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी हैं। यह केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है कि बल्कि हमारे विरोधी दल के जितने भाई हैं, सबकी जिम्मेदारी है, सबको मिल-जुलकर इस मुसीबत को दूर करना है, और उसको दूर करने के लिये आप सुझाव देंगे तो उससे ज्यादा धनराशि आयेगी और हम उन कमजोरियों को दूर कर सकेंगे जिनके बारे में शिकायत है।

मैं मानती हूं कि जगह-जगह पर कमजोरियां हैं, कुछ ऐसी गलत बातें हैं, लेकिन हमें उनको दूर करना है। हमें एफीसिएंसी लाना है, हमें मजबूती लाना है, हम सबको ईमानदारी से मिलकर, चाहें वह सरकारी कर्मचारी हों या अधिकारी या नेता हों, इस तरह से काम करना है कि जो दुखी हैं, मजबूर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचा सकें। मैं इन चन्द शब्दों

के साथ आप सबको शुक्रिया अदा करती हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन पर विचार किया जायेगा और आइंदा मैं उम्मीद करती हूं कि आप कन्स्ट्रक्टिव सुझाव देते रहेंगे और उनके आधार पर दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जायेगी। मैं एक कमजोरी को दूर नहीं कर सकती। लेकिन मैं यह मानती हूं कि गरीबी और अमीरी का, ऊंच नीच का भेद नहीं होना चाहिये लेकिन मुझे भगवान ने जहां पैदा कर दिया है उसमें मैं परिवर्तन नहीं ला सकती। इन शब्दों के साथ मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यबाद।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उपाध्यक्ष जी, हरिजन कल्याण के अनुदान पर इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और साथ ही जो आलोचना की है उसके बारे में मैं उनका आभारी हूं। आलोचना से भी काम करने में मदद मिलती है तो मैं उन आलोचनाओं और उन सुझावों पर विचार करूंगा और जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा उनपर कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा। मुझे प्रसन्नता हुई कि श्री बंशीधर जी पांडेय ने अपने विचार इस अनुदान पर प्रकट किये जैसा कि एक कांग्रेस मैन और स्वयंसेवक को विचार प्रकट करने चाहिये, उसी तरह से उन्होंने प्रारम्भ में अपने विचारों को प्रकट किया। आखिर में वे राजनीति पर उतर गये। यह ठीक बात है जब तक दूसरे लोग हरिजनों के उत्थान के काम में, उनके कल्याण के काम में अपना योगदान नहीं करेंगे तब तक हरिजन आगे नहीं बढ़ सकते और वे समानता के दर्जे पर नहीं आ सकते। खासतौर से अस्पृश्यता जो मुल्क में अब भी विद्यमान है वह तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक तथाकथित कहे जाने वाले सवर्ण हिन्दू उसमें अपना सहयोग न करें। उनको आगे आना चाहिये और हरिजन भाइयों को गले लगाना चाहिये और अस्पृश्यता का अभिशाप है उसे दूर करना चाहिये। अस्पृश्यता हिन्दू समाज का एक अभिशाप है। यह गांधी जी ने कहा था और जब तक हिन्दू समाज इस अभिशाप से मुक्त नहीं होता तब तक वह उस पर लगेगा ही। गांधीजी ने अपने जीवनकाल में बड़ा प्रयास किया और सारे प्रदेश में घूमघूम कर हरिजन बस्तियों में ठहर कर हरिजनों को ऊंचा उठाने के लिये उन्होंने अनेक प्रयास किये। अगर हम लोग इस देश के और खास तौर से सवर्ण जाति के लोग जो समझते हों और जो यह चाहते हैं कि समाज में एकता स्थापित हो उनको हरिजनों के लिये काम करना चाहिये तभी हरिजन समानता और समता पर आयेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो सुझाव 18 प्रतिशत को बढ़ाने का आया था क्या मंत्री जी ने उस पर विचार किया है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं उस पर आऊंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर हरिजन विधायकों के अतिरिक्त दूसरे विधायकों को विशेष रूप से दिलचस्पी लेना चाहिये। यहां पर होता यह है कि हरिजन अनुदान पर सिर्फ हरिजन विधायक ही अपनी बात को कह पाते हैं और दूसरे विधायक उसमें अपनी बात नहीं कह पाते। आज श्री पान्डेय जी ने जो आज उसमें अपना सहयोग दिया और जो सुझाव दिये इसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं और मैं चाहता हूं कि अन्य सदस्य भी इस मसले पर अपने विचारों को समय-समय पर प्रकट करते रहें तो अच्छा रहेगा। यहां पर भाई रामसागर जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि हरिजन बस्तियों तथा विमुक्त जातियों के लिये कालोनीज बनाने के लिये कुछ रुपया दिया गया था और श्री रामसूरत प्रसाद, एम0 पी0, गोरखपुर वालों पर यह आक्षेप लगाया गया कि उन्होंने उससे अपना मकान बनवाया इसकी कोई सूचना सरकार को नहीं है लेकिन आपका यह कहना है तो मैं इसकी छानबीन कराऊंगा। और जो भी दोषी पाया जायगा उसको दंड मिलेगा। मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सही है लेकिन इसकी छानबीन की जायगी और जो सच्चाई होगी सामने आ जायगी।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

यह भी कहा गया कि गोरखपुर में राम सूरत जी के मकान पर कोई छात्रावास चलता है और उस छात्रावास के लिये हरिजन कल्याण विभाग से कुछ अनुदान मिलता है । उसका दुरुपयोग हुआ है। मैं इसे देखूंगा । मैं नहीं चाहता हूं कि जनता के किसी धन का किसी प्रकार से दुरुपयोग हो। जो भी धन देते हैं वह हम जनता का पैसा देते हैं उसका सदुपयोग होना चाहिये और हरिजनों की भलाई पर लगना चाहिये, किसी एक व्यक्ति की भलाई पर नहीं । मैं इसको भी देखूंगा । वैसे तो उसकी छानबीन कराई जा रही है और छानबीन से जो रिपोर्ट आयेगी हमें पता चलेगा ।

एक शिकायत अहरौली जूनियर हाई स्कूल के फर्जी छात्रों की सूची के बारे में की गई। इस संबंध में जिलाधीश, गोरखपुर को कह दिया है और पुलिस के द्वारा जांच हो रही है और मामला अदालत के विचाराधीन है । अदालत उस पर निर्णय करेगी। कुओं के बारे में कहा गया। हरिजन सहायक विभाग से कुओं के लिये अनुदान दिया जाता है और कुआं तैयार करके हरिजन कल्याण विभाग नहीं देता है । तीन किश्तों में यह रुपया दिया जाता है । एक तो प्रारम्भ करने पर और दूसरे बीच में तथा जब उसकी मेड़ बन जाती है तो कंप्लीशन सर्टीफिकेट आने पर रुपया दे दिया जाता है। अगर इस संबंध में कोई शिकायत हो तो उसकी भी जांच करा ली जायगी। हरिजन छात्रावासों में रसोइया के वेतन की बात कही गयी तो इस पर विचार करेंगे। मैं आपकी इस बात को स्वीकार करता हूं कि 35 रुपये में कोई भी जीवन-यापन नहीं कर सकता है। यह बहुत कम है । इसको पहले ही बढ़ जाना चाहिये था । मैं इस दिशा में प्रयास करूंगा ।

श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

हरिजनों को एक हजार रुपया कुयें के लिये दिया जाता है यह कहां तक न्याय संगत है। ब्लाक से ढाई हजार कुआं बनाने के लिये दिया जाता है। ऐसे ही मकान के लिये भी आपके यहां एक हजार रुपया दिया जाता है । यह कहां तक न्याय संगत है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने यह निवेदन किया कि हरिजन कल्याण विभाग कुवें निर्माण में जितना व्यय होता है वह पूरा नहीं देता। वह अनुदान के रूप में एक हजार रुपया देता है। सामुदायिक विकास विभाग की ओर से जो कुवें बनाये जाते हैं उसका पूरा खर्चा सामुदायिक विभाग देता है और अपनी तरफ से कुआं तैयार करके समर्पित करता है।

श्री राम प्रसाद—

कुयें के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह पूरा दिया जाता है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आपके विभाग के जो प्राइमरी स्कूल हैं वहां जो दाइयां हैं उनको केवल 20 रु0 दिया जाता है। यह सन् 46 या 47 से चला आ रहा है। मैंने एक प्रश्न भी किया था। शासन की ओर से कहा गया कि वह पार्ट टाइम है । लेकिन वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं। उन्हें किसी प्रकार की महंगाई भी नहीं दी जाती । अगर अभी तक इस पर कोई विचार नहीं हुआ है तो क्या मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र कोई घोषणा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इसको भी देखूंगा। मैं तुरन्त तो कुछ नहीं कह सकता। मुझे छानबीन करनी पड़ेगी। कुछ स्कूल संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। उन्हें अनुदान दिया जाता है। वे चाहे 20 रुपये मासिक पर अध्यापक रहें या 100 रुपये पर ।

श्री धर्मवीर—

अध्यापकों की बात नहीं कही थी। जो दाइयां वहां काम करती हैं, बच्चों को लाती ले जाती हैं, उनकी बात कही थी ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैं उसे देख लूंगा । एक बात गंगा प्रसाद जी ने कही थी कि गोंडा में उप शिक्षा निदेशक द्वारा तिजोरी में 3 हजार 78 रुपये अधिक पाये गये । उस संबंध में छानबीन हो रही है । छानबीन होने के बाद जो नतीजा रहेगा उस नतीजे से श्री गंगा प्रसाद स्वयं अवगत हो जायेंगे।

श्री राम निहोर राय—

त्रिपाठी के खिलाफ 3,000 रु0 का मामला है । क्या मंत्री जी उस केस की सतर्कता विभाग से जांच करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने तो कह दिया कि छानबीन हो रही है। अगर आवश्यकता पड़ी तो सतर्कता विभाग से भी जांच करा देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सपूर्ण अनुदान संख्या 29 के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 9,59,93,700 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या 30 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 30—समाज कल्याण के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 85,43,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई थीं। सभी अस्वीकार की गयी हैं।

अब हम उठते हैं और 17 अप्रैल, 1973 को 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 1 मिनट पर मंगलवार, 17 अप्रैल, 1973 को 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
12 अप्रैल, 1973।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 29(4) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 856 पर]

अनुसूची

यू० पी० फेडरेशन आफ मिनिस्ट्रीरियल एशोसियेशन, जिला शाखा लखनऊ की मांगें:—

(1) वेतन आयोग की रिपोर्ट अविलम्ब प्रकाशित की जाय जिससे उस पर सरकार तथा संगठनों द्वारा साथ-साथ विचार हो सके ।

(2) सामान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धांत को लागू कर सचिवालय तथा गैर सचिवालय मिनिस्ट्रीरियल कर्मचारियों के वेतन-क्रम एक से गठित किये जायं ।

(3) न्यूनतम वेतन 15वें श्रम सम्मेलन के आधार पर 250 रु० से कम न निर्धारित किये जायं ।

(4) कीमतें बांधी जायं ।

(5) प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन का 15 प्रतिशत मकान किराया भत्ता बिना किसी शर्त दिया जाय ।

(6) उन्नति के मार्ग खोले जायं और सचिवालय के 50 प्रतिशत उच्च पदों को अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये आरक्षित किये जायं ।

———

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत ता0 प्र0 सं0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 860 पर)

सूचना

(रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत जूनियर हाई स्कूलों की संख्या	इमारत के लिए प्रदत्त धनराशि	साज सज्जा के लिये प्रदत्त धनराशि
1964–65	शून्य	शून्य	शून्य
1965–66			
1966–67	एक जूनियर हा0स्कूल (बालक)	15,000	3,000
1967–68	चार जू0हा0 स्कूल (बालक)		
	दो जू0हा0 स्कूल (कन्या)	90,000	18,000
1968–69	तीन जू0हा0स्कूल (बालक)	15,000	9,000
1969–70	एक जू0हा0स्कूल (बालक)	35,000	3,000
	एक जू0हा0 स्कूल (कन्या)		
1970–71	दो जू0हा0 स्कूल (बालक)	65,000	12,000
	दो जू0 हा0 स्कूल (कन्या)		

प्रश्न 8 की सूचना

(रुपयों में)

वर्ष	ग्रामों के नाम जहां स्कूल खोले गये हैं	इमारत की स्थिति	व्यय की गयी धनराशि
1966–67	अम्बावाय	शून्य	यह अनुदान दूसरे कार्य में समायोजित कर लिया गया है ।
1967–68	बराटा, चन्दबारी, धनगोल गोनानारहट (बालक)	बराटा की इमारत बन गयी है ।	19,539.00
		धनगोल का कार्य प्रगति में ।	11,587.00
		चन्दबारी व गोना नारहट का कार्य नहीं हुआ।	
	उल्दन व अक्सेव	उल्दन का कार्य प्रगति पर ।	18,522.00
		अक्सेव का कार्य प्रगति पर ।	14,329.00
1968–69	पचार, राजापुर, घाटकोटरा	पचार व राजापुर का कार्य शुरू नहीं हुआ ।	
		घाट कोटरा का कार्य प्रगति पर ।	7,435.00
1969–70	धमना, बड़ागांव	कार्य बन्द है।	,,
1970–71	वालावेहट, सेरवांस (बालक)	कार्य प्रारम्भ हो गया है । प्रगति पर है ।	
	एरव व पाण्डवाहा (कन्या)	एरव के टेंडर मांगे गये हैं और आये नहीं । पाण्डवाहा का कार्य प्रगति पर ।	

नत्थी 'ग'

[देखिये 39(2) के अन्तर्गत ता0 प्र0 सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 861 पर]

सूची

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	प्रश्नगत अध्यापकों की योग्यतायें
1	आदर्श इंटर कालेज, ककरही	बी0ए0, सी0 पी0एड0
2	मोती लाल इंटर कालेज, दुधारा	एम0ए0, सी0पी0एड0
3	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, डेरवा	बी0ए0सी0पी0एड0एवं डी0पी0एड0
4	एस0के0 इंटर कालेज, कौडीराम	बी0ए0 साहित्यरत्न सी0पी0एड0
5	बी0एस0ए0बी0 इंटर कालेज, गोला	इंटर, सी0पी0एड0
6	इंटर कालेज भटवली, बाजार	इंटर, सी0पी0एड0
7	किसान इंटर कालेज, गबहा	बी0ए0, सी0पी0एड0
8	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दुबैली	इंटर, सी0पी0 एड0
9	मांथी इंटर कालेज, महुआपार	एम0 ए0 डी0 पी0एड0 एवं
10	मुरारी इंटर कालेज, सहजनवां	इंटर, सी0पी0 एड0
11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंगल एकला नं0 2।	इटर सी0पी0एड0
12	नीना थापा इंटर कालेज, गोरखपुर	बी0ए0सी0 पी0एड0 एवं डी0 पी0 एड0
13	इंटर कालेज, बरही, सोनबरसा	बी0ए0डी0पी0 एड0
14	अभय नन्दन इंटर कालेज, गोरखपुर	इंटर, सी0पी0एड0
15	मारवाड़ी इंटर कालेज, गोरखपुर	बी0ए0सी0पी0ए ड0
16	जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोगियापाली	इंटर, सी0पी0 एड0
17	डी0वी0 इंटर कालेज, गोरखपुर	इंटर, सी0पी0 एड0
18	महाजन इंटर कालेज, चौरीचौरा	इंटर, सी0पी0एड0
19	इंटर कालेज, बांसडीला	बी0ए0सी0पी0 एड0
20	इंटर कालेज, डुमरी निवास	इंटर, सी0पी0एड0
21	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ब्रह्मपुर	इंटर सी0पी0 एड0
22	जनता इंटर कालेज, चारगांवां	बी0ए0, डी0पी0 एड0

परिशिष्ट 'घ'

[देखिये ता०आ०सं० 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 865 पर]

सूची

उच्च शिक्षा के निदेशालय के अधीन निजी एवं सरकारी डिग्री कालेजों की जिलेवार संख्या

क्रम-संख्या	जिले का नाम	सरकारी डिग्री कालेजों की संख्या	निजी डिग्री कालेजों की संख्या
1	2	3	4
1	देहरादून	—	6
2	सहारनपुर	—	12
3	मुजफ्फरनगर	—	7
4	मेरठ	—	21
5	बुलन्दशहर	—	11
6	अलीगढ़	—	5
7	आगरा	—	13
8	मथुरा	—	7
9	मनपुरी	—	5
10	एटा	—	3
11	फर्रुखाबाद	—	8
12	बरेली	—	4
13	बिजनौर	—	6
14	बदायूं	—	2
15	मुरादाबाद	—	9
16	शाहजहांपुर	—	2
17	पीलीभीत	—	1
18	इटावा	—	6
19	कानपुर	—	19
20	फतेहपुर	—	1
21	इलाहाबाद	—	9
22	वाराणसी	2	11
23	मिर्जापुर	—	3
24	जौनपुर	—	12
25	गाजीपुर	—	5
26	बलिया	—	7
27	लखनऊ	—	15
28	उन्नाव	—	2
29	रायबरेली	—	2

1	2			3	4
30	सीतापुर	..	..	--	3
31	लखीमपुर खीरी	..	..	--	3
32	हमीरपुर	..	..	--	1
33	हरदोई	..	..	--	1
34	देवरिया	..	..	--	8
35	गोरखपुर	..	..	..	9
36	बस्ती	..	..	--	7
37	आजमगढ़	..	..	--	12
38	नैनीताल	..	..	1	2
39	अल्मोड़ा	..	..	1	--
40	झांसी	..	..	--	5
41	जालौन	..	..	--	3
42	हमीरपुर	..	..	--	1
43	बांदा	..	..	--	2
44	बहराइच	..	..	--	2
45	फजाबाद	..	..	--	5
46	गोंडा	..	..	--	2
47	सुल्तानपुर	..	..	--	3
48	प्रतापगढ़	..	..	--	6
49	बाराबंकी	..	..	--	1
50	रामपुर	..	..	1	--
51	पिथौरागढ़	..	..	1	--
52	उत्तरकाशी	..	..	1	--
53	चमोली	..	..	1	--
54	पौड़ी गढ़वाल	..	..	4	--
55	टेहरी गढ़वाल	..	..	1	--
		योग	..	13	290

नत्थी 'ङ'

[देखिये ता0प्र0सं0 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 873 पर]

विनांक 1 जनवरी, 1973 से 20-3-1973 की अवधि में जौनपुर जिले के थाना सुजानगंज तथा मुगरा बादशाहपुर थानों के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों/हुई हत्याओं/की सूचना:--

थाना का नाम	घटना का विनांक	व्यक्ति का नाम पता जिसके यहां डकैती पड़ी । जिसकी हत्या हुई	मुकदमें का विवरण	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम तथा गिरफ्तार किये जाने और जेल भेजे जाने की तिथि	जांच का परिणाम	गत तीन वर्षों में निर्धारित समय में इन थानों में घटी डकैतियों/हत्याओं की संख्या और यदि संख्या में वृद्धि हुई हो तो उसके कारण और उसकी रोक थाम के लिये की गई कार्यवाही का विवरण		
						1970	1971	1972
			हत्या					
बादशाहपुर ..	—	—	—	—	—	—	—	—
सुजानगंज	6/7.1.73	श्री पृथ्वीपाल सिंह, सा0 बाहरपुर, थाना सुजानगंज हत्या हुई	अं0सं05, धारा 302भा0द0वि0, 7-1-73	प्रसिद्ध नारायण सिंह सा0बाहरपुर थाना सुजानगंज	जेर तफतीश	—	1	—
			डकैती					
बादशाहपुर	—	—	—	—	—	1	3	5
सुजानगंज	2/3-1-73	श्री मकदूम पुत्र जहांगीर, सा0 मकबहरी	अ0सं01 धारा, 395/397भा0 द0वि03-1-73	आदित्यनरायन सिंह सा0बरई पार, थाना मछलीशहर	जेर तफतीश	—	8	1

नत्थी 'च'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 881–882 पर)

तालिका

मुख्य मंत्री तथा गन्ना मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना कर्मचारी संघ, सहारनपुर द्वारा प्रेषित मांग-पत्र दिनांक 20–2–73 एवं उन मांगों के संबंध में स्थिति संबंधी तालिका ।

मांग	स्थिति
(1) राजकीय कर्मचारियों की भांति सहकारी गन्ना समिति एवं उत्तर प्रदेशीय गन्ना समिति संघ के स्थायी व सीजनल कर्मचारियों का वेतनमान निर्धारित किया जाय एवं समय-समय पर महंगाई भी उसी प्रकार दी जाय ।	(1) समिति वेतनभोगी गन्ना ग्राम सेवक तथा पर्यवेक्षकों की राजकीय गन्ना ग्राम सेवकों तथा पर्यवेक्षकों को समान वेतन तथा महंगाई भत्ता आदि दिया जा चुका है । समिति एवं गन्ना संघ वेतनभोगी अन्य वर्ग के कर्मचारियों के विषय में अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है । सेवा नियमावली में सभी वर्ग के कर्मचारियों के वेतनमान आदि का विषय सम्मिलित है और यह सेवा नियमावली गन्ना आयुक्त ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बनाया एवं शासन को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है जो शासन के विचाराधीन है।
(2) सरकारी गन्ना समिति एवं सहकारी गन्ना संघ की कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमावली जो कि गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार को प्रेषित की गयी है, अविलम्ब लागू की जाय ।	उत्तर प्रदेश केन यूनियन इम्प्लाइज फेडरेशन द्वारा प्रस्तुत मांगों के विषय में एक मीटिंग विशेष सचिव, श्रम की अध्यक्षता में 29 अगस्त, 1972 को हुई थी उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट की धारा 122 के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त ने जो नया सर्विस रूल बनाकर शासन की स्वीकृति हेतु भेज दिया है उसकी एक प्रतिलिपि श्री काशीनाथ पांडे, प्रधान मंत्री, इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स फेडरेशन को भेज दी जाय और उनके द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर शासन द्वारा पूर्ण रूप से विचार कर सर्विस रूल्स को अंतिम रूप दिया जाय । अतः गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश से कह दिया गया है कि कथित उक्त रूल्स की एक प्रतिलिपि श्री काशीनाथ पांडेय को तुरन्त भेजने का कष्ट करें ।

मांग	स्थिति
(3) समितियों के कार्य करने वाले सीजनल कर्मचारियों को चीनी मिलों के कर्मचारियों की भांति स्थायी सीजनल घोषित किया जाय और सीजन समाप्ति के बाद जब तक यह पुनः सेवा में न रक्खे जायं तब तक आधा वेतन महंगाई सहित जीवन-निर्वाह हेतु दिया जाय ।	(3) सहकारी गन्ना समितियों की तुलना चीनी मिलों से नहीं दी जा सकती । गन्ना कर्मचारी संघ ने एक ओर राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान एवं महंगाई भत्ते की मांग की है दूसरी ओर चीनी मिल कर्मचारियों की मिलने वाली सुविधा भी चाही है, जो उचित नहीं प्रतीत होती और समितियों के सीमित आय के साधनों के कारण सम्भव भी नहीं है ।
(4) राजाज्ञा पत्र संख्या यू046 (बी) 16-5:19(बी)71-72दिनांक 11 अगस्त ,1972 द्वारा स्टैंडिंग आर्डर, गन्ना संघ समितियों एवं उत्तर प्रदेशीय गन्ना समिति के कर्मचारियों पर अविलम्ब लागू की जाय ।	(4) समिति भोगी कर्मचारियों के एक फेडरेशन ने उच्च न्यायालय क समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी कि गन्ना सेवा नियमावली के नियम इंडस्ट्रियल इम्टलाईमेंट स्टैंडिंग आर्डर्स के अन्तर्गत प्रकाशित कराये जायं । माननीय उच्च-न्यायालय ने इस याचिका में कोई तथ्य न होने के कारण आदेश दिनांक 9-10-69 द्वारा खारिज कर दिया है ।
(5) ग्रेच्युटी स्कीम 1972(केंद्रीय) जो 1-9-72 से सारे देश में लागू है, सहकारी गन्ना समितियां एवं उत्तर प्रदेशीय गन्ना समिति संघ के समस्त कर्मचारियों पर भी लागू की जाय ।	(5) ग्रैच्युटी योजना का प्राविधान सेवा-नियमावली में दिया गया है जो अंतिम रूप से स्वीकृत होने पर लागू होगी ।

नत्थी 'छ'

(देखिए अ0ता0प्र0सं0 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 886–887 पर)

विवरण

क्रम-संख्या	अधिकारी का नाम	पद जिस पर कारपोरेशन में कार्य कर रहे हैं	कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की अवधि	प्रथम प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की तिथि	प्रतिनियुक्ति काल बढ़ाये जाने की अवधि	प्रतिनियुक्ति काल बढ़ाये जाने का आधार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री आर0 एल0 सक्सेना	मैनेजर (फुटवियर)	1 वर्ष	12–9–69	1—6 माह के लिये 11–3–71 तक, 2—3 माह के लिये 11–6–71 तक, 3—11–6–71 से 24–7–71 तक, 4—24–7–71 से 12–9–73 तक,	लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों की सहायकों का काम करते हैं। उन्हें इनकी सेवाओं की आवश्यकता है।
2	श्री बी0 एन0 पांडे	सहायक सचिव	2 वर्ष	27–9–70	1 वर्ष के लिये 27–9–73 तक,	तदैव ..
3	श्री डी0 चतुर्वेदी	डिवीजनल मैनेजर	2 वर्ष	4–7–70	1 वर्ष के लिये 3–7–73 तक,	तदैव ..

1	2	3	4	5	6	7
4	श्री निरन्कार सिंह ..	डिवीजनल मैनेजर	2 वर्ष	7-2-70	1 वर्ष के लिये 23-1-तक आगे की अवधि बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।	तदैव
5	श्री जयराम सिंह श्रीवास्तव	वित्त प्रबन्धक	2 वर्ष	27-6-70	6 माह के लिये 26-12-72 तक । आय की अवधि बढ़ाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।	तदैव
6	श्री एम0आर0दीवान	वर्क्स मैनेजर	2 वर्ष	1-3-70	श्री दीवान का निगम में स्थायी संविनियम का मामला शासन के विचाराधीन है ।	—
7	श्री आर0 के0 कपूर ..	प्रोजेक्ट मैनेजर	2 वर्ष	16-7-71	प्रतिनियुक्ति काल की अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है ।	
8	श्री ओ0एन0 टंडन ..	ब्रांच मैनेजर	2 वर्ष	21-4-72	तदैव	—

पी0 एस0 यू0 पी0--ए 0 पी0 30 एल0 ए0--1974--835

उत्तर प्रदेश विधान सभा